7

घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21)

सातवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सातवां प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

[घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

29.01.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

29.01.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जनवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2020-21) की संरचना		v
प्राक्कथन		vi
अध्याय एक	प्रतिवेदन	**1**
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	**20**
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	**45**
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है	**46**
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं	**51**

अनुलग्नक

अनुबंध-I	बिन्दु संख्या - 3 लोक उद्यम विभाग को उत्तर: विषय पर लोक उद्यम पर समिति की पिछली रिपोर्ट.....57
अनुबंध-II	बिन्दु संख्या - 5 (i) सीपीएसईज़ के कार्य के संबंध में सरकार की भूमिका.....65
अनुबंध-III	बिंदु सं. 5. (ii): सीपीएसयू के कार्यों के संबंध में सरकार की भूमिका.....68
अनुबंध-IV	बिंदु सं. 7: कमेटी द्वारा 12 अभिनिर्धारित सीपीएसयूज का मामला अध्ययन.....70

अनुबंध-V बिंदु संख्या 10 (ii): सरकार द्वारा नकद और सहायता और अन्य अनुमोदनों में देरी.....76

अनुबंध-VI बिंदु संख्या 12: पुराने हो चुके संयंत्र और मशीनरी/पुरानी तकनीकी.....77

अनुबंध-VII बिंदु संख्या 13: विविधीकरण.....83

अनुबंध-VIII बिंदु संख्या 15: वीआरएस पैकेज/देय राशि के भुगतान में देरी.....86

अनुबंध-IX 17 (i) : एनबीसीसी के माध्यम से घाटा उठाने वाले पीएसयूज की अधिशेष भूमि और परिसम्पत्ति का विक्रय.....92

अनुबंध-X बिंदु संख्या 18: घाटे पर चल रही सीपीएसई की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त निधि.....98

परिशिष्ट

एक. 7.1.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....101

दो. 'घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।.....104

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
3. श्री सी.पी. जोशी
4. श्रीमती कनिमोझी
5. श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू
6. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन किंजरापु
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
18. श्री अनिल देसाई
19. श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार
20. श्री ओम प्रकाश माथुर
21. श्री सुरेद्र सिंह नागर
22. श्री एम.शनमुगम

सचिवालय

श्री आर.सी.तिवारी	-	संयुक्त सचिव
श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर "घाटे में चल रहे सीपीएसयू" की समीक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ ।

2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2018-19) का 24वां प्रतिवेदन 20 दिसम्बर, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया । प्रतिवेदन में अंतर्विऐट सभी 11 सिफारिशों के की-गई-कार्रवाई उत्तर 04 सितम्बर, 2019 को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से प्राप्त हो गए थे ।

3. समिति (2020-21) ने 7 जनवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट (16 वीं लोकसभा) पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई के विश्लेषण के आधार पर समिति की टिप्पणियों / सिफारिशों को इस रिपोर्ट के अध्याय -1 में दिया गया है।

5. समिति (2020-21) के चौबीसवीं प्रतिवेदन (16 वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है ।

नई दिल्ली;
7 जनवरी , 2021
17 पौष, 1942 (शक)

मीनाक्षी लेखी
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्याय-एक

प्रारूप प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन "घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन में जिसे 20 दिसम्बर, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट टिप्पणियो/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है ।

2 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 19 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय

दो) क्रम सं0 1,2,5,7,8,11,12,13,14,15,17 और 19 (कुल 12)

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति

आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती। (अध्याय तीन)

शून्य (00)

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने

स्वीकार नहीं किया है (अध्याय-चार)

क्रम सं. 10,16 (कुल 02)

(चार) टिप्पणियां /सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं । (अध्याय पांच)

क्रम सं. 3,4,6,9 और 18 (कुल 05)

3. समिति की इच्छा है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में समिति के टिप्पण के संबंध में उत्तर समिति को शीघ्र दिए जाएं । समिति की यह भी इच्छा है कि मूल प्रतिवेदन में टिप्पणियों / सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय दवारा दिए गए अंतरिम उत्तर के संबंध में अंतिम उत्तर समिति को शीघ्र दिए जाएं । समिति, दिए गए उत्तर से पाती है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में लोक हित में कार्य कर रहे सीपीएसयू को प्रतिपूर्ति करने के बारे में समिति की सिफारिश के संबंध में मंत्रालय ने नीति आयोग से परामर्श किया है परंतु मंत्रालय को अभी भी आयोग से उत्तर प्राप्त होना है। इसी प्रकार मंत्रालय को महत्वपर्ण मुद्दों जैसे कि (एक) सीपीएसयू की वित्तीय स्थिति में सुधार/सीपीएसयू के पुनर्वास, सिफारिश सं. 3, (दो) सीपीएसयू की वित्तीय स्थिति को विनियमित करने और निगरानी हेतू नीति निर्धारण, सिफारिश सं. 4, और (तीन) सीपीएसयू की पहचान / वर्गीकरण हेतु 'स्ट्रेटेजिक' की समान परिभाषा निर्धारित करने हेतु सिफारिश सं. 6 आदि समिति की कई टिप्पणियों/सिफारिशों पर नीति आयोग के उत्तर प्राप्त होने हैं ।बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय - सिफारिश सं. 9, पर डीपीई

को दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्रतिक्रिया प्राप्त होनी है । समिति की इच्छा है कि डीपीई संबंधित विभागों से लंबित उत्तर शीघ्र प्राप्त करे और जिन सिफारिशों पर अंतरिम उत्तर दिए गए हैं, के संबंध में अंतिम उत्तर भेज दे । समिति यह भी इच्छा करती है कि समिति द्वारा इस प्रतिवेदन में जिन मुद्दों पर टिप्पण किया गया है उन पर उत्तर समिति को समय से सौंप दिए जाएं ताकि विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक निर्णय लिए जा सकें ।

4. अब समिति, अनुवर्ती पैराओं में कतिपय टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी ।

दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम सं. 2)

5. समिति ने 24वें प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी और सिफारिश की थी :

(क) समिति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना कुछ व्यापक समष्टि अर्थव्यवस्था संबंधी और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु की गई थी और इसलिए इनकी तुलना वाणिज्यिक रूप से चल रही कंपनियों से नहीं की जानी चाहिए। यहीं नहीं, निःसन्देह यह सीपीएसयू की जिम्मेदारी थी कि वह रोजगार सृजन के लिए देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे और वहां पर आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करे ताकि अन्य लोग वहां पर उपक्रम आरंभ कर सकें। समिति का यह मानना है कि सीपीएसयू इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं। स्वतंत्रता के समय वास्तव में इस बात की आवश्यकता थी कि सरकार द्वारा उद्योगों को चलाने के लिए पीएसयू की स्थापना की जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि आधारित था। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुए काफी समय बीत चुका है और समिति की जांच से यह पता चला है कि अधिकांश पीएसयू जिन पर पहले से ही अधिक दक्ष बनने का दबाव है, का मार्जिन उनके निजी समकक्षों जो कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यवसाय चलाने में अधिक सक्षम हो चुके हैं, की तुलना में काफी कम है।डीपीई ने भी अपने सर्वेक्षण 1⁄42016-171⁄2 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि अधिकांश सीपीएसयू जो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और मुक्त होने के साथ विकसित नहीं हो पाए, शीघ्र ही निजी कंपनियों के सामने हार गए। दूरसंचार क्षेत्र के पीएसयू 6-7 बड़े निजी आपरेटरों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। भेषज क्षेत्र में कार्यरत पीएसयू जैसे हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, आईडीपीएल इत्यादि को भी विदेशी कंपनियों और विशेषकर चीनी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। हल्के और भारी इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में सेल जैसे पीएसयू में निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वे बाजार की मांगों के अनुसार कार्य कर सकें और बहुराष्टींय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

समिति का यह मानना है कि सभी पीएसयू जिन्हें सरकार बनाए रखना चाहती है, को बेहतर प्रदर्शन करना होगा और समुचित अनुपात को बनाए रखना होगा ताकि वे अपनी क्षमताओं पर उपभोक्ता बाजार का विश्वास बरकरार रख सकें और इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बोर्डों द्वारा कारपोरेट शासन के सिद्धांतों को लागू किया जाए और उनका अनुपालन किया जाए। समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, निर्णय लेने में विलंब करने से बचना चाहिए और केवल चुनिंदा क्षेत्रों में पीएसयू को बनाए रखने की आवश्यकता का वास्तविक रूप में मूल्यांकन करना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि सरकार को

चीन, स्वीडन, मलेशिया, वियतनाम या थाइलैंड जैसे देशों द्वारा अपने पीएसयू का प्रबंधन करने और अपने संबंधित देश के लिए उपयुक्त कुछ सफल मॉडलों चाहे यह होल्डिंग कंपनी मॉडल हो/वॉच डाग मॉडल का निर्माण हो/निजीकरण मॉडल हो अथवा ब्यूरोक्रेटिक इंसुलेशन और पारदर्शिता मॉडल हो, के आधार पर इनमें परिवर्तन करने हेतु अपनाए जा रहे कुछ वैश्विक मॉडलों की जांच करनी चाहिए।

(ख) समिति यह पाती है कि अप्रैल, 2018 में डीपीई ने सीपीएसयू और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श किया था जो अंततः एक सीपीएसयू सम्मेलन में परिवर्तित हो गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की थी। इसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ सीपीएसयू में वित्तीय पुनर्गठन और नवाचार पर भी चर्चा की गई। समिति यह चाहती है कि सरकार द्वारा सीपीएसयू द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए डीपीई द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रगति के साथ-साथ इस मामले में हुई प्रगति के संबंध में विस्तृत टिप्पण उपलब्ध कराया जाए।

(ग) सीपीएसयू द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति और उनके प्रचालन क्षेत्र में दूर-दराज के क्षेत्रों के समावेशन के मुद्दे पर समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले एक विशेषज्ञा संगठन की राय थी कि सरकार के माध्यम के रूप में सार्वजनिक आवश्यकता की पूर्ति का कार्य सीपीएसयू द्वारा किए जाने के अपवाद स्वरूप मामलों में शामिल राशि की सरकार द्वारा सीपीएसयू को प्रतिपूर्ति की जाए। समिति इस संबंध में विशेषज्ञा संगठन की राय, से सहमत है और चाहती है कि सरकार द्वारा इस पहलू पर विचार किया जाए।

6. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में बतायाः

(क) अभी हाल ही में प्रभावशील हुए कंपनी अधिनियम, 2013, में कार्पोरेट अभिशासन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं जो कि सीपीएसईज पर लाग होते हैं। डीपीई ने सीपीएसईज हेतु कार्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों को वर्ष 2010 से कार्यान्वित किया है। ये दिशानिर्देश बोर्ड, ऑडिट कमेटी, अनुषंगी कंपनियों, प्रकटीकरण, आचार संहिता और नैतिकता, समद्ध प्रबंधन और अनपालन जैसे महों को कवर करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉर्पोरेट अभिशासन के सिद्धांतों का पालन सीपीएसईज द्वारा किया जाता है, द्वारा सीपीएसईज के लिए दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसईज की ग्रेडिंग की जा रही है, और इसने समझौता-ज्ञापन मूल्यांकन अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है।

भारत सरकार के कारोबार आबंटन तथा कारोबार संचालन नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं जो नियमित रुप से केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार नियमित रुप से निगरानी करते हैं। लोक उद्यम विभाग नोडल समन्वयकारी विभाग के रुप में काम करता है तथा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कुछ सीमा तक साम्यता लाने के लिए कार्य-निष्पादन सुधार तथा मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय प्रत्यायोजन एवं कार्मिक प्रबंधन आदि मामलों पर व्यापक नीतिगत निर्देश जारी करता है। लोक उद्यम विभाग के अलावा निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति विभाग (दीपम), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) तथा नीति आयोग द्वारा सभी वित्तीय मामलों पर जारी सभी दिशानिर्देशों का भी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

(ख) यह उल्लेख किया गया कि 9 अप्रैल 2018 को आयोजित सीपीएसईज कान्क्लेव में उद्बोधन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ सीपीएसईज हेतु पांच चुनौतियों को भी सामने रखा ।

(i) सीपीएसईज की भू-रणनीतिक पहुँच को अधिकतम करना (ii) देश के आयात बिल को कम करना,

(iii) सीपीएसईज के बीच नवाचार और अनुसंधान का एकीकरण), (iv) एकल विषय पर सीएस और (v) देश के लिए नया विकास मॉडल/नमूना। सभी सीपीएसईज से अनुरोध किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित चुनौतियों तथा वे सीपीएसईज कान्क्लेव में सामने आए अन्य सुझावों को पूरा करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करें।

ख) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 05.11.2018 को सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सीपीएसईज (पेट्रोलियम एवं गैस, कोयला, खनन, इस्पात, विद्युत, भारी उद्योग एवं रक्षा उत्पादन) की कार्य योजना की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्तर पर और इसके उपरान्त सीपीएसईज की कार्य योजनाओं की प्रगति की वास्तविक समय अपलोडिंग और निगरानी की सुविधा के लिए डीपीई ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है और इस डैशबोर्ड पर सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसईज को अपने संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी को लगातार अपलोड करने के लिए कहा गया है। लगभग 140 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में दृष्टि डैशबोर्ड पर संबंधित कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित को पूरा करने से संबंधित जानकारी अपलोड की है। प्रधानमंत्री द्वारा ली गई बैठक की कार्य योजनाओं तथा निर्णय बिन्दुओं के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 9.5.2019 को सचिवों की समिति की एक बैठक आयोजित की गई तथा व्यापक रुप से यह निर्णय लिया गया है कि कार्य योजनाओं की नियमित रुप से निगरानी सचिवों की समिति की भांति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती रहेगी।

(ग) जैसा कि यह मामला नीति आयोग एवं व्यय विभाग से संबंधित है, डीपीई ने समिति के अवलोकनों पर उनके विचार मांगे हैं।

क) व्यय विभाग (डीओई) के विचारों का सार नीचे दिया गया है:

व्यय विभाग ने दिनांक 19.03.2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया है कि इस संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई पीएसयू के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। डीओई प्रस्ताव की जांच के बाद प्रशासनिक मंत्रालय को अपने विचार प्रस्तुत करता है। इस मामले में डीओई की भूमिका प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्तावों पर टिप्पणियों और सिफारिश तक सीमित है।

अत: व्यय विभाग की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि ऐसी संभाव्यता की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को व्यय विभाग के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव तैयार करना होगा।

(ख) नीति आयोग की सूचना प्रतीक्षित है। नीति आयोग से जवाब मिलने पर समिति को सूचित किया जाएगा।

7. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ टिप्पणी की थी कि पीएसयू को चयनित क्षेत्र में कायम रखे जाने की आवश्यकता का वास्तविक मूल्यांकन करे और इस बारे में कतिपय वैश्विक माडल की जांच करे । समिति ने यह भी टिप्पणी की थी कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि सभी सीपीएसयू के बोर्ड कारपोरेट शासन का अनुपालन करें । समिति ने पाया कि अपनी की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में मंत्रालय ने बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट शासन हेतु विस्तृत प्रावधान थे जो सीपीएसई पर भी लागू हैं । इन दिशानिर्देशों में बोर्ड की संरचना, लेखापरीक्षित समितियां, अनुषंगी कंपनियां, प्रकटीकरण, आचार संहिता और सदाचार जोखिम प्रबंधन और अनुपालन शामिल हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीपीएसई दवारा आचार संहिता का पालन किया जा रहा है, डीपीई, सीपीएसई का वर्गीकर (ग्रेडिंग) सीपीएसई हेतु कारपोरेट शासन संबंधी दिशा निर्देशों के पालन किए जाने के अनुसार किया जा रहा है और इसे समझौता ज्ञापन कार्यवाही का हिस्सा बना दिया है । समिति का विचार है कि डीपीई दवारा सीपीएसयू के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन का कड़ाई से मल्यांकन किया जाए तथा साथ ही उनकी वित्तीय स्थिति की निरंतर निगरानी हो, जिससे कि प्रारंभ में ही रूग्ण और कमजोर सीपीएसयू के संबंध में उपचारात्मक उपाय किए जाएं । समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि सीपीएसयू का कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा नियमित रूप से छमाही तौर पर किया जाए जिससे कि उनके कार्य निष्पादन में गिरावट की खतरे की घंटी का पता कर समय से ढांचागत हस्तक्षेप कर ऐसे पीएसयू को बचाया जा सके ।

8. समिति ने यह भी देखा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई), सीपीएसयू के लिए नोडल समन्वय विभाग है और इनके कार्य निष्पादन में सुधार और मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन आदि मामलों पर मोटे तौर पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी करती है ताकि सब सीपीएसई में कुछ एकरूपता लाई जा सके । डीपीई के अलावा अन्य संबंधित विभाग यथा निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), व्यय विभाग (डीओई) और नीति आयोग दवारा विभिन्न वित्तीय मामलों पर जारी सभी दिशानिर्देशों का सीपाएसई द्वारा पालन किया जाता है । समिति नोट करती है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल, 2018 को सीपीएसई की बैठक में इनके समक्ष पांच चुनौतियों का उल्लेख किया । इसके बाद सीपीएसई की कार्य योजना की समीक्षा हेतु बैठक 5 नवम्बर, 2018 को की गई थी । जैसा कि समिति को बताया गया कि सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग स्तर पर तथा इसके उत्तर, सीपीएसई की कार्य योजनाओं की तत्काल अपलोडिंग और प्रगति की निगरानी हेतू डीपीई ने एक डैशबोर्ड तैयार किया है तथा सभी संबंधित मंत्रालयों / विभागों और सीपीएसई से कहा गया है कि निरंतर अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से इस डैशबोर्ड पर संबंधित जानकारी अपलोड करें। समिति यह नोट कर व्यथित है कि यद्यपि 300 से अधिक सीपीएसयू हैं परंतु मात्र 140 सीपीएसयू ने ही संबंधित कार्य योजनाओं के तहत प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति को दृष्टि डैशबोर्ड में अपलोड किया है । अतः समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई को नियमित रूप से याद दिलाए जाने की आवश्यकता है कि आवश्यक जानकारी अपलोड की जाए ताकि समय से निगरानी की जा सके और सीपीएसई कार्य योजनाओं की प्रगति की प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके । समिति की यह भी इच्छा है कि उसे बताया जाए कि कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु सचिवों की समिति (सीओएस) की और बैठक जो समय-समय पर की जानी थी 9 अप्रैल, 2019 के पश्चात् हुई की नहीं ? यदि हाँ , तो समिति को बैठकों के निर्णय/निष्कर्ष से अवगत कराया जाए । समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि

प्रशासनिक मंत्रालय में सर्वाधिक संभव उच्च अधिकारी को कारपोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु जिम्मेदारी दी जाए ।

9. समिति ने पाया कि किसी भी देश के लिए स्वदेशी स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं | इस बारे में समिति का दृढ़ मत है कि भेषज क्षेत्र देश को स्वास्थ्य और मजबूत रखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह इस महामारी में मजबूत स्वदेशी भेषज कंपनियां की अवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई है । अतः समिति सिफारिश करती है कि भेषज क्षेत्र को 'सामरिक क्षेत्र' वर्गीकृत किया जाए और तदनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जाए ।

<u>एअर इंडिया</u>

सिफारिश (क्रम सं. 8)

10 . समिति ने 24वें प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी और सिफारिश की थी:

'समिति एअर इंडिया की स्थिति के संबंध में यह नोट करती है कि डीपीई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति ने अपनी 28 जून, 2017 को हुई बैठक में इन बातों के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की थी कि एअर इंडिया और इसकी पांच अनुषंगी इकाइयों का विनिवेश करने पर विचार किया जाए और समय-समय पर एअर इंडिया के नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने तथा एअर इंडिया के भारी ऋण का निपटान करने; किसी शैल 1⁄4दिखावटी1⁄2 कंपनी को कुछ परिसंपत्तियों का अंतरण करने; तीन लाभ अर्जित करने वाली अनुषंगी कंपनियों का विलगाव और नीतिगत विनिवेश करने; विनिवेश की मात्रा और बोली लगाने वाले समूह, के संबंध में निर्णय लेने हेतु एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र 1⁄4एआईएसएएम1⁄2 की स्थापना की जाए।

इस संबंध में, समिति यह स्मरण करती है कि सीएंडएजी के अलावा इस समिति और कई अन्य संसदीय समितियों ने भी एअर इंडिया की कई बार जांच की थी और बहुमूल्य सुझाव दिए थे/सिफारिशें की थीं। तथापि, टर्नअरांउड योजना लागू किए जाने और स्थिति सामान्य किए जाने हेतु प्रयास किए जाने के बावजूद, पीएसयू भारी ऋण के साथ कार्य करती रही। यह ऋण सीमा से अधिक हो गया और वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता चला गया। डीपीई के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से यह नोट किया गया है कि नीति आयोग ने एअर इंडिया के विनिवेश की सिफारिश करते हुए कई अन्य मुद्दों को भी उठाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतः ऋण चुकौती बोझ के फलस्वरूप प्रतिमाह लगभग 200-250 करोड़ रुपये के नगद घाटे के साथ लगातार हो रही हानि और भारी मात्रा में संचित हानियां, टर्न-अराउंड योजना जिसमें मात्र इक्विटी इंफ्यूजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और जिसमें न तो प्रक्रिया में बदलाव संबंधी कोई योजना है और न ही प्रबंधन में वरिष्ठ स्तरों पर संरचनात्मक बदलावों या नियुक्तियों की प्रक्रिया में किसी बदलाव की सिफारिश की गई है, पायलट और केबिन क्रू के अलावा अन्य स्टाफ की भर्तियों पर लंबी रोक लगाया जाना जिससे एअर इंडिया नई प्रतिभाओं और नए विचारों से लाभान्वित नहीं हो पाया, एअर इंडिया के बाजार अंश में कमी आना और विमानन क्षेत्र का रणनीतिक रूप से प्राथमिकता वाला व्यवसाय न होना इत्यादि शामिल थे। समिति यह भी नोट करती

है कि नीति आयोग ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि एअर इंडिया की हानियों का एक कारण वर्ष 2007 में लिया गया विलय संबंधी निर्णय भी है जिसके तहत असमान उपस्करों और मानव संसाधन संबंधी पद्धतियों; वाले दो अलग-अलग संगठनों का विलय किया जाना था।

समिति यह समझती है कि एयर इंडिया में विनिवेश की योजना बनाई गई है और इस संबंध में प्रक्रिया जारी है। एयर इंडिया के विनिवेश की स्थिति को नोट करते हुए समिति आशा करती है कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। समिति इस संबंध में यह जानना चाहती है एअर इंडिया के विनिवेश से ऋणों और देयताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।'

11. भारी उधयोग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) ने अपनी की गई कार्यवाही उत्तर में बताया :

इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय से दिनांक 29.3.2019 के का.ज्ञा. के माध्यम से प्राप्त उत्तर निम्नानुसार हैः

क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश हेतु कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी, एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक प्रणाली (एआईएसएएम) ने दिनांक 18 जून, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया गया कि एक बार वैश्विक आर्थिक संकेतक, जिनमें तेल की कीमतें और विदेशी मुद्रा शामिल हैं, के स्थिर हो जाने पर, एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के विकल्प को भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श के लिए एआईएसएएम के सामने लाया जाए।

ख) कर्ज एवं प्रदेयताएं तथा एयर इंडिया की देखरेख माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 7 सितंबर 2018 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार "एयर इंडिया में परिचालन और वित्तीय दक्षता के लिए योजना" विषय पर की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श और अनुमोदन प्रदान किया गया:

(i) एयर इंडिया लिमिटेड से विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) अर्थात एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कुल 29,464 करोड़ रुपये की राशि के कर्ज को अविलंब हस्तांतरित किया जाएगा।

(ii) शेष कर्ज तथा वर्तमान शुद्ध देयताएं एयर इंडिया के पास रहेंगी। एयर इंडिया तथा एसपीवी के बीच कर्ज आवंटन को विनिवेश के समीप किसी अन्य तिथि में पुनः विचार किया जाएगा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया में पहले से ही डाले गए 1630 करोड़ रुपये सहित एयर इंडिया को 3975 करोड़ रुपये की नगद सहायता।

(iv) एयर इंडिया को 7600 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभुति प्रदान करने के लिए, जिसमे 3000 करोड़ पहले ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान किया जा चका है, जिससे की बढ़ी हुई देयताओं के भुगतान के लिए नए ऋण को जुटाया जा सके ।

(v) हस्तांतरित ऋण पर ब्याज देयता को पूरा करने के लिए एसपीवी को 1300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

(vi) वित्तीय वर्ष 2019-20 से एसपीवी को हस्तांतरित 29464 करोड़ रुपये के कज पर सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ग) इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि एसपीवी नामतः एयर इंडिया असेट्स होल्डिग । का पहल हा दिनांक 22.01.2018 को सजित किया जा चका है तथा केन्द्रीय कैबिनेट ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित इसकी बैठक में इसके सृजन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन किया था।

(घ) इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित बैठक में यह निर्णय या गया कि चूंकि परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में अन्य मुद्दे जैसे कि स्टैंप ड्यूटी भी शामिल हो सकते हैं, पारसंपत्तियों के निबटान को एमओसीए/एयर इंडिया प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। एयर इंडिया एसपीवी को हस्तांतरित कर्ज के भुगतान के लिए एक एस्क्रो खाता खोलेगी जिससे कि इसमें इससे संबंधित लेनदेन को अनुरक्षित किया जा सके। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि एयर इंडिया की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा रहा है, जबकि वे एयर इंडिया के साथ बनी हुई हैं, जहाँ परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से संबंधित सभी लेनदेन व आय को अनुरक्षित किया गया है। इस आय का उपयोग केवल उन ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा है जिन्हें एसपीवी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

ड) आगे कहा गया है कि 1300 करोड़ रुपये के लोन की अदायगी के लिए एयर इंडिया लिमिटेड को भुगतान का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया लिमिटेड को भुगतान किया गया है।

12. समिति, मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर में पाती है कि चूंकि एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश हेतु कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी । 18 जून, 2018 को आयोजित एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक प्रणाली (एआईएसएएम)बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया गया कि एक बार वैश्विक आर्थिक संकेतक, जिनमें तेल की कीमतें और विदेशी मुद्रा शामिल है, के स्थिर हो जाने पर, एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के विकल्प पर भविष्य की कार्यवाही पर विचार - विमर्श के लिए एआईएसएएम के सामने लाया जाए । समिति यह भी नोट करती है कि 7 सितम्बर, 2018 को वित्त मंत्री द्वारा आयोजित बैठक में एयर इंडिया के ऋण और देयताओं के मुद्दे पर अनेक प्रस्तावों पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया । लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि वित्त वर्ष 2019-20 से एयर इंडिया लि. से विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) अर्थात् एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कुल 29,464 करोड़ रुपये के कर्ज राशि को हस्तांतरण कर दिया जाएगा | 29,464 करोड़ रुपये के कर्ज संबंधी ब्याज जिसे एसपीवी को हस्तांतरित कर दिया गया था, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । समिति को बताया गया कि एसपीवी अर्थात् एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लि. को 22.01.018 को सृजित किया जा चुका है तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 की बैठक में इसके सृजन किए जाने को कार्योत्तर अनुमोदन किया गया था । एयर इंडिया की परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण के बारे में समिति को बताया गया कि चूंकि एयर इंडिया की परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण में स्टैम्प ड्यूटी जैसे अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं अतः परिसम्पत्तियों का निपटान नागर विमानन मंत्रालय / एयर इंडिया प्रबंधन द्वारा किया जाएगा । यह भी निर्णय लिया गया कि एयर इंडिया एसपीवी को हस्तांतरित कर्ज के भुगतान के लिए एक एस्क्रों खाता खोलेगी जिसमें संबंधित लेन-देन को अनुरक्षित किया जा सके । समिति इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

13. समिति ने यह भी जाना कि सरकार दवारा एयर इंडिया के भारी कर्ज के समाधान हेतू अनेक ठोस उपाय किए जाने के बाद भी इसके विनिवेश योजना में अब तक अधिक प्रगति नहीं हुई है । इसी

बीच एयर इंडिया के ऋण और हानियों में अत्यधिक वृदधि हई है | 2018-19 में ही एयर इंडिया को 8475 करोड़ रुपये की हानि हई जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुल हानि का लगभग 26.79 प्रतिशत था । लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के लोक उदयम सर्वेक्षण (2018-19) के अनुसार बीएसएनएल के बाद एयर इंडिया सर्वाधिक घाटे में चलने वाला सीपीएसयू है। तथापि समिति ने देखा कि वर्तमान महामारी के दौरान जब दूसरी एयर लाइन्स आगे नहीं आई तो एयर इंडिया ने ही विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाई। अतः इस संकट में इसके महत्व का पता चला | समिति का यह भी मत है कि चूंकि विमानन क्षेत्र का सामरिक महत्व है इसलिए देश को राष्ट्रीय विमान सेवा की आवश्यकता है जिस पर संकट में भरोसा किया जा सके | अतः समिति सरकार से आग्रह करती है कि स्वयं की अपनी एयरलाइन्स के राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय एयरलाइन्स के समग्र लाभप्रदता के बीच एक बेहतर संतुलन बनाया जाए | समिति, अब तक हुई प्रगति और एयर इंडिया की नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहेगी ।

<u>सरकार दवारा नगद और सहायता तथा अन्य अनुमोदन देने में विलंब</u>

सिफारिश (क्रम सं. 10)

14. समिति ने 24वें प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी और सिफारिश की थी:

(क) मंत्रालय ने समिति को बताया कि कम्पनी का विकास और उसकी जीवनक्षमता बनाए रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वाणिज्यिक आधार पर निवेश किया जाता है। तथापि इस विषय की जांच के दौरान समिति ने सरकारी निवेश/सहायता का घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों तक, समय पर न पहुंचने और इस प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का माल अत्यध्कि पुराना होने के अनेक उदाहरणों को नोट किया। विलम्ब के कुछ ऐसे उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, इंस्ट्रूमेंटेशन लि. के मामले में उदारीकरण के पश्चात् के युग अर्थात् 1994 के पश्चात् घाटा हुआ जब इसे रुग्ण घोषित किया गया। इस मामले में वर्ष 1999 अर्थात् इसके रुग्ण घोषित किए जाने के पांच वर्ष पश्चात् पुनर्वास योजना को अनुमोदित किया गया और उसके बाद भी इस योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका जिससे कम्पनी का माल और जनशक्ति व्यर्थ हो गई। कम्पनी इस योजना को स्वीकृत करने में 13 महीने से अध्कि का समय लेने के कारण वर्ष 2010 की अपनी संशोध्ति पुनरुद्धार योजना का भी क्रियान्वयन नहीं कर सकी और इसके लिए कोई नगद सहायता भी नहीं मिली। इसके अलावा,यद्यपि आई एल को बंद कर दिया गया है फिर भी इसकी कोटा इकाई के कर्मचारियों को उनका पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

ख (i) एमटीएनएल में कर्मचारियों के 10,900 करोड़ रो के पेंशन बिल संचित हो गए जिसकी वजह से कम्पनी की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तथापि जनवरी, 2014 में इसका भुगतान करने के सरकार के निर्णय के बावजूद पिछले चार वर्षों से देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया।

(ii) अन्य मामले में बीएसएनएल ने समिति को खरीद के लिए अपनी समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया और सरकार के निर्णय के लिए लम्बा इंतजार करने के बारे में बताया जिसके कारण उन्होंने जीएसएम फ्र ंट पर अपना आधर खो दिया।

(iii) वर्ष 2013 में बीपीआरएसई के समक्ष रखे गए पुनरुद्धार पैकेज में भी विलम्ब

हुआ जिसके कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ जिससे कम्पनी वर्ष 2015-16 में उर्वरक का उत्पादन रोकने पर बाध्य हो गई।

जबकि यह कोई रहस्य नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकारी राजकोष से भारी सहायता से चल रहे हो, यह भी एक तथ्य है कि सरकार की ओर से निर्णय लेने में विलम्ब के कारण सरकारी क्षेत्र इन उपक्रमों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई और उत्पादन में भी कमी आई। समिति को विश्वास है कि आज के तीव्र गति से बदल रहे व्यवसाय के माहौल में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध् में महत्वपूर्ण निर्णयों के काफी समय से लम्बित रहने के कारण कम्पनियों को नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस संबंध में डीपीई ने बताया कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध्ति प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं कि प्रस्तावों के संबंध् में समयबद्ध तरीके से निर्णय किए गए हो। अपनी राय को दोहराते हुए समिति विशेषज्ञा द्वारा दिए गए इन सुझावों को भी नोट करती है कि सरकार पुनर्संरचना/परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण, प्रोद्योगिकीय उन्नयन आदि जैसी श्रेणियों का पता लगाये जिनके संबंध् में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों, प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विशेषज्ञा समूह द्वारा लिए गए निर्णय को अन्तिम निर्णय माना जा सकता है और इस पर तत्काल कार्यवाही की जा सकती है। समिति चाहती है कि सरकार इन सुझावों पर विचार करे और विलम्ब को रोकने हेतु उपाय करे। समिति चाहती है कि उसे घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंध्ति महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लेने के संबंध् में विलम्ब को कम करने के लिए परिकल्पित ऐसे उपायों से अवगत कराया जाए।

15. भारी उधयोग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) ने अपनी की गई कार्यवाही उत्तर में बताया :

(क) इस मामले पर, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 20.3.2019 को अवगत कराया है कि जब कभी वित्तीय समर्थन/निवेश इत्यादि का कोई प्रस्ताव सीपीएसई से प्राप्त होता है, तो विभाग व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा निर्धारित समय सीमा / कैबिनेट के अनुमोदन का अनुपालन करता है। कई बार, अंतर मंत्रालयीन परामर्शों में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्थिति की निगरानी साप्ताहिक तौर पर डीएचआई में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में की जाती है। ऐसे प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जहां तक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का सवाल है, कंपनी की कोटा इकाई को बंद करने के लिए पहले ही योजना बनाई जा चुकी है, और बंद होने की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। 7 कर्मचारियों को छोड़कर, कोटा यूनिट के सभी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, वीआरएस/वीएसएस और अन्य देय राशि का भुगतान पूरा हो चुका है। कंपनी की पलक्कड़ यूनिट को केरल सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा है।

(ख) जैसा कि समिति का अवलोकन उर्वरक विभाग और दूरसंचार विभाग के अधीन आने वाले सीपीएसई से संबंधित है, डीपीई ने भारी उद्योग विभाग के साथ ही इन विभागों से जिनके अंतर्गत बहुत से सीपीएसईज घाटे में चल रहे हैं।

ग) उर्वरक विभाग ने इस संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। संबंधित ब्यौरा अनुबंध - V में दिया गया है। इस मुद्दे पर दूरसंचार विभाग के उत्तर की प्रतिक्षा है। डीओटी का उत्तर प्राप्त होते ही समिति को इससे अवज्ञत कराया जाएगा।

घ) इस मामले पर, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 20.3.2019 को अवगत कराया है कि जब कभी वित्तीय समर्थन/आधुनिकीकरण इत्यादि का कोई प्रस्ताव सीपीएसई से प्राप्त होता है, तो विभाग व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा निर्धारित समयसीमा/कैबिनेट के अनुमोदन का अनुपालन करता है। कई बार, अंतर मंत्रालयीन परामर्शों में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्थिति की निगरानी साप्ताहिक तौर पर डीएचआई में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में की जाती है। ऐसे प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

ड) निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए और रुग्ण/हानिग्रसित सीपीएसई के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के संबंध में कई तंत्रों को कारगर बनाने के लिए, सरकार ने नवंबर 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड (बीआरपीएसई) को समाप्त कर दिया था। बीआरपीएसई को बंद करने के सरकार के निर्णय (7.10.2015) के उपरान्त डीपीई ने दिनांक 29.10.2015 को "रुग्ण /शुरुआती तौर पर रुग्ण और कमजोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को व्यवस्थित करने" पर दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अब उनके तहत कार्य कर रहे सीपीएसई के रुग्ण होने की निगरानी के लिए जिम्मेदार है,और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के साथ, ऐसे रुग्ण/ हानिग्रसित /सीपीएसई के पुनरुद्धार/पुनर्गठन/विनिवेश के लिए समय पर निवारण उपाय कर सकता है।'

16. समिति ने अपनी प्रारंभिक सिफारिश में अनेक उदाहरण नोट किए जब सरकारी निवेश / सहायता घाटे में चल रहे पीएसयू को समय से नहीं प्राप्त हुई जिसके कारण पीएसयू की वस्तु सूची (इंवेन्ट्री) पुरानी पड़ गई। समिति ने इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएल) की कोटा इकाई का उदाहरण दिया था जिस इकाई के कर्मचारियों की बकाया राशि का पूर्ण भूगतान नहीं किया गया था। समिति ने एमटीएनएल का भी उदाहरण दिया जिसकी देयताओं का चार वर्षों तक भी समाधान नहीं हआ था तथा बीएसएनएल का जीएसएम में इसलिए पिछड़ जाना कि सरकार ने खरीद के निर्णय में विलंब किया । एफएसीटी के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उदयमों संबंधी पुनर्गठन बोर्ड (बीपीआरएसई) के समक्ष पुनः उद्धार संबंधी 2013 के प्रस्ताव में विलंब के कारण कंपनी के समक्ष अत्यधिक वित्तीय परेशानी के कारण उर्वरक उत्पादन 2015-16 में बंद करना पड़ा । सरकार ने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि कोटा इकाई को बंद करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है तथा मात्र सात कर्मचारियों के सभी का बकाया भुगतान कर दिया गया है । एमटीएनएल एवं बीएसएनएल के बारे में बताया गया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है | एफएसीटी के बारे में समिति को बताया गया कि नीति आयोग ने "उर्वरक विभाग की अन्य उर्वरक इकाइयों के साथ एमएफएल और एफएसीटी के विलय की व्यवहार्यता और एफएसीटी और एमएफएल के वित्तीय पुनर्गठन/ पुनरुद्धार के लिए विकल्प पर" मसौदा अध्ययन रिपोर्ट सौंप दी है । तथापि समिति पाती है कि भावी कार्य योजना स्पष्ट नहीं है क्योंकि 16 नवम्बर, 2018 की बैठक में किसी प्रतिभागी अर्थात् उर्वरक इकाइयों ने एफएसीटी / एमएफएल के साथ इनके निगेटिव नेट वर्थ के कारण विलय / आमेलन की रूचि नहीं दिखाई है | समिति इस बारे में स्पष्टीकरण तथा इस संबंध में अंतिम रूप से की गई कार्रवाई का ब्यौरा जानना चाहेगी।

17. समिति ने देखा कि डीपीई सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बीएसएनएल 14904 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक हानि वाला सीपीएसयू है । इसी प्रकार एमटीएनएल का घाटा 3390 कराड़ रुपये है । वर्ष 2018-19 में बीएसएनएल और एमटीएनएल का घाटा समस्त सीपीएसय के घाटे का 57.83 प्रतिशत है

। डीपीई के द्वारा पूछे जाने पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने बताया कि कभी-कभी अंतर मंत्रालयीय परामर्श किया जाता है, परतु ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की निगरानी डीएचआई की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में की जाती है । डीपीई ने बताया कि 7.10.2015 को बीआरपीएसई को समाप्त किए जाने के बाद इसके द्वारा 29.10.2015 को दिशानिर्देश जारी किए गए जो "रूग्ण / प्रारंभिक अवस्था में रुग्ण और कमजोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन तत्र को सुचारू करने " से संबंधित है | दिशा निर्देश के तहत संबंधित मंत्रालय / विभाग उनके अंतर्गत सीपीएसई की रूग्णता की निगरानी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रूग्ण / घाटे में चल रहे सीपीएसई के पुनरुद्धार /पुनर्गठन / विनिवेश की जिम्मेदारी अब उन पर है । समिति को यह भी पता चला है कि मंत्रिमंडल ने 26.10.2019 को कर्मचारी लागत में कमी, 4जी सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, सोवरेन गारंटी बांड्स, आस्तियों के मौद्रिकरण और सैद्धांतिक तौर पर बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के अनुमोदन के द्वारा एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया है । चूंकि घाटे में चल रहे सीपीएसयू में सर्वाधिक घाटा बीएसएनएल और एमटीएनएल का है, समिति की इच्छा है कि इन सीपीएसयू के निर्णय को समयबद्ध रूप से लागू किया जाए ताकि और घाटा न हो । समिति बीएसएनएल और एमटीएनएल संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णय की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहेगी और यह इच्छा व्यक्त करती है कि भारी उद्योग विभाग में प्रत्येक सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) के तर्ज पर सभी मंत्रालयों और विभागों में भी की जाए ताकि महत्वपूर्ण प्रस्तावों की नियमित रूप से निगरानी कर महत्वपूर्ण मुद्दों का समय से समाधान किया जाए ।

18. प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत कारणों से रुग्ण पीएसयू की चिंताओं को दूर करने में अत्यधिक विलंब जिसके कारण वस्तु-सूची की गुणवत्ता एवं मूल्य में और कमी को देखते हुए समिति ने विशेषज्ञों की राय को उल्लेख करते हुए मूल प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की थी कि " सरकार पुनर्गठन, आस्तियों के मौद्रिकरण, प्रौद्योगोकिय उन्नयन आदि वर्गीकृत करे जिन पर घाटे में चल रहे पीएसयू के बोर्ड, प्रशासनिक मंत्रालय या विशेषज्ञ समूह के निर्णय को अंतिम मान कर तत्काल कार्य किया जाए । तथापि मंत्रालय ने इस सुझाव पर प्रतिक्रिया नहीं दी है । समिति ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर सीपीएसयू को रुग्ण इस लिए होने दिया गया कि उनकी समास्याओं के समाधान में अत्याधिक विलंब हुआ और इसलिए भी कि अनेक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना था । अत: समिति का मानना है कि किसी भी संगठन में एकल प्राधिकारी/स्तर की पहचान कर उसके निर्णय को अंतिम माना जाए । समिति इस मुद्दे पर अपनी सिफारिश को दोहराती है कि इस बारे में विशेषज्ञों की राय पर गंभीरता से विचार करे क्योंकि ऐसा करने से प्रक्रियागत विभिन्न स्तरों में कमी आएगी और रुग्ण पीएसयू के बारे में निर्णय में तेजी आएगी ।

<u>देयों/वीआरएस पैकेज के भुगतान में विलंब</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 15)</u>

19. समिति ने 24वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणी और सिफारिश की थी:

'समिति यह नोट कर अत्यंत क्षुब्ध है कि पीएसयू जैसे एचएमटी, आईएल, एचएएल, आरडीपीएल इत्यादि अपने कर्मचारियों को कई वर्षों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हैं। यही नहीं, इनमें से अधिकांश पीएसयू सरकार की सहायता के बिना इच्छुक कर्मचारियों को वीआरएस सुविधाओं का लाभ देने की स्थिति में भी नहीं हैं। समिति न केवल बंद हो चुके/बंद होने वाले घाटे में चल रहे पीएसयू के कर्मचारियों के अंधकारमय भविष्य अपितु उनके आश्रितों, जो वेतन या वीआरएस

पैकेज प्राप्त न होने के कारण निरंतर रूप से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, को लेकर दुखी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि नीति आयोग ने न तो वीआरएस के प्रभावों का पूर्ण आकलन किया है और न ही इसने इन सीपीएसयू के बंद होने की स्थिति में किसी बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव किया है। समिति आगे यह पाती है कि इसमें घाटे में चल रहे पीएसयू के अधिकांश वे कर्मचारी हैं जो युवा आयु समूह के हैं और उच्च कौशल कार्यबल और योग्य पेशेवर होते हुए अपनी कंपनी का भविष्य बदलने के लिए कार्य करने हेतु उत्साही हैं, परंतु कार्यशील पूंजी की भारी कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। समिति महसूस करती है कि सरकार को ऐसे लंबित मुद्दों पर निर्दिष्ट समय-सीमा में गंभीरता से विचार करना चाहिए जिससे न केवल घाटे में चल रहे पीएसयू के कुशल कार्यबल का उपयोग हो सकेगा बल्कि उनके आश्रितों को भी दुख और निराशा के जीवन से बचाया जा सकेगा। संक्षेप में, समिति इस बात पर जोर देगी कि सरकार के लिए यह एक मानवीय मुद्दा है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के आश्रित तब सर्वाधिक पीड़ित होते हैं जब कोई पीएसयू अपनी तन्खवाह जारी करने/वीआरएस पैकेज पूर्ण करने में अक्षम हो/या जब कर्मचारी अपना रोजगार पीएसयू के बंद होने के कारण गंवा देते हैं। अतः समिति चाहती है कि घाटा उठाने वाले पीएसयू को देख रहे प्रशासनिक मंत्रालयों को अपने कर्मचारियों के बकायों को देने में विलंब नहीं करना चाहिए। सरकार को इसके लिए, यदि आवश्यक हो, तो नकदी सहायता को वरीयता देनी चाहिए। समिति चाहती है कि उसे कर्मचारियों के लंबित बकायों की पीएसयू-वार नवीनतम स्थिति, लंबितता की अवधि् और इसका निपटान करने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

20. भारी उदयोग और लोक उदयम मंत्रालय (लोक उदयम विभाग) ने , उपरोक्त मुद्दे पर बताया:

क) डीपीई ने 14 जून, 2018 को रुग्ण/घाटे पर चल रही सीपीएसई को समयबद्ध बंद करने पर और चल आर अचल संपत्तियों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बाता के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया था बंद किए जाने के मामले में, वीआराास/वीएसएस पैकेज को वर्ष 2007 के युक्तिगत वेतन मानों (इस तथ्य के बावजूद कि सीपीएसई वर्ष 1997 या 1992 के पूर्व संशोधित वेतनमान में हो सकते हैं) पर तैयार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे पैकेज हेतु पारिश्रमिक/वेतन इत्यादि के भुगतान के लिए ऐसी वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन को समयबद्ध तरीके से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई द्वारा तैयार किया जाएगा और इसके विवरणों को भारत सरकार से बजटीय अनुदान मांगने वाले कैबिनेट नोट में शामिल किया जाएगा। आगे, किसी सीपीएसई को बंद किए जाने पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरान्त वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के लिए समय-सीमा को भी उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निधि जारी करने हेतु निर्धारित किया गया है। नीति आयोग के स्तर पर एक निरीक्षण समिति को भी दिशानिर्देशों में सीपीएसई को बंद करने की स्थिति के संबंध में प्रदान किया गया है जिसमें इसमें सम्मिलित विभिन्न चरणों को भी शामिल किया गया है। एचएमटी, आईएल, एचएएल, आईडीपीएल और अन्य सीपीएसई के संबंध में, जिसे बंद करने के लिए निर्णय लिया गया है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों से कार्यालय ज्ञापन संख्या सीआरआर/02/13/0024/2014जेएस (वीआरएस) दिनांक 7.2.2019 के माध्यम से बकाया राशि का विवरण मांगा गया है।

ख) समिति के अवलोकन को घाटे पर चल रही सीपीएसई के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में लाया गया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग, वाणिज्य विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग और कोयला

मंत्रालय,उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय,सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय और उर्वरक विभाग से प्राप्त जवाब को अनुलग्नक-VIII में संकलित किया गया है।

21. समिति पाती है कि डीपीई ने रुग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई को समयबद्ध रूप से बंद करने और चल एवं अचल संपत्तियां के निपटान के लिए 14 जून 2018 को दिशानिर्देश जारी किए थे । दिशानिर्देश में नीति आयोग की निगरानी समिति का भी प्रावधान है जो सीपीएसई को बंद करने की स्थिति और इसमें शामिल कदमों की भी निगरानी करेगी । तथापि, दिशानिर्देशों और नीति आयोग के स्तर पर निगरानी समिति के प्रावधान के बावजूद, समिति, डीपीई द्वारा उत्तर के अनुबंध-आठ में दी गई जानकारी से पाती है कि यद्यपि अधिकतर सीपीएसयू ने इस दिशा में सही कदम उठाए हैं परंतु कुछ सीपीएसयू के कुछ कर्मचारियों का बकाया का अंतिम रूप से निपटान बाकी है । भेषज विभाग ने 05 फरवरी, 2019 को एक मंत्रिमंडल नोट भेज कर बंद किए जाने के तहत (आईडीपीएल और आरडीपीएल) सीपीएसई की देयताओं के भुगतान हेतु ऋण के रूप में अपफ्रंट बजटीय सहायता और केन्द्र सरकार के ऋण (मूल तथा ब्याज) को भी माफ किए जाने की मांग की थी । रणनीतिक विनिवेश (हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स) वाले सीपीएसई के बारे में बजटीय सहायता कर्मचारियों की बकाया राशि, वीआरएस, बैंकों के साथ एस मुशत समाधान और केन्द्र सरकार के ऋण को माफ करने लिए मांगी गई है । इसी प्रकार मैसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी (बीसीएल), एचएमटी वाचेज (रानीबाग), एयर इंडिया, हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन, बिरसा स्टोन लाइम कं. लि. (बीएसएलसी) कर्मचारियों का बकाया अभी भी लंबित है । समिति की इच्छा है कि इन सीपीएसयू कर्मचारियों की बकाया राशि का अंतिम समाधान शीघ्र किया जाए, और की गई कार्रवाई तथा नवीनतम स्थिति के बारे में समिति को बताया जाए ।

<u>डीपीई की सीआरआर योजना</u>

<u>सिफारिश (क्रम सं. 16)</u>

22. समिति ने 24वें प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पण और सिफारिश का थी:

बंद हुए सीपीएसयू के प्रभावित/हटाए गए कर्मचारियों के पुनर्वास के संबंध में, समिति यह नोट करती है कि डीपीई सीआरआर 1/4परामर्श, पुनःप्रशिक्षण और पुनःनियोजन1/2 योजना 2001-02 से कार्यान्वित कर रही है, जो राष्टींय कौशल विकास निगम का सहयोग लेने के लिए 2016 में संशोधित की गई थी। यद्यपि समिति इस योजना के वास्तविक परिणाम और घाटा उठाने वाली पीएसयू के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों से अवगत होना चाहेगी, तथापि वह वाणिज्यिक कंपनियों के उन प्रभावित/हटाए गए कर्मचारियों के संबंध् में कौशल विकास की प्रासंगिकता नहीं देखती है, जिनके पास उच्च तकनीकी योग्यताएं हैं और जो अब युवा आयु समूह में नहीं आते हैं, चूंकि अब सरकार के विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे प्रधनमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प, उड़ान इत्यादि का मूलउद्देश्य वृहत्त रूप से युवा आबादी/निरक्षरों/नवसाक्षरों/स्कूल छोड़ चुके/स्नातक इत्यादि को विभिन्न कार्यों/कौशलों में प्रशिक्षित करना है। ज्यादा से ज्यादा पीएसयू के संविदा कर्मचारी सीआरआर के अंतर्गत अतिरिक्त या संवरध्त कौशल प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं जो उनके लिए नए और बेहतर रोजगार अवसरों को खोलता है। समिति महसूस करती है कि सीआरआर योजना की संभावना को ऐसे कर्मचारियों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाना चाहिए चूंकि सीआरआर योजना वर्तमान में केवल कर्मचारियों पर लागू है और वीआरएस चुनने वाले के एक आश्रित पर लागू है, यदि वीआरएस चुनने वाले अनिच्छुक हैं। समिति को संदेह है कि क्या योजनांतर्गत प्रशिक्षित कर्मचारी का पुनरध्नयोजन घाटा उठाने वाले

पीएसयू के कर्मचारियों के लिए लाभकारी साबित हुआ या नहीं, चूंकि सीआरआर योजना इसकी गारंटी नहीं देती। वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 1576 उम्मीदवारों में से मात्र 887 व्यक्ति अर्थात मुश्किल से 50: को स्व-रोजगार/दिहाड़ी रोजगार के अंतर्गत पुनरव्रनयोजित किया जा सका। अतः, समिति चाहती है कि डीपीई द्वारा इस संबंध् में कि इन पहलुओं को एनएसडीसी के सहयोग से सीआरआर योजना को संशोध्ति करते समय ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं तथा घाटे में चल रहे पीएसयू के कर्मचारियों पर सीआरआर योजना का क्या प्रभाव पड़ा है, एक विस्तृत टिप्पण भेजा जाए।

23. भारी उद्योग और लोक उदयम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) ने उपरोक्त पर बताया:

क) 2016-17 के पूर्व, सीआरआर स्कीम को देश के विभिन्न भागों में कर्मचारी सहायता कन्द्र (इएस माध्यम से नोडल एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित किया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमशालता (एमएसडीई) ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास य सापाचयन म एकरूपता और मानकीकरण लाने के क्रम में दिनांक 15.07.2015 को सामान्य नियमा पा अधिसूचित किया।

ख) तदनुसार, प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क ने विस्तार करने के मद्देनजर और साथ ही प्रशिक्षण, डिज़ाइन और डिलिवरी के मानकीकृत वर्गीकरण का अनुपालन करने के लिए अब कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से सीआरआर स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। एनएसडीसी के सामान्य नियमों के अनुसार वीआरएस विकल्पधारियों/उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ग) एक सुविधाप्रदाता होने के नाते, एनएसडीसी यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम योग्यता पैक (क्यूपी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) के अनुसार हों, जिनके मानकों को सेक्टर स्किल्स काउंसिल (एसएससी) द्वारा प्रमाणन मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एनओएस) कार्यस्थल में विशेष कार्यकलाप करने के दौरान कार्यनिष्पादन, जानकारी और समझ के मानक का उल्लेख करता है और जबकि योग्यता पैक एनओएस का एक सेट है जो प्रत्येक उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध कार्यभूमिका को सुयोजित करता है। यह सीआरआर स्कीम के अंतर्गत पुनर्नियोजिता को संवर्धित करने में भी सहायता करता है।

घ) पूर्व में, सीआरआर स्कीम का लाभ केवल वीआरएस विकल्पधारियों को ही उपलब्ध था। अब स्कीम का लाभ वीआरएस विकल्पधारियों के आश्रितों को भी पहुंचाया जा सकता है यदि वीआरएस विकल्पधारी स्कीम को लेना न चाहें तो। इस संसोधन ने युवा पीढ़ी में कौशल को तीव्रता से सीखने और प्राप्त करने के कारण कवरेज का विस्तार करने और साथ ही सीआरआर के अन्तर्गत पुर्ननियोजन के अवसरों को भी बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, जबकि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित वीआरएस विकल्पधारियों के मामले मेंमाइक्रोक्रेडिट और वित्त एक चुनौती है, यह आश्रितों के मामले में तुलनात्मक रुप से आसान है।

ड) सीआरआर योजना का लक्ष्य समह काफी विशिष्ट है और सरकार की अन्य कौशल विकास योजनाओं से अलग है। वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुनने वाले कई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु से अधिक के हैं। लक्ष्य समूह की इस विशिष्ट प्रकृति के चलते, सीआरआर योजना के अंतर्गत पुनर्नियोजन की दर महत्वपूर्ण है। तथापि, पुर्ननियोजन प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सीआरआर स्कीम के अंतर्गत दीर्घअवधि सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ही आवासिय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इसे एनएसडीसी के साथ सतत रुप से अपनाया जा रहा है।

च) सीपीएसईज के संविदा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए समिति की सिफारिशों के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि मौजूदा नीति के अनुसार, सीआरआर योजना केवल सीपीएसईज के उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जो वीआरएस/वीएसएस के तहत पात्र होते और अलग किए जाते हैं, और इस प्रकार सीआरआर स्कीम के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को शामिल करना व्यवहार्य नहीं होगा।

छ) इसके अतिरिक्त , जैसा कि पूर्व में प्रत्युत्तर के बिन्दु क्रमांक 15 पर उल्लिखित है, वीआरएस/वीएसएस पैकेज को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 14.06.2018 में उल्लेख किया गया है कि बंदी के अधीन सीपीएसईज में वीआरएस/वीएसएस पैकेज को वर्ष 2007 के अनुमानित वेतन-मानों (इस तथ्य के बावजूद कि सीपीएसई वर्ष 1997 या 1992 इत्यादि के पूर्व-संशोधित वेतनमान में हो सकते हैं) के आधार पर तैयार किए जाएंगे। सीआरआर योजना का लाभकारी कौशल प्रशिक्षण लाभ कर्मचारी या उसके आश्रित को एक अतिरिक्त ऐड-ऑन लाभ है।

24. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि परामर्श, पुन: प्रशिक्षण, पुन:नियोजन (सीआरआर) योजना में सीपीएसई के संविदा कर्मचारियों को शामिल किया जाए । डीपीई ने बताया कि विद्यमान नीति के तहत सीआरआर योजना सीपीएसई के मात्र उन कर्मचारियों पर लागू है जिन्होंने वीआरएस/वीएसएस लिया है, तथा सीआरआर योजना में संविदा कर्मचारियों को शामिल करना संभव नहीं होगा । डीपीईने यह भी बताया कि सीआरआर योजना का लक्ष्य समूह आति विशिष्ट है और सरकार की अन्य कौशल योजनाओं से भिन्न है । यह भी बताया गया कि अधिकतर वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी 50 वर्ष से अधिकके हैं और लक्ष्य समूह का सीआरआर योजना के तहत पुन: नियोजन एक चुनौती है । समिति को पूर्व में प्रस्तुत रोजगार आंकड़ों के अनुसार 2016-17 में प्रशिक्षित 1576 कर्मचारियों में से मात्र 887 को पुन: नियेाजित किया जा सका। इस बात के मद्देनजर समिति का मानना है कि यदि सीआरआर योजना के तहत बीआरएस/वीएसएस वाले सभी कर्मचारियों का लाभप्रद पुन:नियोजन नहीं होता है तो सीआरआर उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है । समिति ने देखा कि वीआरएस/वीएसएस लेने वाले कर्मचारियों की अनेक वर्षों की नौकरी हो चुकी है और अपना कार्य कुशलता से करने के लिए उनके पास आवश्यक कौशल है । अधिकतर वीआरएस/वीएसएस लेने वाले 40 और 50 के उत्तरार्द्ध में हैं जिन्हें निजी कंपनियां उनके प्रशिक्षण और कौशल के बावजूद इन्हें नियुक्त करने संबंधी उच्च लागत और आयु के कारण रोजगार प्रदान न करें । अत: सीआरआर योजना के तहत प्रशिक्ष प्राप्त करने वाले सभी को पुन: रोजगार नहीं मिया होगा । स्व:रोजगार भी बहुत कम कर्मचारियों ने आरंभ किया होगा क्योंकि इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है । समिति ने इस संदर्भ में सुझाव दिया था कि सीआरआर योजना इन रुग्ण पीएसयू के संविदा कर्मचारियों के लिए भी आरंभ की जाए ताकि वे अन्य स्थान पर लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकें । अत: मूल प्रतिवेदन में इस बारे में अपनी सिफारिश दोहरातेहुए समिति का सुझाव है कि सीआरआर योजना रुग्ण पीएसयू के संविदा कर्मचारियोंके लिए भी मान्य होनी चाहिए, और आवश्यक होने पर संबंधित दिशानिर्देशों को समुचित रूप से संशोधित किया जाए ताकि वे भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम और उद्यमशीलता योजना से लाभांन्वित हो सकें ।

25. समिति ने मूल प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की थी कि विस्तृत नोट में सीआरआर योजना के वास्तविक निष्कर्ष तथा घाटे में चल रहे पीएसयू के पृथक हुए कर्मचारियों को हुए लाभ के बारे में

बताया जाए । तथापि समिति ने देखा कि मंत्रालय द्वारा वांछित विस्तृत नोट सौंपा नहीं गया है । मंत्रालय के उत्तर के अनुसार सीआरआर योजना को वर्ष 2001-02 में आरंभ कर 2016में संशोधित किया गया था । समिति का मत है कि चूंकि सीआरआर योजना पिछले 20 वर्षों से लागू है अत: अब समय आ गया है कि रुग्ण पीएसयू के पृथक हुए कर्मचारियों को इसके लाभ का तथ्यपरक मूल्यांकन किया जाए । अत: समिति की इच्छा है कि मंत्रालय योजना का आवश्यक तथ्यपरक मूल्यांकन कर समिति को शीघ्र आवश्यक विस्तृत नोट भेजे । समिति की इच्छा है कि इस योजना का कार्य निष्पादन मूल्यांकन नियंत्रक महालेखपरीक्षक द्वारा भी किया जाए ताकि योजना की उपयोगिता का ज्ञात हो।

<u>एनबीसीसी के माध्यम से घाटे में चल रहे पीएसयू की अधिशेष भूमि और आस्तियों की बिक्री</u>

<u>(सिफारिश क्रम सं. 17)</u>

26. समिति ने 24वें प्रतिवेदन में निम्नवत् टिप्पण व सिफारिश की थी:

(क) अधिकांश सीपीएसयू के पास महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़ी एकल प्रकार की एकीकृत उत्पादन सुविधएं हैं। यद्यपि, घाटे में चल रहे सीपीएसयू के पास अपनी अध्शेष भूमि और आस्तियों को स्वयं मुद्रीकृत करने की शक्ति नहीं है, समिति नोट करती है कि, चूंकि इनमें से अध्कांश पीएसयू के पास देश में महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात् मुंबई, दिल्ली, जयपुर, ऊटी इत्यादि में अत्यध्कि आस्तियां थीं, अतः सरकार ने निर्णय लिया कि घाटा उठाने वाली कंपनियों में उत्पादन बंद होने/उसमें मंदी को देखते हुए उन्हें अपनी ऐसी अतिरिक्त भूमि/संपत्ति, आस्तियों की पहचान करनी चाहिए और उनका ब्यौरा साझा करना चाहिए जो बेकार पड़ी हैं और जिनके माध्यम से पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। समिति आगे नोट करती है कि नेशनल बि ल्डग कंस्टंक्शन कॉर्पोरेशन 1/4एनबीसीसी1/2 जो सरकार द्वारा भूमि प्रबंधन संस्था एलएमए के रूप में नियुक्त की गई थी, को एनबीसीसी द्वारा सभी 74 घाटा उठाने वाले पीएसयू को भेजे गए ईओआई के जवाब में अब तक मात्र 10 घाटा उठाने वाली पीएसयू के द्वारा संबंध्ति कार्य में लगाया गया है। 28 ऐसी पीएसयू ने कथित रूप से एनबीसीसी के ईओआई को नकार दिया है। समिति ने एमटीएनएल, एयर इंडिया, एचएमटी वॉचेज और आईएल के स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों, जो सभी बिक्री/पुनरुवकास के विभिन्न चरणों में हैं, यद्यपि किसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, के ब्यौरों की जांच की।

जांच से समिति ने पाया कि घाटा उठाने वाले सीपीएसयू की आस्तियों की मुद्रणीकरण प्रक्रिया तेज प्रगति नहीं कर रही है, चूंकि इन संपत्तियों ने संभावित क्रेताओं के मध्य आवश्यक रुचि सृजित नहीं की है। एक उदाहरण के लिए, भेषज विभाग ने समिति को सूचित किया कि एचएएल, आईडीपीएल और बीसीपीएल की अध्शेष भूमियों की ई-नीलामी हेतु निविदाएं नीलामी संस्थाकृमैसर्स एमएसटीसी के पोर्टल पर मई, 2017 से अपलोड कर दी गई है और विभाग द्वारा गत वर्ष में प्रत्येक सरकारी विभाग, राज्य सरकारों, 24 अग्रणी सीपीएसयू और 7 बीमा कंपनियों को तीन बार पत्र भेजे जाने तथा बोलियों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने के बाद भी अब तक एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई। विभाग द्वारा समिति को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि भेषज कंपनियों की भूमि और आस्ति की बिक्री हेतु बोलियों के संबंध् में उचित प्रतिक्रिया न मिलने के दृष्टिगत उनकी देयताओं को पूरा करने में विलंब हो रहा है जिससे आईडीपीएल और आरडीपीएल को बंद करने/एचएएल और बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री में विलंब हो रहा है। इसके अलावा, जैसा कि एनबीसीसी ने बताया है, घाटे में चल रहे अधिकांश पीएसयू ने उसकी सेवाओं को लेने से इंकार कर दिया है।

''(ख)समिति की राय में घाटा उठाने वाली पीएसयू की अमूर्त आस्तियों के मुद्रीकरण का कार्य एक जटिल मामला है और उसमें विशेषज्ञाता की आवश्यकता है। यही नहीं, सीएंडएजी ने 2016 के अपने प्रतिवेदन संख्या 40 में बताया कि एअर इंडिया लि॰ आस्तियों के अनुचित चयन जो मुद्रीकरण की वास्तविक व्यवहार्यता पर आधरित नहीं था, के कारण अपनी आस्तियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। साथ ही, इसने अपनी सिफारिश में इस ओर इंगित किया कि पीएसयू की आस्तियों के करार समझौतों में बाध्यकारी उपबंध/शर्तें थीं और समुचित हक विलेख नहीं थे जिससे उनका मुद्रीकरण प्रभावित हुआ है। अतः समिति यह चाहती है कि सरकार घाटा उठाने वाली पीएसयू की भूमि और आस्तियों की बिक्री/मुद्रीकरण पर उनकी नीति की समीक्षा करते समय इन पहलुओं पर ध्यान दे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि ऐसे निर्णय मौजूदा भूमि अर्जन कानूनों के अनुसार हों। इसके अलावा समिति घाटा उठाने वाली पीएसयू की भूमि सहित आस्तियों की मुद्रीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर देना चाहेगी। घाटा उठाने वाली पीएसयू की भूमि बिक्री के संबंध् में समिति इस बात से अवगत होना चाहेगी कि क्या सरकार ने घाटे में चल रहे ऐसे पीएसयू जिनका पुनरुद्धार किया जाना है और जिन्हें बंद नहीं किया गया है, द्वारा वर्तमान में बिक्री हेतु चिन्हित भूमि और आस्तियों के संबंध में भावी आवश्यकताओं का पता लगाया है क्योंकि इस स्तर की आस्तियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर पुनः अख्रजत करना भविष्य में आसान नहीं होगा ।

27. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) ने उपरोक्त विषय पर बताया:

''(क) समिति की टिप्पणी/सिफारिश वर्ष 2016-17 में घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित है। लोक उद्यम विभाग ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग (आईडीपीएल, आरडीपीएल, एचएएल और बीसीपीएल के संबंध में), रसायन एवं पेट्रो -रसायन विभाग (हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान फ्लयूरो कार्बन्स लिमिटेड के संबंध में), रेल मंत्रालय (मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के संबंध में), कोयला मंत्रालय (भारत कोकिगं कोल लिमिटेड और वैस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड के संबंध में), भारी उद्योग विभाग (हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, एचएमटी बियरिंग लिमिटेड, एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड और तुगंभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड के संबंध में), रक्षा उत्पादन विभाग (बीईएल -- थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड) और उर्वरक विभाग (प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के बारे में) ने इस संबंध में जबाव दिया है। जबाव से संबंधित सार अनुलनग्क --- IX में दिया गया है।

(ख)(क) बंद किए जाने पर डीपीई के दिशानिर्देश दिनांक 14.06.2018 को 53 मंत्रालयों/विभागों/सरकारी निकायों के अंतर-मंत्रालयीन परामर्श के उपरान्त तैयार किया गया था, जिसमें व्यय विभाग, डीईए, और डीआईपीएएम भी शामिल थे। दिनांक 14.06.2018 को डीपीई द्वारा जारी समापन दिशानिर्देश के अनुसार, भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) सीपीएसई है, जैसा कि एनबीसीसी/ईपीआईएल को भूमि के निपटान के प्रबंधन, रखरखाव और सहायता के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है। एलएमए के कार्यों को समापन दिशानिर्देशों के पैरा 5 में दिया गया है।

(ख) इसके अलावा, दिनांक 14.06.2018 को डीपीई द्वारा जारी समापन दिशानिर्देश यह भी उल्लेख करता है कि यदि सीपीएसई किसी अन्य सीपीएसई की एक सहायक है और यदि परिसंपत्तियों की

आवश्यकता ऐसे धारक कंपनी द्वारा है, तो बही मूल्य पर धारक कंपनी को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श में इन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिसंपत्ति की आवश्यकता होती है, तो इसे उन्हें बही मूल्यों पर हस्तांतरित किया जा सकता है। शेष परिसंपत्तियों के संबंध में बाद के पैरा, अर्थात 4.2 और 4.3 में उल्लिखित दिशानिर्देश लागू होंगे।

(ग) दिशानिर्देशों में बंद की जाने वाली सीपीएसईज की भूमि के उपयोग के संबंध में प्राथमिकता प्रदान की गई है जो कि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्तता के मामले में देश भर में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए होगी। किफायती आवास के लिए पहचान की गई भूमि को इस संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और शेष भूमि सार्वजनिक अधिकारियों को नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार बेची जा सकेगीः

(i) केंद्र सरकार के विभाग

(ii) राज्य सरकार के विभाग

(iii) केंद्र सरकार के निकाय/सीपीएसईज एवं राज्य सरकार के निकाय/पीएसईज

(घ) भूमि को केन्द्रीय अथवा राज्य पीएसईज/निकायों/प्राधिकरणों को बेचे जाने के मामले में, भौतिक प्रारूप में अथवा ई-प्लैटफार्म के जरिए एक सीमित बोली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यदि उपरोक्त प्रक्रिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के मामले में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ, अचल संपत्ति का निपटान किसी भी संस्था को नीलामी एजेंसी के माध्यम से एक पारदर्शी प्रक्रिया में किया जाना चाहिए।

28. समिति नोट करती है कि सरकार द्वारा एनबीसीसी /इपीआईएल को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) नियुक्त करने और अपने श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद घाटे में चल रहे पीएसयू की परिसंपत्तियोंने संभावित क्रेताओं में खास रुचि नहीं पैदा की है । विलंब या क्रेताओं में रुचि की कमी के कारण घाटे में चल रहे पीएसयू को अपनी देयताओं को पूरा करने में कठिनाई आ रही है । अपने उत्तर के अनुबंध-नौ में डीपीई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आईडीपीएल और आरडीपीएल की अतिरिक्त भूमि की बिक्री अभी नहीं हुई है । इसी प्रकार रेल मंत्रालय के बने स्टैन्डर्ड कंपनी लि. की भूमि की बिक्री नहीं हो पाई क्योंकि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने रोक लगा रखी है। हिन्दूस्तान केबल्स लि., इंस्ट्रूमेंटेशन लि. की भूमि/परिसंपत्तियों की भी बिक्री नहीं हो पाई है । समिति की इच्छा है कि घाटे में चल रहे सीपीएसयू की भूमि के निष्पादन/मौद्रीकरण में तेजी लाई जा सके ताकि घाटे में चल रहे सीपीएसयू को शीघ्र बंद किया जा सके और उनकी देयताओं को शीध्र चुका दिया जाएगा । तथापि, समिति ने देखा कि भारी संख्या में सीपीएसयू को मुख्य शहरों से बहुत दूर स्थापित किया गया था, परन्तु तेजी से शहरीकरण के कारण अब से सीपीएसयू शहरी सीमा में आ गए हैं और उनकी भूमि की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है । इसके अतिरिक्त, सीपीएसयू की स्वामित्व वाली भूमि अन्यथा भी उनकी बहुमूल्य स्थिर परिसंपत्ति है इसलिए समिति पुन: जोर देती है कि घाटे में चल रहे सीपीएसयू की भूमि के निपटान/मौद्रीकरण के प्रस्ताव को अंतिम रूप देते समय सरकार को बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इतने बड़े भू-खंड ऐसे/इसी प्रकार के स्थान पर भारी लागत या ऐसे स्थानों में भूमि की अनुपलब्ता के कारण खरीदना संभव नहीं होगा ।

*****

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

घाटे का समग्र परिदृश्य

सिफारिश (क्रम सं1)

समिति यह नोट करती है कि पिछले सात दशकों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भौतिक परिसंपत्तियों के साथ-साथ उन्होंने मानव संसाधन, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान इत्यादि के क्षेत्र में क्षमताओं का विकास किया है और हमेशाकृराष्टींय प्राथमिकताओं को तरज़ीह दी है। समिति आगे यह नोट करती है कि लोक उद्यम विभाग 1/4डीपीई1/2 के सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार सभी सीपीएसयूज़ में 31.03.2016 के 11,61,019 करोड़ रुपए की तुलना में 31.03.2017 को 12,50,373 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय निवेश किया गया है जो 7.70. की वृद्धि दर्शाता है। जहां तक घाटे में चल रहे 77 सीपीएसयूज़ में कुल निवेश का संबंध है, डीपीई द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में यह 1,36,673.05 करोड़ रुपए था और इन घाटे में चल रहे 77 सीपीएसयू में संचित हानि 1,18,556.89 करोड़ रुपए थी। जहां तक कार्य-निष्पादन का संबंध है, डीपीई के सर्वेक्षण से पता चला है कि वर्ष 2015-16 की 17,64,232 करोड़ रुपए की कुल आय की तुलना में 2016-17 में सभी सीपीएसयूज़ की कुल आय 18,21,809 करोड़ रुपए रही जो मात्र 3.26. की वृद्धि दर्शाता है। लाभ अर्जित कर रहे 174 सीपीएसयूज़ के लाभ में 2016-17 में 5.28. की वृद्धि देखी गई। यद्यपि घाटे में चल रहे 82 सीपीएसयू में 2016-17 में घाटे में 18.58. की कमी देखी गई, तथापि यह 25,045 करोड़ रुपए रहा और घाटे में चल रहे सीपीएसयू की संख्या 2015-16 के 79 से बढ़कर 2016-17 में 82 हो गई है।

डीपीई के सर्वेक्षण 1/42016-171/2 में दिए गए सीपीएसयूज़ के लाभ और घाटे से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से समिति यह पाती है कि जहां खनन, विद्युत, इस्पात तथा पेटोंलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ क्षेत्रों में कार्यरत सीपीएसयूज़ बाजार में प्रमुख स्थान बनाए हुए हैं, वहीं अधिकांश अन्य क्षेत्रों के सीपीएसयूज़ पिछले वर्षों से निरंतर घाटे में चल रहे हैं। वर्तमान में सीपीएसयू के कार्य-निष्पादन का समग्र परिदृश्य काफी धीमा है। डीपीई सर्वेक्षण 1/42016-171/2 के अनुसार, सीपीएसयू के क्षेत्र-वार अनुपात से समिति यह पाती है कि दो मुख्य क्षेत्रों यथा कृषि और सेवाओं में प्रचालनरत सीपीएसयू में चौंकाने वाली प्रवृत्ति देखी गई है। कृषि क्षेत्र के सीपीएसयू में कुल मूल्य पर रिटर्न, इक्विटी पर रिटर्न, परिसंपत्तियों पर रिटर्न, नेट प्रोफिट मार्जिन और पीबीआईटी मार्जिन का अनुपात ज्यादातर ऋणात्मक अर्थात् क्रमशः -11.82., -11.82., -2.08., -3.08., और मात्र -5.61., है। 2016-17 में इन मानदंडों पर सेवा क्षेत्र के सीपीएसयू का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है और इनके आंकड़े क्रमशः 5.27., 5.26., 1.20., 3.99., और 12.31. रहे हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में सीपीएसयू का कुल मूल्य पर रिटर्न मात्र 13.53 प्रतिशत तथा खनन और अन्वेषण क्षेत्र में मात्र 15.53. था, बावजूद इसके कि डीपीई द्वारा इन दोनों सीपीएसयू को उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने वाली कंपनी कहा गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान सीपीएसयू को 25,045 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। समिति की राय में ये आंकड़े उस आरंभिक रुग्णता का सूचक हैं जिससे वर्तमान में अधिकांश सीपीएसयू जूझ रहे हैं और जिस प्रकार से उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में निजी और वाणिज्यिक रूप से चल रही कंपनियों की बेवजह तुलना की जा रही है। समिति विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित है कि सभी सीपीएसयू का परिसंपत्तियों पर रिटर्न -208. से लेकर अधिकतम 7.99. तक है जो सीपीएसयू के प्रबंधन द्वारा लाभ अर्जित करने हेतु अपनी परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता

को दर्शाता है। यह विशेष रूप से इस तथ्य के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वयं की बहुमूल्य भू-संपत्ति है और साथ ही साथ उन्हें सरकार का समर्थन भी प्राप्त है।

सरकार का उत्तर

क) समिति के मामले को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों /विभागों के संज्ञान में लाया गया है साथ ही डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.03.2019 के माध्यम से सीपीएसईज को समिति के अवलोकनों को ध्यान देने तथा आय सृजित करने हेतु अपनी परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए समुचित उपाय करने को कहा गया है।

ख) इस संबंध में परमाणु उर्जा विभाग ने कहा कि न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) की परिसमपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) वर्ष 2016-17 में 4% तथा 2017-18 में 5% था। आरओए में सुधार के लिए कार्य एनपीसीआईएल में सतत रुप से किया जाने वाला प्रयास है। यह भी कहा गया है कि सामान्य रुप से बिजली क्षेत्र की कम्पनियां चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र की हों या निजी क्षेत्र में हों. उनका आरओए देश में बिजली उत्पादन तथा विनियमित वित शुल्कों के कारण सेवा, मैन्यूफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है।

(भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का.ज्ञा.सं. डीपीई/6(160)/2018/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019)

दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम सं. 2)

(क) समिति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना कुछ व्यापक समष्टि अर्थव्यवस्था संबंधी और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु की गई थी और इसलिए इनकीतुलना वाणिज्यिक रूप से चल रही कंपनियों से नहीं की जानी चाहिए। यहीं नहीं, निःसन्देह यह सीपीएसयू की जिम्मेदारी थी कि वह रोजगार सृजन के लिए देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे और वहां पर आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करे ताकि अन्य लोग वहां पर उपक्रम आरंभ कर सकें। समिति का यह मानना है कि सीपीएसयू इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं। स्वतंत्रता के समय वास्तव में इस बात की आवश्यकता थी कि सरकार द्वारा उद्योगों को चलाने के लिए पीएसयू की स्थापना की जाए क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि आधारित था। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुए काफी समय बीत चुका है और समिति की जांच से यह पता चला है कि अधिकांश पीएसयू जिन पर पहले से ही अधिक दक्ष बनने का दबाव है, का मार्जिन उनके निजी समकक्षों जो कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी व्यवसाय चलाने में अधिक सक्षम हो चुके हैं, की तुलना में काफी कम है। डीपीई ने भी अपने सर्वेक्षण 1/42016-171/2 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि अधिकांश सीपीएसयू जो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और मुक्त होने के साथ विकसित नहीं हो पाए, शीघ्र ही निजी कंपनियों के सामने हार गए। दूरसंचार क्षेत्र के पीएसयू 6-7 बड़े निजी आपरेटरों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। भेषज क्षेत्र में कार्यरत पीएसयू जैसे हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, आईडीपीएल इत्यादि को भी विदेशी कंपनियों और विशेषकर चीनी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। हल्के और भारी इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में सेल जैसे पीएसयू में निरंतर प्रौद्योगिकी

उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वे बाजार की मांगों के अनुसार कार्य कर सकें और बहुराष्टींय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

समिति का यह मानना है कि सभी पीएसयू जिन्हें सरकार बनाए रखना चाहती है, को बेहतर प्रदर्शन करना होगा और समुचित अनुपात को बनाए रखना होगा ताकि वे अपनी क्षमताओं पर उपभोक्ता बाजार का विश्वास बरकरार रख सकें और इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बोर्डों द्वारा कारपोरेट शासन के सिद्धांतों को लागू किया जाए और उनका अनुपालन किया जाए। समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, निर्णय लेने में विलंब करने से बचना चाहिए और केवल चुनिंदा क्षेत्रों में पीएसयू को बनाए रखने की आवश्यकता का वास्तविक रूप में मूल्यांकन करना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि सरकार को चीन, स्वीडन, मलेशिया, वियतनाम या थाइलैंड जैसे देशों द्वारा अपने पीएसयू का प्रबंधन करने और अपने संबंधित देश के लिए उपयुक्त कुछ सफल मॉडलों चाहे यह होल्डिंग कंपनी मॉडल हो/वॉच डाग मॉडल का निर्माण हो/निजीकरण मॉडल हो अथवा ब्यूरोक्रेटिक इंसुलेशन और पारदर्शिता मॉडल हो, के आधार पर इनमें परिवर्तन करने हेतु अपनाए जा रहे कुछ वैश्विक मॉडलों की जांच करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

क) अभी हाल ही में प्रभावशील हुए कंपनी अधिनियम, 2013, में कार्पोरेट अभिशासन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं जो कि सीपीएसईज पर लागू होते हैं। डीपीई ने सीपीएसईज हेतु कार्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों को वर्ष 2010 से कार्यान्वित किया है। ये दिशानिर्देश बोर्ड, ऑडिट कमेटी, अनुषंगी कंपनियों, प्रकटीकरण, आचार संहिता और नैतिकता, समृद्ध प्रबंधन और अनुपालन जैसे मुद्दों को कवर करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉर्पोरेट अभिशासन के सिद्धांतों का पालन सीपीएसईज द्वारा किया जाता है, डीपीई द्वारा सीपीएसईज के लिए दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसईज की ग्रेडिंग की जा रही है, और इसने समझौता-ज्ञापन मूल्यांकन अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है।

भारत सरकार के कारोबार आबंटन तथा कारोबार संचालन नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं जो नियमित रुप से केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार नियमित रुप से निगरानी करते हैं। लोक उद्यम विभाग नोडल समन्वयकारी विभाग के रुप में काम करता है तथा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कुछ सीमा तक साम्यता लाने के लिए कार्य-निष्पादन सुधार तथा मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय प्रत्यायोजन एवं कार्मिक प्रबंधन आदि मामलों पर व्यापक नीतिगत निर्देश जारी करता है। लोक उद्यम विभाग के अलावा निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति विभाग (दीपम), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) तथा नीति आयोग द्वारा सभी वित्तीय मामलों पर जारी सभी दिशानिर्देशों का भी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

(दो) समिति यह पाती है कि अप्रैल, 2018 में डीपीई ने सीपीएसयू और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श किया था जो अंततः एक सीपीएसयू सम्मेलन में परिवर्तित हो गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की थी। इसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ सीपीएसयू में वित्तीय पुनर्गठन और नवाचार पर भी चर्चा की गई। समिति यह चाहती है कि सरकार द्वारा सीपीएसयू द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए डीपीई द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रगति के साथ-साथ इस मामले में हुई प्रगति के संबंध में विस्तृत टिप्पण उपलब्ध कराया जाए।

सरकार का उत्तर

(क) यह उल्लेख किया गया कि 9 अप्रैल 2018 को आयोजित सीपीएसईज कान्क्लेव में उद्धाधनका माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ सीपीएसईज हेत पांच चुनौतियों को भा सामना जैसे: (1) सीपीएसईज की भू-रणनीतिक पहँच को अधिकतम करना (ii) देश के आयात बलका (m) सापाएसईज के बीच नवाचार और अनुसंधान का एकीकरण), (iv) एकल विषय पर सीएसआर व्यय, और (V) देश के लिए नया विकास मॉडल/नमूना। सभी सीपीएसईज से अनुरोध किया गया था कि माननाय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित चुनौतियों तथा वे सीपीएसईज कान्क्लेव में सामने आए अन्य सुझावों को पूरा करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करें।

ख) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 05.11.2018 को सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सीपीएसईज Sलयम एव गस, कोयला, खनन, इस्पात, विद्यत, भारी उद्योग एवं रक्षा उत्पादन) की कार्य योजना की समासाक लिए एक बैठक आयोजित की गई। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग स्तर पर और इसके उपरान्त सीपीएसईज की कार्य योजनाओं कक प्रगति की वास्तविक समय अपलोडिंग और निगरानी की सुविधा के लिए डीपीई ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है और इस डैशबोर्ड पर सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसईज को अपने संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी को लगातार अपलोड करने के लिए कहा गया है। लगभग 140 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमाम दृष्टि डैशबोर्ड पर संबंधित कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित को पूरा करने से संबंधित जानकारी अपलोड की है। प्रधानमंत्री द्वारा ली गई बैठक की कार्य योजनाओं तथा निर्णय बिन्दुओं के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 9.5.2019 को सचिवों की समिति की एक बैठक आयोजित की गई तथा व्यापक रुप से यह निर्णय लिया गया है कि कार्य योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी सचिवाँ की समिति की भांति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती रहेगी।

(iii) सीपीएसयू द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति और उनके प्रचालन क्षेत्र में दूर-दराज के इंत्री के समावेशन के मुद्दे पर समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले एक विशेषज्ञ संगठन की राय थी कि सरकार के माध्यम के रूप में सार्वजनिक आवश्यकता की पूर्ति का कार्य सीपीएसयू द्वारा किए जाने के अपवाद स्वरूप मामलों में शामिल राशि की सरकार द्वारा सीपीएसयू को प्रतिपूर्ति की जाए। समिति इस संबंध में विशेषज्ञ संगठन की राय से सहमत है और चाहती है कि सरकार द्वारा इस पहलू पर विचार किया जाए।

सरकार का उत्तर

जैसा कि यह मामला नीति आयोग एवं व्यय विभाग से संबंधित है, डीपीई ने समिति के अवलोकनों पर उनके विचार मांगे हैं।

क) व्यय विभाग (डीओई) के विचारों का सार नीचे दिया गया है:

व्यय विभाग ने दिनांक 19.03.2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया है कि इस संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई पीएसयू के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। डीओई प्रस्ताव की जांच के बाद प्रशासनिक मंत्रालय को अपने विचार प्रस्तुत करता है। इस मामले में डीओई की भूमिका प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्तावों पर टिप्पणियों और सिफारिश तक सीमित है।

अतः व्यय विभाग की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि ऐसी संभाव्यता की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को व्यय विभाग के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव तैयार करना होगा।

(ख) नीति आयोग की सूचना प्रतीक्षित है। नीति आयोग से जवाब मिलने पर समिति को सूचित किया जाएगा।

समिति की टिप्पणिया

(प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 7, 8,और 9 देखे)

सीपीएइयू के कार्यकरण के संबंध में सरकार की भूमिका

(सिफारिश क्र सं 5)

चर्चा के दौरान, यह पता चला कि बदलते परिदृश्य में जहां निजी क्षेत्र कुछ सामरिक क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, और पीएसयू निजी क्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्धा के आगे टिक नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बदलते परिदृश्य में सीपीएसयू की आवश्यकता की समस्त अवधारणा की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

जैसे कि नीति आयोग द्वारा कहा गया है कि रणनीतिक क्षेत्रों में प्रचालनरत सीपीएसयू के अलावा अन्य सभी सीपीएसयू नीतिगत विनिवेश हेतु पात्र हैं। विशेषज्ञों ने भी समिति के समक्ष यह सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा केवल (i) रणनीतिक महत्ता के क्षेत्र में, (ii) ऐसी दुर्लभ परिस्थितियों जब निजी क्षेत्र के एकाधिकार का खतरा हो सहित बाजार के असफल होने की स्थिति में, अथवा (iii) कारपोरेट इकाई की स्वतंत्रता, प्रबंधकीय क्षमताओं और प्रतिक्रियात्मकता का प्रयोग करते हुए सरकार के कृत्यों का निर्वहन करने (जैसे कौशल विकास या रोजगार सृजन हेतु) के लिए ही नए सीपीएसयू के गठन पर विचार किया जाए। प्रमुख घाटे में चल रहे सीपीएसयू के समुचित विश्लेषण के पश्चात समिति सही प्रकार से कार्य न कर रहे सीपीएसयू को बनाए रखने के मुद्दे पर और बदलते बाजार परिदृश्य में नए सीपीएसयू का गठन करने के प्रश्न के संबंध में नीति आयोग और विशेषज्ञों की राय से सहमत है। समिति चाहती है सरकार द्वारा आवधिक रूप से,मान लिजिए प्रत्येक तीन वर्ष पर सीपीएसयू का पूर्ण मूल्यांकन किया जाए और तदनुसार समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

क) घाटे पर चल रहे सीपीएसईज के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में समिति के अवलोकन को डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से लाया गया है, ताकि समिति के अवलोकनों पर ध्यान दिया जा सके तथा समुचित उपाय किए जा सकें। इसके अलावा, नीति आयोग को समिति के अवलोकन के बारे में 21.1.2019 को सूचित किया गया है। इस संबंध में फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रेल मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, गृह कार्य मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से जवाब मिला है। **अनुलग्नक-II** में प्राप्त जवाबों का विवरण दिया गया है।

ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त,सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 29.10.2015 को सीपीएसईज के पुनरुद्धार/पुनर्गठन पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उनके अंतर्गत कार्य कर रहे सीपीएसईज के कार्यप्रदर्शन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, और समय-

समय पर हितधारकों के साथ परामर्श में उनके निवारण/पुनर्गठन/ विनिवेश/रूपण व हानिग्रस्त सीपीएसईज को बंद करने के लिए उपायों/योजनाओं पर कार्य करते हैं, और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त योजना को लागू करते।

(ii) टिप्पणी/ सिफारिश 24 वीं रिपोर्ट की श्रृंखला सं.5

समिति यह पाती है कि नीति आयोग ने अपने निवेदन में यह उल्लेख किया है कि जहां पर प्रतिस्पर्धी बाजार पहले से ही स्थापित हो चुके हैं वहां सरकार को सेवाओं और सामान के विनिर्माण/उत्पादन में कार्यरत नहीं होना चाहिए। समिति नीति आयोग के सझाव से सहमत है और यह मानती है कि सरकार का मक' अथवा 'सविधादाता' के रूप में कार्य करना चाहिए। समिति आगे यह भी पाती है कि आजक लगातार बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए, फिर चाहे वह बाजार हो, उपभोक्ता हो या प्रौद्योगिकी, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अतः किसी भी जीवंत क्षेत्र के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा एक कसौटी है। ऐसे मामलों में लाभार्थी अक्सर उपभोक्ता/ नागरिक होता है। समिति, सीआईआई द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत है कि जब तक किसी एक पक्ष को गलत तरीके से लाभ न पहुंचाया जा रहा हो और विनियामक बाधाओं से छोटे या नए उद्यमियों को रोका न जा रहा हो तब तक सरकार को बाजार की शक्तियों को बाजार को आकार देने की अनुमति देनी चाहिए। यदि प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बाजार के कुछ खिलाड़ी आपस में गठजोड़ कर लेते हैं तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम जैसे विनियमों के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी या एकाधिकारवादी शक्तियों को रोका जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

क) सीपीएसईज के बोर्ड में शामिल हैं (i) पूर्णकालिक कार्यकारी, (ii) अंशकालिक सरकारी, तथा (iii) अशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण। सरकार ने सीपीएसईज के बोर्डों के व्यावसायिकरण के लिए कदम लिए गए हैं जिनमें शामिल हैं, (क) सीपीएसईज के बोर्डों पर कार्यात्मक, सरकारी और गैर-सरकारी निदेशकों का अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी करना, (ख) सीपीएसईज के बोर्डों पर गैरसरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु, शैक्षिक योग्यता और अनुभव के संदर्भ में मानदंड का वर्णन करना। निर्धारित मानदंड, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदान करते हैं कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, सीपीएसईज के पूर्व सीएमडी/सीईओ/निदेशक, संस्थानों के प्रोफेसर व शिक्षाविद/निदेशक, संबंधित क्षेत्र में अनुभव वाले पेशेवरों के प्रतिनिधि, निजी कंपनियों के पूर्व/सेवारत सीईओ/निदेशक और उद्योग, व्यवसाय या कृषि या प्रबंधन से अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति इस तरह की नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं, जो निर्धारित शर्तों/प्रक्रियाओं को पूरा करते हों। (ग) सीपीएसईज के गैर-सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना, (घ) सीपीएसईज के सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण, जिसे भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान आदि द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया ।

ख) समिति के अवलोकन पर, विद्युत मंत्रालय ,उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के विचार/ टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं जो अनुबंध- III में दी गई हैं। विद्यत मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय दोनो ने यह माना है कि अपने संबंधित मंत्रालयों के अंतर्गत

सीपीएसईज के बोर्ड में प्रचालनों के अपने क्षेत्र से संबंधित तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं ताकि निर्णयों की गुणवत्ता को संवर्द्धित किया जा सके।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा.सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

समिति द्वारा चिन्हित 12 सीपीएसयू का मामला अध्ययन

सिफारिश की श्रृंखला सं.7

समिति ने कछ पीएसयू द्वारा भारी हानि उठाने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच शुरु की जिसके लिए उसने मामला-दर-मामला आधार पर इनमें से 12 पीएसयू को चुना। इन पीएसयू के अलावा, समिति ने इनके प्रशासनिक मंत्रालयों की राय को भी सुना और उनसे सूचना प्राप्त की। इस संबंध में प्राप्त की गई जानकारी का विश्लेषण इस प्रकार है:

क्र.	कम्पनी का नाम तथा निगमन का वर्ष	वर्ष जबसे घाटा हो रहा	टर्नओवर (2016 17)	किया गया निवेश (करोड रु पए में)	दी गई सहायता (करोड में)	घाटे का कारण	स्थिति
1	इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (1964)	1991-92	213.41 (2015-16)	146.06	26545.2	भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विकारण, अत्यधिक श्रमशक्ति तथा कार्यशील पूंजीकी कमी	कोटा यूनिट बन्द की जानी है तथा पल्लाकड़ यूनिट केरल सरकारी को स्थांतरित की जाती
2	एचएमटी लि. (1953)	2010-11	22.9	1536.07	2403.66	बढ़ती लागतें, औद्योगिकी अन्तराल, बाजार परिस्थितियों,	(1) ट्रैक्टर डिजिन को बन्द करत का अनुमोदन मंत्रिमण्डल ने

						कार्यशील पूजी बाधाए आदि।	कर दिया है। (ii) सहायक कम्पनियां एचएमटी वाचेज, एचएमटी चिनार वाचेज तथा एचएमटी बीयरिंग्स को बन्द करने का अनुमोदन सीसीई द्वारा कर दिया गया है।
3	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. (1970)	2009-10	182.89	1098.83	588.81	बांस की अनपलब्धता. मिजोरम आदि में कोयले खुदाई पर रोक	एचपीसीएल की दोनों इकाइया कार्यशील पूंजी की तथा वेतन के भुगतान के उपलब्ध न होने के कारण बन्द हो चुकी हैं।
4	बीएसएनएल (2000)	2009-10	28403	15626.57	30604. 28	स्पेक्ट्रम प्रभार. लीगैसी मुद्दे, सामाजिक बाध्यता आदि।	दिशानिर्देशों के अनसार
5	एमटीएमएल |	2009-10 को	3552.46	7641.31	954.81	3 जी स्पेक्ट्रम की उच्च	पुनरुद्धार योजना

	(1986)	छोडकर 2013-14				लागत, कर्मचारियों की उच्च लागत, कड़ी प्रतिस्पर्धा, श्रमशक्ति मुद्दे, रख-रखावकी उच्च लागत, उननयन एवं आधुनिकीकरण ।	दिनांक 6.4.17 को प्रस्तुत की गई तथा इस पर सक्रिय रूप से विचार
6	एसएआई एल (1973)	2015-16	209268	23218.01		वाजार की खराब परिस्थितिया, कोयले की लागत में वृद्धि, डीएमएफ तथा एनएमईटी में योगदान की लेवी का खराब प्रभाव, वेतन में वृद्धि, उच्चतर ब्याज प्रभार, अधिक अवमूल्यन	लाभ अर्जित करने की आशा
7	एचएससी एल (1964)	पिछले 30 वर्ष से	1196.05	70.00	1593.0	25 वर्षों से कम भर्ती, इस्पात का कम उपयोग	कम्पनी ने पिछले 30 वर्षों में पहली बार 2015-16 में 30.19 करोड़ का लाभ अर्जित

							किया। कम्पनी का दिनाक 01.04.2017 से एनबीसीसी द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया है।
8	एफएसीटी (1943)	1998-99	1942	2417.56	3639.75	पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन में विलम्ब नीति में परिवर्तन, नीतिगत विसंगतियों, को दूर न करना, यूरिया संयंत्र बन्द होना, यूरिया तथा केप्रोलैक्टव संयंत्रों का संचालन न होना तथा कार्यशील पूंजी लागत आदि।	वित्तीय पुनर्गठन पैकेज उर्वरक विभाग को प्रसतुत किया गया।
9	एचएएल (1954)	1973-74	10.73	441.83	324 .55	पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि, ब्याज देयता, डीपीसीओ द्वारा कीमतों में संशोधन, न किया जाना।	विनिवेश के अधीन

10	**बीपीआरएल (2006)**	**निर्माणाधीन कम्पनी**	**---**	**4967.10**	**---**	**-----**	**कम्पनी निर्माणाधीन**
11	**एयर इंडिया (2007)**	**(2007)**	**22146.0**	**62766.13**	**26545. 2**	**लीगैसी मुद्दे, अलाभकारी रुट, कड़ी प्रतिस्पर्धा, उच्च प्रचालन लागत, संचित व्याज,जटिल खरीद प्रणाली, पुराने एयरक्राफ्टों को हटाना।**	**विनिवेश के अधीन, मंबंधित मुद्दे चल रहे हैं।**
12	**एस पी एम सी/ आई एल (2006)**	**केवल 2014-15**	**----**	**1182.49**	**--**	**प्रचलित सिक्कों एवं पोस्टल वस्तुओं के विक्रय मूल्य में परिवर्तन के पूर्वप्रभाव से लागू होने के कारण पूर्व बर्षों से संबंधित मूल्य समायोजन 2014-15 में किया गया।**	**कम्पनी में 2016-17 में लाभ अर्जित किया।**

संबंधित सीपीएसयूज/प्रशासनिक मंत्रालयों/लोक उद्यम विभाग से यथा प्राप्त उपर्युक्त जानकारी प्रमुख सीपीएसयूज जो कि एक समय अर्थ व्यवस्था की रीढ थे तथा देश के लिए अत्यधिक योगदान दिए थे, की वर्तमान स्थिति के संबंध में दु:खद स्थिति प्रस्तुत करती है। हालांकि इसके कारण उद्यम वार भिन्न-भिन्न होते हैं परन्तु विचार-विमर्श के दौरान सीपीएसयूज में घाटे होने के कुछ समान कारण सामने आए वे हैंपुरानी एवं अप्रलित मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, अल्प क्षमता उपयोग, उच्च ब्याज भार, अधिक श्रमशक्ति, प्रभावहीन विपणन रणनीतियां, व्यवसायिक योजनाओं का अभाव,

सरकारी आदेशोंएवं निणयोंपर निर्भरता तथा उनमें विलम्ब होना,कार्यशील पूंजी की कमी, उत्पादन की उच्च लागत आदि।

प्रमुख सीपीएसयू के लगातार घाटे में चलते रहने के बावजूद भी प्यू के शीर्ष मंत्रालय डीपीई ने घाटे में चल रहे सीपीएसयू का कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन करानेलाई प्रयास नहीं किया। यह विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से भी परिलक्षित होता है क्योंकि जब विभाग से यह पूछा गया कि क्या लगातार घाटे में चल रहे सीपीएसयू को बंद करने/ पुनरुद्धार करने/ विनिवेश करने हेतु कोई विश्लेषण किया है तो विभाग ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया। फिर भी, समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए जिससे कि पूर्व में की गई गलतियों की पुनरावृत्ति न हो।

काफी अधिक समय से ठीक ढंग से काम न करने वाले भारी घाटा उठा रहे घाटे में चलने वाले सीपीएसयूज के संबंध में समिति चाहती है कि सरकार घाटे में चलने वाले इस सीपीएसयूज को बन्द करने पर विचार करे। समिति पाती है कि घाटे में चल रहे कई सीपीएसयूजके पास बहुत सी सहायक कम्पनियां हैं जिनमें से कुछ घाटे में चल रही हैं तथा कुछ लाभ में चल रही हैं। इसलिए समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि घाटे में चल रहे सीपीएसयूज की सहायक कम्पनियों के कार्य-निष्पादन का व्यापक विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि उद्यमों के समग्र कार्य-निष्पादन के बारे में व्यापक जानकारी का पता चल सके जिससे सरकार को घाटे में चल रहे सीपीएसयू की विशिष्ट यूनिटों का विनविश/बन्दी के संबंध में ठोस निर्णय ले सके।

सरकार का उत्तर

क) सीपीएसईज एक बहुआयामी आर्थिक वातावरण में कार्य करते हैं जो प्रदर्शन पर असर डालने वाली चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण करता है। इन चुनौतियों का निबटान करने के लिए सीपीएसईज को उचित योजनओं/नीति निर्माण और उनके समयबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से निरंतर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। ऐसी सीपीएसईज जो गति से कार्य नहीं कर पाती हैं वे समाप्त/बंद हो जाती हैं। चूंकि सीपीएसईज में उद्यमों के बीच हानि/रूग्ण होने के कारण अलग-अलग होते हैं, इसलिए इनके पुनरुद्धार के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इसलिए, सभी उद्यमों के लिए कोई आम रणनीति लागू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, सीपीएसईज को क्षेत्रगत/लाइन मंत्रालयों के नियंत्रण में क्षेत्रीय रूप से संगठित किया जाता है। अध्ययन, क्षेत्रगत (सेक्टोरल) मंत्रालयों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के तहत सीपीएसईज के संबंध में हानि/रूग्ण ग्रसित होने को दूर करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा सकता है। तदनुसार, समिति की टिप्पणियों को डीपीई के दिनांक 21.1.2019 के का.ज्ञा के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों। विभागों के नोटिस में लाया गया है।

ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त , सभी सीपीएसईज के लिए एक सामान्य नीति निर्माता विभाग के रूप में, डीपीई ने दिनांक 29.10.2015 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि रूरण/शुरुआती तौर पर रूग्ण और कमजोर सीपीएसईज के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को व्यवस्थित बनाया जा सके। इन दिशानिर्देशों में सीपीएसईज के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के प्रावधान हैं। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने संबंधित सीपीएसईज के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए और अपने सीपीएसईज के उप-इष्टतम कार्यप्रदर्शन को संबोधित करने के लिए समय पर मध्यावधि सुधार और अन्य उपाय करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। दिशानिर्देश ऐसे विशिष्ट तत्व भी प्रदान करते

हैं, जिस पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने सीपीएसईज के पुनरुद्धार पुनर्गठन योजना तैयार करेंगे। ये दिशानिर्देश संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

ग) सीपीएसईज के अनुषंगी उपक्रमों को, यदि भारत में पंजीकृत हैं, सीपीएसईज के रूप में वगीकृत किया गया है। हानिग्रसित सीपीएसईज की अनुषंगी कंपनियों के कार्यप्रदर्शन के विश्लेषण के संबंध में समिति के अवलोकनों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से लाया गया है, जिससे कि समिति के अवलोकनों को ध्यान दिया जा सके और तदनुसार उचित उपाए किए जा सकें। इस संबंध में, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, विद्युत मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय से प्राप्त उत्तर का सार **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

एयर इंडिया

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

'समिति एयर इंडिया की स्थिति के संबंध में यह नोट करती है कि डीपीई द्वारा प्रदान की गई जानकारा अनुसार, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी 28 जन, 2017 को हुई बैठक म इन बातों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी कि एयर इंडिया और इसकी पांच अनुषंगी इकाइयों का विनिवेश करने पर विचार किया जाए और समय-समय पर एयर इंडिया के नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने तथा एयर इंडिया के भारी ऋण का निपटान करने, किसी शैल (दिखावटी) कंपनी को कुछ परिसंपत्तियों का अंतरण करने, तीन लाभ अर्जित करने वाली अनुषंगी कंपनियों का विलगाव और नीतिगत विनिवेश करने, विनिवेश की मात्रा: और बोली लगाने वाले समूह, के संबंध में निर्णय लेने हेतु एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) की स्थापना की जाए।

इस संबंध में, समिति यह स्मरण करती है कि सीएंडएजी के अलावा इस समिति और कई अन्य संसदीय समितियों ने भी एयर इंडिया की कई बार जांच की थी और बहुमूल्य सुझाव दिए थे/ सिफारिश की थी। तथापि, टर्नअरांउड योजना लागू किए जाने और स्थिति सामान्य किए जाने हेतु प्रयास किए जाने के बावजूद, पीएसयू भारी ऋण के साथ कार्य करती रही। यह ऋण सीमा से अधिक हो गया और वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता चला गया। डीपीई के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से यह नोट किया गया है कि नीति आयोग ने एयर इंडिया के विनिवेश की सिफारिश करते हुए कई अन्य मुद्दों को भी उठाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतः ऋण चुकौती बोझ के फलस्वरूप प्रतिमाह लगभग 200-250 करोड़ के नकद घाटे के साथ लगातार हो रही हानि और भारी मात्रा में संचित हानियां, टर्न-अराउंड योजना साथ लगातार हो रही हानि और भारी मात्रा में संचित हानियां, टर्न-अराउंड योजना जिसमें मात्र इक्विटी इनफ्यूजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और जिसमें न तो प्रक्रिया में बदलाव संबंधी कोई योजना है और न ही प्रबंधन में वरिष्ठ स्तरों पर संरचनात्मक बदलावों या नियुक्तियों की प्रक्रिया में किसी बदलाव की सिफारिश की गई है, पायलट और केबिन क्रू के अलावा अन्य स्टाफ की भर्तियों पर लंबी रोक लगाया जाना जिससे एयर इंडिया नई प्रतिमाओं और नए विचारों से लाभान्वित नहीं हो पाया, एयर इंडिया के बाजार अंश में कमी आना और विमानन क्षेत्र का रणनीतिक रूप से प्राथमिकता वाला व्यवसाय न होना इत्यादि शामिल थे। समिति यह भी नोट करती है

कि नीति आयोग ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि एयर इंडिया की हानियों का एक कारण वर्ष 2007 में लिया गया, विलय संबंधी निर्णय भी है जिसके तहत असमान उपस्करों और मानव संसाधन संबंधी पद्धतियों, वाले दो अलग-अलग संगठनों का विलय किया जाना था।

समिति यह समझती है कि एयर इंडिया में विनिवेश की योजना बनाई गई है और इस संबंध में प्रक्रिया जारी है। एयर इंडिया के विनिवेश की स्थिति को नोट करते हुए समिति आशा करती है कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। समिति इस संबंध में यह जानना चाहती है कि एयर इंडिया के विनिवेश से ऋणों और देयताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

सरकार का उत्तर

इस सबंध में नागर विमानन मंत्रालय से दिनांक 29.3.2019 के का.ज्ञा. के माध्यम से प्राप्त उत्तर निम्नानुसर है :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश हेतु कोई भी बोली प्राप्त नही हुई थी, एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक प्रणाली (एआईएसएएम) ने दिनांक 18 जून, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया गया कि एक बार वैश्विक आर्थिक संकेतक, जनमतल की कीमतें और विदेशी मुद्रा शामिल हैं, के स्थिर हो जाने पर, एयर इंडिया के रणनीतिक कविकल्प को भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श के लिए एआईएसएएम के सामने लाया जाए।

ख) कर्ज एवं प्रदेयताएं तथा एयर इंडिया की देखरेख माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 7 सितंबर 2018 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार "एयर इंडिया में परिचालन और वित्तीय दक्षता के लिए योजना" विषय पर की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श और अनुमोदन प्रदान किया गया:

(i) एयर इंडिया लिमिटेड से विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) अर्थात एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कुल 29,464 करोड़ रुपये की राशि के कर्ज को अविलंब हस्तांतरित किया जाएगा।

(ii) शेष कर्ज तथा वर्तमान शुद्ध देयताएं एयर इंडिया के पास रहेंगी। एयर इंडिया तथा एसपीवी के बीच कर्ज आवंटन को विनिवेश के समीप किसी अन्य तिथि में पुनः विचार किया जाएगा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया में पहले से ही डाले गए 1630 करोड़ रुपये सहित एयर इंडिया को 3975 करोड़ रुपये की नगद सहायता।

(iv) एयर इंडिया को 7600 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति प्रदान करने के लिए, जिसमें 3000 करोड़ रुपये पहले ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान किया जा चुका है, जिससे कि बढ़ी हुई देयताओं के भुगतान के लिए नए ऋण को जुटाया जा सके।

(v) हस्तांतरित ऋण पर ब्याज देयता को पूरा करने के लिए एसपीवी को 1300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

(vi) वित्तीय वर्ष 2019-20 से एसपीवी को हस्तांतरित 29464 करोड़ रुपये के कर्ज पर पूरे ब्याज को सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ग) इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि एसपीवी नामतः एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड को पहले ही दिनांक 22.01.2018 को सृजित किया जा चुका है तथा केन्द्रीय कैबिनेट ने दिनांक 28.02.2019 को आयोजित इसकी बैठक में इसके सृजन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन किया था।

(घ) इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में अन्य मुद्दे जैसे कि स्टैंप ड्यूटी भी शामिल हो सकते हैं, पारसपत्तियों के निबटान को एमओसीए/एयर इंडिया प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। एयर इंडिया एसपीवी को हस्तांतरित कर्ज के भुगतान के लिए एक एस्क्रो खाता खोलेगी जिससे कि इसमें इससे संबंधित लेनदेन को अनुरक्षित किया जा सके। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि एयर इंडिया की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा रहा है, जबकि वे एयर इंडिया के साथ बनी हुई हैं, जहाँ परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से संबंधित सभी लेनदेन व आय को अनुरक्षित किया गया है। इस आय का उपयोग केवल उन ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा है जिन्हें एसपीवी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

ड) आगे कहा गया है कि 1300 करोड़ रुपये के लोन की अदायगी के लिए एयर इंडिया लिमिटेड को भुगतान का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया लिमिटेड को भुगतान किया गया है।

समिति की टिप्पणियां

(प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 12 तथा 13 देखे)

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रभावी कार्यकरण के लिए स्वायत्तता की आवश्यकता

सिफारिश (क्रम संख्या 11)

यद्यपि डीपीई ने चर्चा के दौरान भर्ती और मशीनरी की खरीद अथवा महत्वपूर्ण निविदाओं की भागीदारी के मामलों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उनके बोर्डों को पर्याप्त स्वायत्तता देने के बारे में बताया है फिर भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साक्ष्य से समिति ने यह पाया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों को विशेषकर भर्ती, खरीद और यहां तक कि बाजार रणनीति तैयार करने के मामले में भी निर्णय लेने के संबंध में अपेक्षित प्राधिकार अथवा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा यद्यपि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। फिर भी हानिया के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है जो कि कई मामलों में यह सरकार द्वारा किए गए निर्णयों का परिणाम है। जैसा कि साक्ष्य के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बताया गया है, आईएएल और एआईएल का विलय, अन्य विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से काफी संख्या में कर्मचारियों को एमटीएनएल और एचएससीएल में स्थानांतरित करना,स्पेक्ट्रम की निलामी में भाग लेने की एमटीएनएल की मजबूरी आदि जैसे निर्णयों से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालयों ने अपने उत्तरों में यह दावा किया है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कार्यकरण

में स्वतंत्रता दी है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कठिन प्रक्रियाओं के कारण खरीद के मामले में बाधाओं का सामना कर रहे हैं जबकि निजी उपक्रमों के समक्ष ऐसी बाधा नहीं होती।

समिति यह महसूस करती है कि जब तक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जैसा कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त है, वे बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। अतः समिति इस बात पर बल देती है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पर्याप्त सहायता दी जाए ताकि ये निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें। विशेषज्ञ संगठनों, जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था, कि यह राय है कि साझेदारी/ संयुक्त उद्यमों के निर्माण/ विघटन,विलय। अभिग्रहण, सीईओ की नियुक्ति, बोर्ड स्तर से नीचे के पदों का सृजन आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड को पर्याप्त रूप से शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे बोर्ड को एक निश्चित समयावधि दी जानी चाहिए ताकि उन्हें और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके और किसी भी चूक के मामले में बोर्ड संबंधित मंत्रालय/ विभाग के लिए अपने क्षेत्रों में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

क) सीपीएसईज़ अपने निदेशक मण्डलों द्वारा नियंत्रित होते हैं जिसके पास संबंधित कम्पनियों के दैनंदिन के कार्यकरण के संबंध में निर्णय लेने का सम्पूर्ण प्राधिकार होता है। उदाहरण के लिए निदेशक मण्डल निदेशक मण्डल से नीचे के स्तर की सभी नियुक्तियां करने तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कर्मचारियों से संबंधित मानव संसाधन से संबंधित सभी मुद्दों को देखने के लिए सक्षम होते हैं। यह भी समझना होगा कि सीपीएसईज पूरी तरह से निजी कम्पनियों के आधार पर नहीं चल सकते हैं क्योंकि निजी क्षेत्र की कम्पनियों के सामने में संस्थापक/मालिक सामान्य रुप से अपनी कम्पनियों के निदेशक मण्डलों में भी होते हैं। इसके अलावा निजी कम्पनियों के विपरीत सीपीएसईज के मामले में अधिकतम लाभ कमाना ही एकमात्र प्रयोजन नहीं होता है। सीपीएसईज के मामले में सरकार के पास सीपीएसईज की इक्विटी का प्रमुख हाता है तथा सरकार अपने सौजन्य से कम्पनी को अचालने/प्रबंधन करने के लिए निदेशक मण्डल धकारियों की नियुक्ति करती है। इसलिए सीपीएसईज के प्रबंधन से स्वामित्व कार्यों के निस्तारण की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो प्रमख शेयरधारक होने के कारण सरकार द्वारा निस्तारित किया जाना चाहिए।

ख) प्रमुख शेयर धारक होने के कारण सरकार के पास रणनीतिक निर्णय लेने का अधिकार होता है जिसका कम्पनी के भविष्य पर दीर्घकालिक निहितार्थ होता है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सीपीएसईज को सार्वजनिक धन से फण्ड मिलता है तथा यह आवश्यक हो जाता है कि सीपीएसईज के प्रबंधन के संबंध में उचित निगरानी तंत्र रखा जाए। इसके अलावा अधिकांश सीपीएसईज कोयला, तेल, बिजली, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, उर्वरक आदि जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रचालनरत हैं जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे सीपीएसईज आर टी आई, सीवीसीदिशानिर्देशों, क्रय दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित विनियमों, कानूनों आदि का अनुपालन करते रहें जिनमें से अधिकांश निजी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं होते हैं।

ग) सीपीएसई के लिए सरकार ने महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनके माध्यम से बढ़ी हुई वित्तीय तथा परिचालनगत शक्तियों को पूर्व में ही इन सीपीएसई के बोर्ड को सौंपे गए हैं, जो कि पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश, तकनीकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश करने, और बिक्री अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा तकनीकी

जानकारी प्राप्त करने, मानव संसाधन विकास, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज जुटाने, विलय एवं अधिग्रहण को हाथ में लेने इत्यादि के सबंध में हैं, जो कि निर्धारित सीमाओं तथा शर्तों के अधीन होते हैं। वर्तमान में 8 महारत्न, 16 नवरत्न और 74 मिनिरत्न सीपीएसईज हैं।अत: यह देखा जा सकता है कि सरकार ने सीपीएसईज के बोर्डों के कुछ क्षेत्रों में नीतिपरक निर्णय लेने के संबंध में भी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

<u>पुराने संयंत्र और मशीनरी/अप्रचलित प्रौद्योगिकी</u>

सिफारिश (क्र संख्या 12)

सार्वजनकि क्षेत्र उपक्रमों का आकलन करते समय प्रौद्योगिकी एक प्रमुख मुद्दा रहता है। जांच के दौरान समिति ने नोट किया कि घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों में समय गुजरने के साथ-साथ प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई हैं। केवल पुरानी प्रौद्योगिकी और उत्पदों के कारण हिन्दस्तान फोटो फिल्मस. एचएमटी आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी प्रासंगिकता खादा है। साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया गया है कि इनमें से सरकारी क्षेत्र के एचएमटी जैसे कुछ उपक्रम जिनका उत्पादन अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित था, ने घड़ी क्षेत्र से बदलकर ट्रैक्टर क्षेत्र में आकर बने रहने का प्रयास किया, परंतु यह निजी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल रही और इस प्रक्रिया के अंत में उनकी देनदारियां कई गुणा बढ़ गई और वह बनी नहीं रह सकी। बाजार मांग के, डिजिटल फिल्मों की तरफ झुकाव के कारण हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस के उत्पाद अप्रलित हो गए और सरकारी क्षेत्र में वह उपक्रम इसलिए बन्द हो गया क्योंकि उसके उपस्कर और अवसंरचना डिजिटल उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं थी। अप्रचलित प्रौद्योगिकी ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को भी प्रभावित किया है। वास्तव में सेवा क्षेत्र में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एमटीएनएल को अपने उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें मिलने का एक कारण यह भी है कि उनका सिस्टम 4जी स्पैक्ट्रम प्रौद्योगिकी पर कार्य नहीं करता और इसलिए काल बीच में कट जाती हैं, लगातार ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं जिससे उपभोक्ताओं में निराशा उत्पन्न होती है और परिणामत: वे अन्य दूरसंचार सेवा कम्पनियों की ओर चले जाते हैं। बीएसएनएल के संबंध में, वर्ष 2015 में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन संख्या 20 (संघ सरकार-संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) में बीएसएनएल की प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले जीएसएम मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने की विफलता पर टिप्पणी की थी जिसके परिणामस्वरुप उसके उपभोक्ताओं की संख्या कम हुई और 100 करोड़ रुपए के निश्चित राजस्व की हानि हुई। भेषज विभाग ने भी समिति को यह बताया कि फार्मा सीपीएसयू के घाटे में जाने के कारणों में पुराने संयंत्र और मशीनरी तथा अप्रचलित प्रौद्योगिकी भी शामिल है।

इस पृष्ठभूमि में, समिति की यह सुविचारित राय है कि रुग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सीपीएसयू विशेषकर उन सीपीएसयू द्वारा जो जटिल प्रोद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अपने उत्पादों के लिए बाजार खोना शुरु करने के समय से ही उनमें स्थिति बदलने हेतु प्रोद्योगिकी का पता लगाने और नई प्रोद्योगिकी की सिफारिश करने हेतु विशेषज्ञों के समूह से परामर्श किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही सरकारी विभागों। सीपीएसयू द्वारा ऐसी कंपनियों के उत्पादों/ सेवाओं की तब तक रक्षित और प्राथमिकता से खरीद की जाए जब तक उनकी स्थिति सकारात्मक रूप से बदल न जाए। समिति चाहती

है कि इस पहलू पर सरकार विशेषकर मंत्रालयों/ भारी उद्योग विभाग जैसे विभागों जिनके पास अधिक घाटा उठाने वाली पीएसयू हैं। द्वारा इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

क) सामति के अवलोकन को घाटे पर चल रही सीपीएसई के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में लाया गया है। जैसा कि अवलोकनों/सिफारिशों में भारी उद्योग विभाग के बारे में विशिष्ट उल्लेख किया गया है, इस संबंध में भारी उद्योग विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तर को **अनुलग्नक-VI** में रखा गया है। अन्य से जैसे रक्षा उत्पादन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स और कोयला मंत्रालय प्राप्त उत्तर भी उसी **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

ख) सीपीएसई के पुनरूद्धार/पुनर्गठन पर दिनांक 29.10.2015 को जारी डीपीई के दिशानिर्देश सरकार द्वारा विशेषज्ञ अभिकरण को नियुक्त करने का उल्लेख करता है जिसे क्षेत्र की तकनीकी का अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त हो, जिसमें ऐसी सीपीएसई अपनी भावी रूपरेखा को तैयार करने के लिए कार्य कर रही हो। दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई की नई तकनीक के अनुकूल होने के लिए, उसकी प्रासंगिकता और कार्यप्रणाली का आकलन करने की क्षमता पर उचित जोर दिया जाएगा। दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि सीपीएसई के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए व्यावसायिक योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी अपनाने/उन्नयन के लिए एक भावी रूपरेखा पर आधारित होगी, जो समय के अंतराल में व्यवहार्यता और स्थिरता के लिए होगी। संयुक्त उद्यम, विनिवेश या निजीकरण सहित विभिन्न प्रबंधन विकल्पों के माध्यम से आवश्यक प्रौद्योगिकी और आवश्यकता के अनुसार उसके उन्नयन को अपनाने के लिए दिशानिर्देश में उल्लेख किया गया है, जिन्हें परिचालन पुनर्गठन योजना में शामिल किया जाना चाहिए। प्रस्तावित व्यापार योजना के अनुरूप विभिन्न कार्यों के विलय या अविलय का विकल्प, नई तकनीक के निरंतर क्रय और उसके उन्नयन को सुनिश्चित करना है।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

विविधीकरण

सिफारिश क्र(म संख्या 13)

विषय की जांच के दौरान, समिति ने कई घाटे उठाने वाले पीएसयू जो अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए विविधीकरण अपना रहे हैं, का संज्ञान लिया। विशेषज्ञ, जिन्होंने समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा का यह विचार था कि कुछ रुग्ण पीएसयू द्वारा अपने मूल व्यापार को छोड़, विविध व्यापार शुरु करने जो उनके मुख्य व्यापार के साथ तारतम्य में नहीं हो, किसी भी तरह से घाटे की प्रवृत्ति को रोकने और फायदे की ओर ले जाने में मदद नहीं कर सका। इस संबंध में, समिति डीपीई के विचारों, कि नए उत्पादों/ क्षेत्रों में विविधीकरण एक व्यापार निर्णय है जो कंपनी प्रबंधन द्वारा लिया जाता है और इसके लिए कंपनी को स्वोट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण करना चाहिए, तदनुसार योजना बनानी चाहिए और नए क्षेत्रों में नई विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिससे गिरावट जोखिम न्यूनतम किया

जाए। साथ ही विविधीकरण के लिए विचार करते समय उस क्षेत्र के समीकरण और संपूर्ण बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि सीपीएसयू के बोर्डों से उक्त कारकों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है, समिति का यह मानना है कि प्रशासनिक मंत्रालयों को सीपीएसयू के बोर्डों के लिए वरीयता संबंधित/ वांछित क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक ऐसे निर्णय करने और इसके आगे बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक स्वायत्तता सुनिश्चित करनी चाहिए।(सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 24 वीं रिपोर्ट का पृष्ठ सं 137-138)

सरकार का उत्तर

क) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सीपीएसयू के बोर्ड को नए उत्पादों/अवसरों में विविधिकरण के लिए निर्णय लेने हेतु आवश्यक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की जरूरत पर समिति के अवलोकनों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.01.2019 के माध्यम से लाया गया है, जिससे कि समिति के अवलोकनों को ध्यान में लाया जाए और तदनुसार उचित उपाए किए जा सकें।

ख) रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, भारी उद्योग विभाग, कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रसायन एंव पेट्रो- रसायन विभाग, इस्पात मंत्रालय, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय और उर्वरक विभाग से प्राप्त जवाब इस सिफारिश पर संकलित किया गया है और अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

ग) सीपीएसई के लिए सरकार ने महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न योजनाएं भी कार्यान्वित की हैं जिनके माध्यम से बढ़ी हुई वित्तीय तथा परिचालनगत शक्तियों को पूर्व में ही इन सीपीएसई के बोर्ड को सौंपा गया है, जो कि पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश, तकनीकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश करने, और बिक्री अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने, मानव संसाधन विकास, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज उगाहने, विलय एवं अधिग्रहण को हाथ में लेने इत्यादि के सबंध में हैं, जो कि निर्धारित सीमाओं तथा शर्तों के अधीन होते हैं।

जनशक्ति संबंधी मुद्दे

सिफारिश (क्रम संख्या 14)

पीएसयू के पास जनशक्ति, हमेशा एक मुद्दा रहा है। डीपीई सर्वेक्षण (2016-17) के अनुसार सभी सीपीएसयू की कुल कर्मचारी संख्या, संविदा कार्मियों को छोड़कर, 11.31 लाख है। समिति ने पाया है कि जनशक्ति का अवैज्ञानिक प्रबंधन पीएसयू जैसे आईएल, एमटीएनएल, एयर इंडिया इत्यादि के लिए कम लाभ प्राप्त का एक कारण है जो अंतत: उन कम्पनियों को लगातार रुग्णता की ओर ले गया। सेवा क्षेत्र के घाटे में चल रहे पीएसयू, जैसे एमटीएनएल की जांच के दौरान कर्मचारियों के मध्य कॉरपोरेट संस्कृति । उचित कार्य माहौल लाए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। अत: समिति महसूस करती है पीएसयू के पास एक युक्तिसंगत जनशक्ति हो जो कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समिति का यह विचार भी है कि सरकार और पीएसयू के बोर्ड प्रबंधन को लाभ प्राप्ति और कार्य स्थान पर नवोन्मेष की तरफ बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना सुनिश्चित करना चाहिए। (सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 24 वीं रिपोर्ट का पृष्ठ सं 138)

सरकार का उत्तर

डीपीई ने समिति के अवलोकनों को सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को इसके सीपीएसई द्वारा अनपालन हेतु दिनांक 7 फरवरी 2019 को अग्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त, आवधिक अंतरालों पर डीपीई द्वारा लागू मजूरी संशोधन नीति को भी कार्य-निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए व्यवस्था की गई है। जिसे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीपीएसई द्वारा प्राप्त लाभ से जोडा गया है।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. जा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

देयों/वीआरएस पैकेज के भुगतान में विलंब

सिफारिश (क्रम सं. 15)

समिति यह नोट कर अत्यंत क्षुब्ध है कि पीएसयू जैसे एचएमटी, आईएल, एचएएल, आरडीपीएल इत्यादि अपने कर्मचारियों को कई वर्षों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हैं। यही नहीं, इनमें से अधिकांश पीएसयू सरकार की सहायता के बिना इच्छुक कर्मचारियों को वीआरएस सुविधाओं का लाभ देने की स्थिति में भी नहीं हैं। समिति न केवल बन्द हो चुके/बन्द होने वाले घाटे में चल रहे पीएसयू के कर्मचारियों के अंधकारमय भविष्य अपितु उनके आश्रितों, जो वेतन या वीआरएस पैकेज प्राप्त न होने के कारण निरंतर रुप से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, को लेकर दुःखी है। यह आश्चर्य की बात है कि नीति आयोग ने न तो बीआरएस के प्रभावों को पूर्ण आकलन किया है और न ही इसने इन सीपीएसयू के बन्द होने की स्थिति में किसी बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव किया है। समिति आगे यह पाती है कि इसमें घाटे में चल रहे पीएसयू के अधिकांश वे कर्मचारी हैं जो युवा आयु समूह के हैं, और उच्च कौशल कार्यबल और योग्य पेशेवर होते हुए अपनी कम्पनी का भविष्य बदलने के लिए कार्य करने हेतु उत्साही हैं, परन्तु कार्यशील पूंजी की भारी कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। समिति महसूस करती है कि सरकार को ऐसे लंबित मुद्दों पर निर्दिष्ट समय सीमा में गंभीरता से विचार करना चाहिए जिससे न केवल घाटे में चल रहे पीएसयू के कुशल कार्यबल का उपयोग हो सकेगा बल्कि उनके आश्रितों को भी दुख और निराशा के जीवन से बचाया जा सकेगा। संक्षेप में, समिति इस बात पर जोर देगी कि सरकार के लिए यह एक मानवीय मुद्दा है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के आश्रित तब सर्वाधिक पीड़ित होते हैं जब कोई पीएसयू अपनी तन्खवाह जारी करने। वीआरएस पैकेज पूर्ण करने में अक्षम हो/ या जब कर्मचारी अपना रोजगार पीएसयू के बंद होने के कारण गंवा देते हैं। अतः समिति चाहती हैं कि वाटा उठाने वाले पीएसयू को देख रहे प्रशासनिक मंत्रालयों को अपने कर्मचारियों के बकायों को देने में विलंब नहीं करना चाहिए। सरकार को इसके लिए, यदि आवश्यक हो तो नकदी सहायता को वरीयता देनी चाहिए। समिति चाहती है कि उसे कर्मचारियों के लंबित बकायों की पीएसयू-बार नवीनतम स्थिति, लंबितता की अवधि और इसका निपटान करने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

क) डीपीई ने 14 जून, 2018 को रुग्ण/घाटे पर चल रही सीपीएसई को समयबद्ध बंद करने पर और चल और अचल संपत्तियों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया था बंद किए जाने के मामले में, वीआरएस/वीएसएस पैकेज को वर्ष 2007 के युक्तिगत बेतन मानों (इस तथ्य के बावजूद कि सीपीएसई वर्ष 1997 या 1992 के पूर्व संशोधित वेतनमान में हो सकते हैं) पर तैयार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे पैकेज हेतु पारिश्रमिक वेतन इत्यादि के भुगतान के लिए ऐसी वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन को समयबद्ध तरीके से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई द्वारा तैयार किया जाएगा और इसके विवरणों को भारत सरकार से बजटीय अनुदान मांगने वाले कैबिनेट नोट में शामिल किया जाएगा। आगे, किसी सीपीएसई को बंद किए जाने पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरान्त वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के लिए समय-सीमा को भी उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निधि जारी करने हेतु निर्धारित किया गया है। नीति आयोग के स्तर पर एक निरीक्षण समिति को भी दिशानिर्देशों में सीपीएसई को बंद करने की स्थिति के संबंध में प्रदान किया गया है जिसमें इसमें सम्मिलित विभिन्न चरणों को भी शामिल किया गया है। एचएमटी, आईएल, एचएएल, आईडीपीएल और अन्य सीपीएसई के संबंध में, जिसे बंद करने के लिए निर्णय लिया गया है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों से कार्यालय ज्ञापन संख्या सीआरआर/02/13/0024/2014जेएस (वीआरएस) दिनांक 7.2.2019 के माध्यम से बकाया राशि का विवरण मांगा गया है।

ख) समिति के अवलोकन को घाटे पर चल रही सीपीएसई के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में लाया गया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग, वाणिज्य विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग और कोयला मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय,सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय और उर्वरक विभाग से प्राप्त जवाब को अनुलग्नक-VIII में संकलित किया गया है।

समिति की टिप्पणियां

(प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 21)

एनबीसीसी के द्वारा घाटे में चल रहे पीएसयू की अतिरिक्त भूमि और आस्तियों की बिक्री

सिफारिश (क्रम संख्या 17)

अधिकांश सीपीएसयू के पास महत्त्वपूर्ण स्थानों पर बड़ी एकल प्रकार की एकीकृत उत्पादन सुविधाएं हैं। यद्यपि, घाटे में चली रहे सीपीएसयू के पास अपनी अधिशेष भूमि और आस्तियों को स्वयं मद्रीकृत करने की शक्ति नहीं है, समिति नोट करती है कि, चूंकि इनमें से अधिकांश पीएसयू के पास बसमहत्वपूर्ण स्थानों अर्थात मुंबई, दिल्ली, जयपुर, ऊटी इत्यादि में अत्यधिक आस्तियां थीं, अत: सरकार ने निर्णय लिया कि घाटा उठाने वाली कम्पनियों में उत्पादन बन्द होने/उसमें मंदी को देखते हुए उन्हें अपनी ऐसी अतिरिक्त भूमि/सम्पत्ति,आस्तियों की पहचान करनी चाहिए और उनका ब्यौरा साझा करना चाहिए जो बेकार पड़ी हैं और जिनके माध्यम से पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। समिति आगे नोट करती है कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) जो सरकार द्वारा

भूमि प्रबंधन संस्था (एलएमए) के रुप में नियुक्त की गई थी, को एनबीसीसी द्वारा सभी 74 घाटा उठाने वाले पीएसयू को भेजे गए ईओआई के जवाब में अब तक मात्र10 घाटा उठाने वाली पीएसयू के द्वारा संबंधित कार्य में लगाया गया है। 28 ऐसी पीएसयू ने कथित रुप से एनबीसीसी के ईओआई को नकार दिया है। समिति ने एमटीएनएल, एयर इंडिया,एचएमटी वॉचेज और आईएल के स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों, जो सभी बिक्री पुनर्विकास के विभिन्न चरणों में हैं, यद्यपि किसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, के ब्यौरों की जांच की ।

जांच से समिति ने पाया कि घाटा उठाने वाले सीपीएसयू की आस्तियों की मुद्रणीकरण प्रक्रिया तेज प्रगति नहीं कर रही है, चूंकि इन संपत्तियों ने संभावित क्रेताओं के मध्य आवश्यक रुचि सृजित नहीं की है। एक उदाहरण के लिए, भेषज विभाग ने समिति को सूचित किया कि एचएएएल, आईडीपीएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमियों की ई-नीलामी हेतु निविदाएं नीलामी संस्था-मैसर्स एमएसटीसी के पोर्टल पर मई, 2017 से अपलोड कर दी गई है और विभाग द्वारा गत वर्ष में प्रत्येक सरकारी विभाग, राज्य सरकारों, 24 अग्रणी सीपीएसयू और 7 बीमा कम्पनियों को तीन बार पत्र भेजे जाने तथा बोलियों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने के बाद भी अब तक एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई। विभाग द्वारा समिति को स्पष्ट रुप से सूचित किया गया था कि भेषज कम्पनियों की भूमि और आस्ति बिक्री हेतु बोलियों के संबंध में उचित प्रतिक्रिया न मिलने के दृष्टिगत उनकी देयताओं को पूरा करने में विलम्ब हो रहा है जिससे आईडीपीएल और आरडीपीएल को बन्द करने/एचएएलऔर बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री में विलम्ब हो रहा है। इसके अलावा, जैसा कि एनबीसीसी ने बताया है, वाटे में चल रहे अधिकांश पीएसयू ने उसकी सेवाओं को लेने से इंकार कर दिया है।

सरकार का उत्तर

समिति की टिप्पणी/सिफारिश वर्ष 2016-17 में घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित है। लोक उद्यम विभाग ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग (आईडीपीएल, आरडीपीएल, एचएएल और बीसीपीएल के संबंध में), रसायन एवं पेट्रो -रसायन विभाग (हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान फ्लयूरो कार्बन्स लिमिटेड के संबंध में), रेल मंत्रालय (मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के संबंध में), कोयला मंत्रालय (भारत कोकिगं कोल लिमिटेड और वैस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड के संबंध में), भारी उद्योग विभाग (हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, एचएमटी बियरिंग लिमिटेड, एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड और तुगंभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड के संबंध में), रक्षा उत्पादन विभाग (बीईएल - थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड) और उर्वरक विभाग (प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के बारे में) ने इस संबंध में जबाव दिया है। जबाव से संबंधित सार **अनुलनरक - IX** में दिया गया है।

(दो) समिति की राय में घाटा उठाने वाली पीएसयू की अमूर्त आस्तियों के मुद्रीकरण का कार्य एक जटिल मामला है और उसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता है। यही नहीं, सी एण्ड ए जी ने 2016 के अपने प्रतिवदन संख्या 40 में बताया कि एयर इंडिया लि. आस्तियों के अनुचित चयन जो मुद्रीकरण की वास्तविक व्यवहार्यता पर आधारित नहीं था, के कारण अपनी आस्तियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। साथ ही, इसने अपनी सिफारिश में इस ओर इंगित किया कि पीएसयू की

आस्तियों के करार समझौतों में बाध्यकारी उपबंध/शर्तें थीं और समुचित हक विलेख नहीं थे जिससे उनका मुद्रीकरण प्रभावित हुआ है। समिति यह चाहती है कि सरकार घाटा उठाने वाली पीएसयू की अधिशेष भूमि और आस्तियों की बिक्री/ मुद्रीकरण पर उनकी नीति की समीक्षा करते समय इन पहलुओं पर ध्यान दे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि ऐसे निर्णय मौजूदा भूमि अर्जन कानूनों के अनुसार हों। इसके अलावा समिति घाटा उठाने वाली पीएसयू की भूमि सहित आस्तियों की मुद्रीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर देना चाहेगी। घाटा उठाने वाली पीएसयू की भूमि बिक्री के संबंध में समिति इस बात से अवगत होना चाहेगी कि क्या सरकार ने घाटे में चल रहे ऐसे पीएसयू जिनका पुनरुद्धार किया जाना है और जिन्हें बंद नहीं किया गया है, द्वारा वर्तमान में बिक्री हेतु चिन्हित भूमि और आस्तियों के संबंध में भावी आवश्यकताओं का पता लगाया है क्योंकि इस स्तर की आस्तियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर पुनः अर्जित करना भविष्य में आसान नहीं होगा।

सरकार का उत्तर

क) बंद किए जाने पर डीपीई के दिशानिर्देश दिनांक 14.06.2018 को 53 मंत्रालयों/विभागों/सरकारी निकायों के अंतर-मंत्रालयीन परामर्श के उपरान्त तैयार किया गया था, जिसमें व्यय विभाग, डीईए, और डीआईपीएएम भी शामिल थे। दिनांक 14.06.2018 को डीपीई द्वारा जारी समापन दिशानिर्देश के अनुसार, भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) सीपीएसई है, जैसा कि एनबीसीसी/ईपीआईएल को भूमि के निपटान के प्रबंधन, रखरखाव और सहायता के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है। एलएमए के कार्यों को समापन दिशानिर्देशों के पैरा 5 में दिया गया है।

ख) इसके अलावा, दिनांक 14.06.2018 को डीपीई द्वारा जारी समापन दिशानिर्देश यह भी उल्लेख करता है कि यदि सीपीएसई किसी अन्य सीपीएसई की एक सहायक है और यदि परिसंपत्तियों की आवश्यकता ऐसे धारक कंपनी द्वारा है, तो बही मूल्य पर धारक कंपनी को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श में इन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिसंपत्ति की आवश्यकता होती है, तो इसे उन्हें बही मूल्यों पर हस्तांतरित किया जा सकता है। शेष परिसंपत्तियों के संबंध में बाद के पैरा, अर्थात 4.2 और 4.3 में उल्लिखित दिशानिर्देश लागू होंगे।

ग) दिशानिर्देशों में बंद की जाने वाली सीपीएसईज की भूमि के उपयोग के संबंध में प्राथमिकता प्रदान की गई है जो कि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्तता के मामले में देश भर में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए होगी। किफायती आवास के लिए पहचान की गई भूमि को इस संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और शेष भूमि सार्वजनिक अधिकारियों को नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार बेची जा सकेगी:

(i) केंद्र सरकार के विभाग

(ii) राज्य सरकार के विभाग

(iii) केंद्र सरकार के निकाय/सीपीएसईज एवं राज्य सरकार के निकाय/पीएसईज

घ) भूमि को केन्द्रीय अथवा राज्य पीएसईज/निकायों/प्राधिकरणों को बेचे जाने के मामले में, भौतिक प्रारूप में अथवा ई-प्लैटफार्म के जरिए एक सीमित बोली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यदि उपरोक्त प्रक्रिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के मामले में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ, अचल

संपत्ति का निपटान किसी भी संस्था को नीलामी एजेंसी के माध्यम से एक पारदर्शी प्रक्रिया में किया जाना चाहिए।

समिति की टिप्पणियां

(प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 28 देखे)

सिफारिश (क्रम संख्या 19)

समिति पाती है कि जब एक निजी कम्पनी भारी घाटे में चल रही हो और अपनी ऋण देयताआ का संभालने में सक्षम न हो तो उसे ऐसी खराब स्थिति से बाहर निकलने के लिए भूमि सहित अपनी कुछ आस्तियों की बिक्री करने की स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन सीपीएसयू के मामले में उन्हें ऐसी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। इस संबंध में डीपीई ने यह बताते हुए सरकार की वर्तमान नीति को उचित ठहराया है कि सीपीएसयू की स्थापना सरकारी धनराशि से की गई है और उन सीपीएसयू में सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक है, अतः सीपीएसयू आस्तियों के मुद्रीकरण हेतु उनके बोर्ड को अधिकार देना उचित नहीं है। निरंतर विकसित हो रही प्रोद्यौगिकी और बाजार में जिस कड़ी प्रतिस्पर्धा में सीपीएसयू कार्य करता है, उसे तथा सीपीएसयू के अधिक से अधिक रुग्ण होने के परिदृश्य के दृष्टिगत समिति यह महसूस करती है कि उक्त नीति पर सरकार द्वारा पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

क) निवेश एंव लोक परिसपंत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) से इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सीपीएसयूज को स्वायत्तता देने के बारे में "भूमि सहित उनकी कुछ परिसंपत्तियों का निपटान करने के लिए, तब जब सबसे खराब परिस्थिति से बाहर आने के लिए कंपनी बहुत नुकसान में है, और अपनी ऋण देनदारियों का प्रबंधन करने में यह सक्षम नहीं है", डीआईपीएएम ने दिनांक 26.4.2019 को सूचित किया है कि मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सीपीएसईज/पीएसयूज/अन्य सरकारी संगठनों और अचल शत्रु संपत्तियों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए प्रक्रिया और तंत्र को अनुमोदन प्रदान किया है। इस संरचना को लागू करने का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज)/अन्य सरकारी संगठनों और अचल शत्रु संपत्ति में आने वाली परिसंपत्ति है, जो देश को समग्र आर्थिक विकास प्रदान करने के लिए धन उत्पादन की एक बड़ी क्षमता रखते हैं और इन्हें समय के अंतराल में उचित रूप से मुद्रीकृत किया जाना चाहिए। यह नीतिगत संरचना अन्य बातों के साथ-साथ, रणनीतिक विनिवेश के तहत सीपीएसईज की पहचानी गई गैरप्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए संस्थागत संरचना को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, कोई भी घाटे पर चल रही अथवा रुग्ण सीपीएसईज भी सक्षम अधिकारी की मंजूरी के साथ इस संरचना को अपना सकते हैं। । डीआईपीएएम के अनुसार, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से भारत सरकार को प्राप्त धनराशि को विनिवेश से प्राप्तियों के रूप में परिकलित किया जाएगा। डीआईपीएएम ने आगे उल्लेख किया है कि सीओपीयू के अवलोकनों पर ध्यान दिया गया है। स्वीकृत संरचना के भीतर अवलोकनों को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

ख) विनिवेश की प्राप्तियों राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में जमा की गई हैं। एनआईएफ का उपयोग निम्न उद्देश्यार्थ अर्थात (क) सीपीएसईज़ द्वारा जारी किए जा रहे शेयरों का अधिकार आधार पर अनुमोदन करना ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि सीपीएसईज़ में सरकार का 51% स्वामित्व कम

न हो। (ख) सेबी (पूंजी और प्रकटन आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियमन, 2009 के अनुसार प्रवर्तकों को सीपीएसई के शेयरों का अधिमानत आबंटन करना ताकि ऐसे सभी मामलों में जहां सीपीएसई अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नवीनतम इक्विटी उत्पन्न करने जा रहे हैं वहां सरकार की शेयरधारिता 51% से कम न हो।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों

पूजीकरण करना ताकि बेसैल - ||| मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए आगे पूंजी लगाने के माध्यम से उन्हे सुद्रड किया जा सके।

(घ)आरआरबीज़/आईआईएफसीएल/नाबार्ड/एग्जिम बैंक में सरकार द्वारा निवेश।

(ड.) विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं में इक्विटी का प्रवेश। (च) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश और (छ) पूंजीगत व्यय के लिए भारतीय रेल में निवेश।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.20191

अध्याय 3

टिप्पणियां / सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय चार

टिप्पणियां / सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है

सरकार द्वारा नगद और सहायता तथा अन्य अनुमोदन देने में विलंब

सिफारिश (क्रम सं. 10)

मंत्रालय ने समिति को बताया कि कम्पनी का विकास और उसकी जीवन क्षमता बनाए रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वाणिज्यिक आधार पर निवेश किया जाता है। तथापि इस विषय की जांच के दौरान समिति ने सरकारी निवेश/ सहायता का घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों तक, समय पर न पहुंचने और इस प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का माल अत्यधिक पुराना होने के अनेक उदाहरणों को नोट किया।विलंब के कुछ ऐसे कारण निम्नलिखित हैं:

(i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, इंस्ट्रूमेंटेशन लि. के मामले में उदारीकरण के पश्चात के युग अर्थात 1994 के पश्चात घाटा हुआ जब इसे रुग्ण घोषित किया गया। इस मामले में वर्ष 1999 अर्थात इसके रुग्ण घोषित किए जाने के पांच वर्ष पश्चात पुनर्वास योजना को अनुमोदित किया गया और उसके बाद भी इस योजना को पूर्ण रूप से क्रियाचित नहीं किया जा सका जिससे कम्पनी का माल और जनशक्ति व्यर्थ हो गई। कम्पनी इस योजना को स्वीकृत करने में 13 महीने से अधिक का समय लेने के कारण वर्ष 2010 की अपनी संशोधित पुनरुद्धार योजना का भी क्रियान्वयन नहीं कर सकी और इसके लिए कोई नगद सहायता भी नहीं मिली। इसके अलावा, यद्यपि आईएल को बंद कर दिया गया है फिर भी इसकी कोटा इकाई के कर्मचारियों को उनका पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

सरकार का उत्तर

इस मामले पर, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 20.3.2019 को अवगत कराया है कि जब कभी वित्तीय समर्थन/निवेश इत्यादि का कोई प्रस्ताव सीपीएसई से प्राप्त होता है, तो विभाग व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा निर्धारित समयसीमा/कैबिनेट के अनुमोदन का अनुपालन करता है। कई बार, अंतर मंत्रालयीन परामर्शों में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्थिति की निगरानी साप्ताहिक तौर पर डीएचआई में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में की जाती है। ऐसे प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जहां तक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का सवाल है, कंपनी की कोटा इकाई को बंद करने के लिए पहले ही योजना बनाई जा चुकी है, और बंद होने की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। 7 कर्मचारियों को छोड़कर, कोटा यूनिट के सभी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, वीआरएस/वीएसएस और अन्य देय राशि का भुगतान पूरा हो चुका है। कंपनी की पलक्कड़ यूनिट को केरल सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा है।

(ii)एमटीएनएल में कर्मचारियों के पेंशन बिल की संचयित राशि 10, 900 करोड़ रुपए है जिसके लिए सरकार को कम्पनी की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण कदम उठाना पड़ा है। तथापि, जनवरी, 2014

में इसका भुगतान करने के संबंध में सरकार के निर्णय के बावजूद पिछले 4 वर्ष में देयताओं का समायोजन नहीं हो पाया।

(iii)अन्य मामले में बीएसएनएल ने प्रापण की समय लगने वाली और जटिल प्रक्रिया के बारे में समिति को सूचित कर दिया है और सरकार के निर्णय लेने में दीर्घ विलम्ब के कारण उन्होने जीएसएम फ्रण्ट पर आधार खो दिया है।

(iv) वस्तुत: वर्ष 2013 में बीपीआरएसई के समक्ष प्रस्तुत पुनरूथ्थान प्रस्ताव में विलम्ब हुआ जिसकी वजह से विकट वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हुई जिससे कम्पनी को वर्ष 2015-16 में उर्वरक उत्पादन को रोकना पड़ा।

जबकि यह कोई रहस्य नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकारी राजकोष से भारी सहायता से चल रहे हैं, यह भी एक तथ्य है कि सरकार की ओर से निर्णय लेने में बिलम्ब के कारण सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई और उत्पादन में भी कमी आई। समिति को विश्वास है कि आज के तीव्र गति से बदल रहे व्यवसाय के माहौल में प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णयों के काफी समय से लम्बित रहने के कारण कम्पनियों को नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इस संबंध में डीपीई ने बताया गया कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं कि प्रस्तावों के संबंध में समयबद्ध तरीके से निर्णय किए गए हैं। अपनी राय को दोहराते हुए समिति विशेषज्ञों द्वारा दिए गए इन सुझावों को भी नोट करती है कि सरकार पुनर्संरचना/ परिसम्पत्तियों के मुद्रीकरण, प्रोद्योगिकीय उन्नयन आदि जैसी श्रेणियों का पता लगाए जिनके संबंध में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डो प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विशेषज्ञ समूह द्वारा लिए गए निर्णय को अन्तिम निर्णय माना जा सकता है और इस पर तत्काल कार्यवाही की जा सकती है। समिति चाहती है कि सरकार इन सुझावों पर विचार करे और विलम्ब को रोकने हेतु उपाय करे। समिति चाहती है कि उसे घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लेने के संबंध में विलम्ब को कम करने के लिए परिकल्पित ऐसे उपायों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

(क) चंकि समिति की टिप्पणियां सीपीएसर्ड से संबंधित है जो उर्वरक विभाग और दरसंचार विभाग से संबंधित है डीपीर्ड ने डन विभागों के विचार मांगे हैं तथा भारी उद्योग के भी विचार मांगे हैं जिसके तहत अनेक सीपीएसई है जो घाटे में चल रहे हैं ।

ख) उर्वरक विभाग ने इस संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। संबंधित ब्यौरा **अनुबंध -V** में दिया गया है। इस मुद्दे पर दूरसंचार विभाग के उत्तर की प्रतिक्षा है। डीओटी का उत्तर प्राप्त होते ही समिति को इससे अवज्ञत कराया जाएगा।

ग) इस मामले पर, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 20.3.2019 को अवगत कराया है कि जब कभा नितान समर्थन/आधुनिकीकरण इत्यादि का कोई प्रस्ताव सीपीएसई से प्राप्त होता है, तो विभाग व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा निर्धारित समयसीमा/कैबिनेट के अनुमोदन का अनुपालन करता है। कई

बार, अंतर मंत्रालयीन परामर्शों में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्थिति की निगरानी साप्ताहिक तौर पर डीएचआई में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में की जाती है। ऐसे प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

घ) निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए और रुग्ण/हानिग्रसित सीपीएसई के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के संबंध में कई तंत्रों को कारगर बनाने के लिए, सरकार ने नवंबर 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड (बीआरपीएसई) को समाप्त कर दिया था। बीआरपीएसई को बंद करने के सरकार के निर्णय (7.10.2015) के उपरान्त डीपीई ने दिनांक 29.10.2015 को रुग्ण /शुरुआती तौर पर रुग्ण और कमजोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को व्यवस्थित करने" पर दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग अब उनके तहत कार्य कर रहे सीपीएसई के रुग्ण होने की नेगरानी के लिए जिम्मेदार है,और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के साथ, ऐसे रुग्ण /हानिग्रसित सीपीएसई के पुनरुद्धार /पुनर्गठन/ विनिवेश के लिए समय पर निवारण उपाय कर सकता है।'

समिति की टिप्पणियां

(प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 16, 17, 18 देखें)

डीपीई की सीआरआर योजना

सिफारिश (क्रम सं. 16)

बंद हुए सीपीएसयू प्रभावित/हटाए गए कर्मचारियों के पुनर्वास के संबंध में, समिति यह नोट करती है कि डीपीई सीआरआर (परामर्श, पुनःप्रशिक्षण और पुन:नियोजन) योजना 2001-02 से कार्यान्वित कर रही है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का सहयोग लेने के लिए 2016 में संशोधित की गई थी। यद्यपि समिति इस योजना के वास्तविक परिणाम और घाटा उठाने वाली पीएसयू के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों से अवगत होना चाहेगी, तथापि यह वाणिज्यिक कम्पनियों के उन प्रभावित/हटाए गए कर्मचारियों के संबंध में कौशल विकास की प्रासंगिता नहीं देखती है, जिनके पास उच्च तकनीकी योग्यताएं हैं और जो अब युवा आयु समूह में नहीं आते हैं, चूंकि अब सरकार के विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प, उड़ान इत्यादि का मूल उद्देश्य वृहत्त रुप से युवा आबादी/निरक्षरों/नवसाक्षरों/स्कूल छोड़ चुकेस्नातक इत्यादि को विभिन्न कार्यों/कौशलों में प्रशिक्षित करना है। ज्यादा से ज्यादा पीएसयू के संविदा कर्मचारी सीआरआर के अंतर्गत अतिरिक्त या संवर्धित कौशल प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं जो उनके लिए नए और बेहतर रोजगार अवसरों को खोलता है। समिति महसूस करती है कि सीआरआर योजना की संभावना को ऐसे कर्मचारियों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाना चाहिए चूंकि सीआरआर योजना वर्तमान में केवल कर्मचारियों पर लागू है और वीआरएस चुनने वाले के एक आश्रित पर लागू है, यदि वीआरएस चुनने वाले अनिच्छुक हैं। समिति को संदेह है कि क्या योजनांतर्गत प्रशिक्षित कर्मचारी का पुनर्नियोजन घाटा उठाने वाले पीएसयू के कर्मचारियों के लिए लाभकारी साबित हुआ या नहीं, चूंकि सीआरआर योजना इसकी गारंटी नहीं देती। वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 1576 उम्मीदवारों में से मात्र 887 व्यक्ति अर्थात मुश्किल से 50% को स्वरोजगार दिहाड़ी रोजगार के अंतर्गत पुनर्नियोजित किया जा सका। अतः समिति चाहती है कि डीपीई द्वारा इस संबंध में कि इन पहलुओं को एनएसडीसी के सहयोग से

सीआरआर योजना को संशोधित करते समय ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं तथा घाटे में चल रहे पीएसय के कर्मचारियों पर सीआरआर योजना का क्या प्रभाव पड़ा है, एक विस्तृत टिप्पण भेजा जाए।

सरकार का उत्तर

क) 2016-17 के पूर्व, सीआरआर स्कीम को देश के विभिन्न भागों में कर्मचारी सहायता केन्द्र (ईएसी) के माध्यम से नोडल एजेंसियों के द्वारा कान्वित किया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के क्रम में दिनांक 15.07.2015 को सामान्य नियम का अधिसूचित किया।

ख) तदनुसार, प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क ने विस्तार करने के मद्देनजर और साथ ही प्रशिक्षण, डिज़ाइन और डिलिवरी के मानकीकृत वर्गीकरण का अनुपालन करने के लिए अब कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से सीआरआर स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। एनएसडीसी के सामान्य नियमों के अनुसार वीआरएस विकल्पधारियों/उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ग) एक सुविधांप्रदाता होने के नाते, एनएसडीसी यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम योग्यता पैक (क्यूपी)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) के अनुसार हों, जिनके मानकों को सेक्टर स्किल्स काउंसिल (एसएससी) द्वारा प्रमाणन मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एनओएस) कार्यस्थल में विशेष कार्यकलाप करने के दौरान कार्यनिष्पादन, जानकारी और समझ के मानक का उल्लेख करता है और जबकि योग्यता पैक एनओएस का एक सेट है जो प्रत्येक उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध कार्यभूमिका को सुयोजित करता है। यह सीआरआर स्कीम के अंतर्गत पुनर्नियोजिता को संवर्धित करने में भी सहायता करता है।

घ) पूर्व में, सीआरआर स्कीम का लाभ केवल वीआरएस विकल्पधारियों को ही उपलब्ध था। अब स्कीम का लाभ वीआरएस विकल्पधारियों के आश्रितों को भी पहुंचाया जा सकता है यदि वीआरएस विकल्पधारी स्कीम को लेना न चाहें तो। इस संसोधन ने युवा पीढ़ी में कौशल को तीव्रता से सीखने और प्राप्त करने के कारण कवरेज का विस्तार करने और साथ ही सीआरआर के अन्तर्गत पूर्ननियोजन के अवसरों को भी बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, जबकि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित वीआरएस विकल्पधारियों के मामले में माइक्रो क्रेडिट और वित्त एक चुनौती है, यह आश्रितों के मामले में तुलनात्मक रुप से आसान है।

ड) सीआरआर योजना का लक्ष्य समह काफी विशिष्ट है और सरकार की अन्य कौशल विकास योजनाआ स अलग है। वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चनने वाले कई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु स आधक समूह का इस विशिष्ट प्रकृति के चलते, सीआरआर योजना के अंतर्गत पुनर्नियोजन की दर महत्वपूर्ण है। तथापि, पुर्ननियोजन प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सीआरआर स्कीम के अंतर्गत दीर्घअवधि सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ही आवासिय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इसे एनएसडीसी के साथ सतत रुप से अपनाया जा रहा है।

च) सीपीएसईज के संविदा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए समिति की सिफारिशों के संबंध में, यह 'उल्लेख किया जाता है कि मौजूदा नीति के अनुसफर, सीआरआर योजना केवल सीपीएसईज के उन

कर्मचारियों पर लागू होती है, जो वीआरएस/वीएसएस के तहत पात्र होते और अलग किए जाते हैं, और इस प्रकार सीआरआर स्कीम के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को शामिल करना व्यवहार्य नहीं होगा।

छ) इसके अतिरिक्त , जैसा कि पूर्व में प्रत्युत्तर के बिन्दु क्रमांक 15 पर उल्लिखित है, वीआरएस/वीएसएस पैकेज को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 14.06.2018 में उल्लेख किया गया है कि बंदी के अधीन सीपीएसईज में वीआरएस/वीएसएस पैकेज को वर्ष 2007 के अनुमानित वेतन-मानों (इस तथ्य के बावजूद कि सीपीएसई वर्ष 1997 या 1992 इत्यादि के पूर्व-संशोधित वेतनमान में हो सकते हैं) के आधार पर तैयार किए जाएंगे। सीआरआर योजना का लाभकारी कौशल प्रशिक्षण लाभ कर्मचारी या उसके आश्रित को एक अतिरिक्त ऐड-ऑन लाभ है।

समिति की टिप्पणियां

(प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा 24 और 25 देखे)

अध्याय पांच

टिप्पणियां / सिफारिशें जिनके बारे में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इस विषय से संबंधित पिछला प्रतिवेदनः

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) का उत्तर

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रुग्णता का समाधान करने के लिए समय पर निवेश करने के मुद्दे ने बारबार सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का ध्यान आकृष्ट किया है। समिति को याद है कि वर्ष 1997 में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रुग्णता विषयक अपने 11वें प्रतिवेदन तथा बाद में अपने की-गई-कार्रवाई श्रातवदन में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने आर्थिक सधारों से प्रतिकूलतः प्रभावित पीएसयू पर विशष ध्यान देने और उनकी वित्तीय स्थिति को सधारने हेत सभी संभव प्रयास करने की सिफारिश की था। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनर्स्थापना के मुद्दे पर समिति ने अपने की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन में पाया कि सरकार की ओर से इसमें अपेक्षित निवेश करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने अपने की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की थी कि उसे सरकार द्वारा इस म का गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए। अब लगभग 20 वर्ष के बाद जब इस संबंध में डीपीई से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई तो इस संबंध में 12 जनवरी 2018 को प्राप्त उत्तरों में विभाग द्वारा इस जिम्मेदारी को संबंधित सीपीएसयू के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पर डालने का प्रयास किया गया है। यह बताया गया है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मामला-दर-मामला आधार पर समाधान किया जाता है। केवल यही नहीं, मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की बजाय नोडल विभाग ने नीति आयोग और व्यय विभाग से अनुरोध किया कि वे इस संबंध में अपने विचारों से सीधे समिति को अवगत कराएँ।

समिति इस तथ्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है कि लोक उद्यम विभाग न केवल सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा 20 वर्ष पूर्व की गई सिफारिश का अंतिम उत्तर देने में विफल रहा है बल्कि विभाग ने वित्त मंत्रालय और नीति आयोग से यह कहकर कि वे अपनी राय 'सीधे' समिति को भेज दें, अपने उत्तरदायित्व से भी पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। समिति यह समझ पाने में असमर्थ है कि लोक उद्यम विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने का क्या कारण है जबकि अधिदेश के अनुसार लोक उद्यम विभाग सभी सीपीएसई के सामान्य नीति और उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी संबंधी मामलों में समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल विभाग है। समिति डीपीई के इस लापरवाही पूर्ण रवैये को गंभीरता से लेती है और यह चाहती है कि सरकार 3 माह की अवधि के भीतर इन मामलों के संबंध में उसे एक व्याख्यात्मक टिप्पण भेजे। (सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 24 वीं रिपोर्ट का पृष्ठ सं 120-121)

सरकार का उत्तर

डीपीई ने इस संबंध में अपना जवाब कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 28.2.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उसी की एक प्रति अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

नीति आयोग की भूमिका

सिफारिश (क्र संख्या 4)

समिति यह पाती है कि घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत सरकार ने बजट (2016-17) की घोषणा में ऐसे पीएसय की पहचान करने तथा उसकी नीतिगत बिक्री, विनिवेश अथवा उन्हें बंद करने की सिफारिश करने का कार्य नीति आयोग को सौंप दिया है। समिति यह भी करता है कि इस तथ्य के बावजद डीपीई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु एक नोडल विभाग ह तथा त्वक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक मंत्रालयों को सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों की पहचान करन तथा उनके लिए पुनर्गठन योजनाएं तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं देखी गई है। अतः अब नीति आयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की णता की जांच कर रहा है और उनको बंद करने/ उनमें विनिवेश करने/ उनकी बिक्री करने इत्यादि की सिफारिश पूर्णतः अकेले ही कर रहा है। समिति यह आशा करती है कि यद्यपि नीति आयोग को घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है, तथापि वह देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को विनियमित करने और उसकी निगरानी करने के लिए अत्यावश्यक नीति भी तैयार करेगा जिसमें उत्कृष्ट प्रबंधन, कर्मचारियों के कल्याण और कंपनियों में अतिरिक्त व्यय पर नियंत्रण पर बल दिया जाएगा। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में जानकारी प्रदान की जाए। (सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 24 वीं रिपोर्ट का पृष्ठ सं 121-122)

सरकार का उत्तर

जैसा कि यह मुद्दा नीति आयोग से संबंधित है, डीपीई ने इसके बारे में विचार मांगे हैं। नीति आयोग से सूचना प्रतीक्षित है। नीति आयोग से जवाब मिलने पर समिति को सूचित किया जाएगा।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019

सीपीएसयू का नीतिगत विनिवेश

सिफारिश (क्र संख्या 6)

समिति डीपीई द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह नोट करती है कि 2015-16 की स्थिति के अनसार घाटे में चल रहे 79 सीपीएसयू में से नीति आयोग ने 36 सीपीएसयू के नीतिगत विनिवेश की सिफारिश की थी । इसमें से सरकार ने 24 सीपीएसई या इनकी इकाइयों के नीतिगत विनिवेश को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि इन 24 सीपीएसयू में से केवल 8 को घाटे में चल रहे सीपीएसयू की सूची में दर्शाया गया है जो यह दिखाता है कि विनिवेश हेतु चुने गए अधिकांश सीपीएसयू लाभ कमाने वाली इकाइयां हैं। समिति को बताया गया है कि केवल

रणनीतिक क्षेत्रों - सीपीएसई को छोड़कर अन्य सभी सीपीएसयू नीतिगत विनिवेश हेतु पात्र है। लेकिन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं, इस संबंध में समिति के समक्ष विभिन्न विचार सामने आए। नीति आयोग का यह विचार था कि जो राष्टीय सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, स्वतंत्र या कर्थित तार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं,उनको रणनीतिक दष्टि से महत्वपूर्ण सीपीएसयू आवश्यक वस्तुएं और सेवाए प्रदान कर रहे हैं तथा जिनकी पेट्रोलियम, विद्यत, इस्पात, खनन और परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हैं वे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई है जोकि भारत और विदेशों में तेल और गैस के अन्वेषण के कार्य में संलग्न है तथा इससे संबंधित राष्ट्रीय नीति का समर्थन करती है और इस प्रकार से स्वयं को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई समझती है। एमटीएनएल और बीएसएनएल समझते हैं। विनिवेश आयोग ने ऐसे सीपीएसयू जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हैं। विनिवेश आयोग ने ऐसे सीपीएसयू जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रेणियों यथा (एक) हथियार और गोला-बारूद तथा रक्षा उपकरणों की अनुषंगी मदों, रक्षा विमान और युद्ध पोत, (दो) परमाणु ऊर्जा, (तीन) परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग पर नियंत्रण) आदेश,1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सनिज तथा (चार) रेल परिवहन आदि में कार्यरत हैं,को भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीपीएसयू के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, एनआईपीएफपी जो कि एक विशेषज्ञ संगठन है ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान यह मत व्यक्त किया कि ऐसे सीपीएसयू जो रक्षा उपकरणों के उत्पादन या परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से संबंध रखते हैं, वे भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि नीति आयोग ने भी 'रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण' की परिभाषा निर्धारित करने से पूर्व सीपीएसयू के साथ कोई परामर्श नहीं किया था। जैसा कि आयोग ने स्वयं कहा है यह पूर्व की विनिवेश आयोग और 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1997 में दी गई परिभाषा पर आश्रित है। समिति इस बात से चिंतित है कि लगभग दो दशक पूर्व निर्धारित मानदंड इस प्रयोजन हेतु कैसे उचित होगा विशेषकर तब जबकि सीपीएसयू/ सरकार के विभागों से 'रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण' की परिभाषा के संबंध में अलग-अलग राय प्राप्त हो रही है।

अतः समिति यह महसूस करती है कि जब तक सरकार स्वयं सीपीएसयू को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत हेतु करने के लिए कोई समान मानदंड निर्धारित नहीं करती तब तक उनके लिए इस नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन होगा कि किस सीपीएसयू को सरकार अपने पास रखे, किसे बंद कर दे या उसका विनिवेश कर दे। इस परिदृश्य में समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को सीपीएसयू को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकत करने हेत समान व्याख्या/ मानदंड निर्धारित करने चाहिए। (सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 24 वीं रिपोर्ट का पृष्ठ सं 124-125)

सरकार का उत्तर

(क) जैसे कि यह मामला नीति आयोग तथा दीपम से संबंधित है, विभाग/सरकारी निकाय के विचारों को प्राप्त किया गया है। दीपम ने अवगत कराया है कि सामरिक विनिवेश के मौजूदा जारी मामलों में नीति आयोग ने यह अनिवार्य किया है कि सामरिक अथवा रणनीतिक विनिवेश के लिए सीपीएसईज की पहचान की जाए। सामरिक विनिवेश के लिए सीपीएसईज की पहचान करने हेतु मापदंड लाभप्रदता पर आधारित नहीं है। नीति आयोग ने सामरिक विनिवेश के उद्देश्य से सीपीएसईज को 'उच्च प्राथमिकता' व 'निम्न प्राथमिकता' में वर्गीकृत किया है जो कि (क) राष्ट्रीय सुरक्षा (ख) संप्रभुत्व कार्यप्रणाली पर

विस्तार, तथा (ग) बाजार की खामियों और सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित है। 'निम्न प्राथमिकता' वाली श्रेणी में आने वाली सीपीएसईज को सामरिक विनिवेश के लिए शामिल किया गया है।

(ख) इस संबंध में नीति आयोग का जवाब प्रतीक्षित है। नीति आयोग से जवाब मिलने पर समिति को सुचित किया जाएगा।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

रुग्ण पीएसयू (एमटीएनएल और बीएसएनएल) का विलय/ अधिग्रहण

सिफारिश (क्र संख्या 9)

समिति ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के विलय/अधिग्रहण के प्रतिकूल परिणामों को नोट किया है। विभिन्न सीपीएसयू/ मंत्रालयों के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी है कि यद्यपि घाटे में चल रहे सरकारा क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विलय से बेहतर परिणाम नहीं मिले हैं और आईएल का भेल के साथ प्रस्तावित विलय नहीं हआ, तथापि घाटे में चल रह सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लि. (एचएससीएल) का एनबीबीएस जैसे लाभ में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अधिग्रहण किए जाने के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। एआईएल और आईएएल के एनएसीआईएल में विलय के संबंध में समिति यह स्मरण कराना चाहती है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2011के अपने प्रतिवेदन सं.18 में एआईएल और आईएएल के एनएआईसीएल में विलय को अनुचित समय पर समुचित औचित्य, पर्याप्त परिचालन और एचआर संकलन काबना विलम्ब से किया गया और गंभीर अनिश्चतताओं वाला विलय बताया है। नीति आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि एयर इंडिया को हुए घाटे का कारण वर्ष 2007 में लिया गया विलय का निर्णय भी हो सकता है जिसमें अलग-अलग उपस्करों और मानव संसाधन प्रक्रियाओं वाले दो विभिन्न संगठनों का विलय किए जाने का आशय व्यक्त किया गया था।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जांच के दौरान एमटीएनएल के साथ की गई चर्चा से समिति को यह लगा कि सरकार द्वारा संचार क्षेत्र में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के दो बड़े उपक्रमों अर्थात बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय पर विचार किया जा रहा है। समिति को यह बताया गया कि ऐसे विलय से सम्पूर्ण भारत में इनकी उपस्थिति, संयुक्त क्षमता का उपयोग करने, निर्धारित लागतों में कमी करने और सुविधाओं के दोहरीकरण से बचने का रास्ता प्रशस्त होगा। तथापि एमटीएनएल द्वारा बाद में भेजे गए एक पत्र में समिति को यह बताया गया कि एमटीएनएल स्तर पर ऐसी किसी भी सम्भावना की जांच नहीं की गई है। निजी कंपनियों के साथ एमटीएनएल का विलय तभी सम्भव हो सकता है जब भारत सरकार की शेयर होल्डिंग को महत्वपूर्ण विनिवेश के माध्यम से निजी दूरसंचार आपरेटरों को इसका प्रस्ताव देकर 50 प्रतिशत से भी कम कर दिया जाए और चूंकि एमटीएनएल एक सूचीबद्ध कम्पनी है, अतः इससे सेबी और कम्पनी कानूनों सहित अन्य विनियमों का पालन किया जाना अपेक्षित है। केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के नोडल विभाग डीपीई को ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी नहीं है और दूरसंचार विभाग से राय मांगी गई जिसने सचिवालय द्वारा भेजे गए विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इस तथ्य के आलोक में कि ऐसे ही परिदृश्य में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के दो भारी उपक्रमों अर्थात-इंडियन एयरलायन्स और एयर इंडिया का विलय करने के

सरकार के निर्णय से बेहतर कार्य नहीं हुआ, समिति सरकार को आगाह करती है कि वह विशेषकर घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात एमटीएनएल और बीएसएनएल जिनकी वर्ष 2016-17 के दौरान संयुक्त वित्तीय देनदारियां 2403873 लाख रु. थी और सरकारी क्षेत्र के दोनों उपक्रमों की संयुक्त जनशक्ति 224367 थी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एमटीएनएल और बीएसएनएल के मामले में अपने अनेक वाणिज्यिक प्रतिवेदनों अर्थात वर्ष 2008 के प्रतिवेदन संख्या 12, 2014 के प्रतिवेदन सं. 17, 2015 के प्रतिवेदन सं. 20, 2015, के प्रतिवेदन सं. 55 और 2016 के प्रतिवेदन सं. 29 में अनेक प्रक्रियात्मक कमियां भी बताई गई थीं, के विलय के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी कारकों का विश्लेषण करे। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम ऐसे बाजार ढांचे के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जहां इन्हें निजी कम्पनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। (सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 24 वीं रिपोर्ट का पृष्ठ सं 130-132)

सरकार का उत्तर

जैसा कि यह मामला दूरसंचार विभाग तथा डीआईपीएएम से संबंधित है, डीपीई ने इन विभागों से विचार मांगे हैं।

क) डीआईपीएएम ने समिति की टिप्पणी पर दिनांक 26.42019 के का.ज्ञा. के माध्यम से सीओपीयू की चेतावनी के संबंध में विशेषकर घाटे में चल रही दो सबसे बड़ी सीपीएसयू नामतः एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के विलय के परिप्रेक्ष्य में, यह उल्लेख किया है कि इस विभाग को एमटीएनएल और बीएसएनएल के एक साथ विलय के संबंध में कोई भी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। नीति आयोग ने अपने पाँचवें भाग में एमटीएनएल के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की हैः " नीति आयोग नोट करता है कि एमटीएनएल को इसके मौजूदा परिस्थितियों में रणनीतिक विनिवेश करना कठिन होगा क्योंकि यह बड़ी हानि से ग्रसित, एक बड़े कर्ज के बोझ में दबा और इसमें एक विशाल कार्यबल शामिल है। एमटीएनएल के लिए नीति आयोग की सिफारिशें निम्नानुसार हैं। प्रथम यह अनुशंसा की जाती है कि लुटियंस दिल्ली को सुरक्षित संचार प्रदान करने के कार्य को एमटीएनएल से दूर रखा जाए, और इसे डीओटी द्वारा ऊवधिर रूपं में चलाया जाए। दूसरा, यह अनुशंसा की जाती है कि एमटीएनएल को मॉरीशस और नेपाल में अपने निवेश को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तीसरा, एमटीएनएल को अपने टावर कारोबार को बंद करना चाहिए और रणनीतिक रूप से उस व्यापार इकाई को विनिवेश करना चाहिए। एमटीएनएल में जो भी शेष रह गया है, उसे बंद किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग 30 दिनों के भीतर नीति आयोग और डीआईपीएएम/सीजीडी को इन लाइनों के साथ एक रणनीति प्रस्तुत कर सकता है।"

(ख) दूरसंचार विभाग (डीओटी) का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। डीओटी से जवाब मिलने पर, समिति को अवगत कराया जाएगा।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

सिफारिश (क्रम सं 18)

समिति को अवगत कराया गया है कि घाटा उठाने वाली सीपीएसयू की आस्तियों के मुद्राकरण माध्यम से प्रास नकदी एक पथक खाते में जमा की जाएगी। इस संबंध में समिति अब तक जमा राशि

आर एस संसाधनों के उपयोग हेत विकसित किए गए तंत्र के बारे में अवगत होना चाहेगी। (सरकारी उपक्रमा संबंधी समिति की 24 वीं रिपोर्ट का पृष्ठ सं143)

सरकार का उत्तर

डीपीई के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 19 रुग्ण/घाटे में चल रही सीपीएसईज । उनकी इकाइयों को बंद करने के लिए मंजूरी दी गई है। घाटे पर चल रही सीपीएसईज की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से संबंधित लेनदेन के विवरण इन सीपीएसईज के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के समक्ष उपलब्ध होंगे। समिति के अवलोकन को सरकार द्वारा अनुमोदित घाटे में चल रही 19 सीपीएसईज /सीपीएसईज की इकाइयों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में वाणिज्य विभाग, रेल मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग और रसायन और पेट्रो रसायन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक-X में दी गई है। इस संबंध में प्रतिक्रिया, शेष मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त होने पर, समिति को अवगत कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त सीपीएसईज़ के परिसंपत्ति मौद्रिकरण के संबंध में डीआईपीएएम द्वारा दिनांक 08.03.2019 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति मौद्रिकरण से भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि को विनिवेश से प्राप्ति के रुप में परिकलित किया जाएगा। कार्यनितिक विनिवेश के अंतर्गत सीपीएसईज़ के अभिनिर्धारित गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों और सीईपीआई के अधिग्रहण में शत्रु संपत्तियों के खुलासे के मामले में मौद्रिकरण की समस्त प्राप्तियों को विनिवेश से प्राप्तियों के रुप में माना जाएगा।

[भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) का. ज्ञा. सं. डीपीई/6(160)/2018-वित्त दिनांक 11.06.2019]

नई दिल्ली;

मीनाक्षी लेखी

7 जनवरी , 2021 **सभापति**

17 पौष, 1942 (शक) **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

अनुलग्नक ।

सरकार/होल्डिंग कंपनियों द्वारा स्वीकृत नकद और गैर-नकद सहायता

क्र.सं.	प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग / सीपीएसई का नाम	सरकार के अनुमोदन की तिथि	सरकार की स्वीकृति का व्यापक सार	स्वीकृत सहायता (करोड़ रुपए में)		
				नकद [क]	गैर-नकद[ख]	कुल
	भारी उद्योग विभाग					
1	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	4.5.2005	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार। नमक कारखाने के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की व्यवहार्यता पर भी भारी उद्योग विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।	4.28	73.30	77.58
2	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	25.8.2005	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	60.00	42.92	102.92
3	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	16.6.2005	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	--	54.61	54.61
4	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड*	29.12.2014	बन्द होना	7.40	43.97	51.37
5	प्रागा टूल्स लिमिटेड	20.10.2005	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के साथ वित्तीय पुनर्गठन और विलय के माध्यम से पुनरुद्धार	5.00	209.71	214.71

6	भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड	15.12.2005	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	102.00	1116.30	1218.30
7	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड	9.3.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार। गैर-संचालन इकाइयों को बंद करना और 3 ऑपरेटिंग इकाइयों का पुनरुद्धार।	184.29	1267.95	1452.24
8	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड	9.3.2006	संयुक्त उद्यम / विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	-	-	-
9	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड*	29.12.2014	बंद करना	-	-	-
10	भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर लिमिटेड	7.12.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	3.37	153.15	156.52
11	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	1.2.2007/ 28.2.2014	संयुक्त उद्यम साझेदार द्वारा रखे गए बहुमत शेयरहोल्डिंग के साथ वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से पुनरुद्धार और संयुक्त उद्यम का गठन	859.04	196.38	1055.42
12	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लि.	26.11.2007	वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से पुनरुद्धार और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण	34.00	665.61	699.61
13	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	22.2.2007	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	87.06	458.14	545.20
14	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	11.2.2009	पीएसई के रूप में	48.36	549.36	597.72

			पुनरूद्धार			
15	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	19.4.2007 / 6.11.2008	संयुक्त उद्यम / विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	--	815.59	815.59
16	एनईपीए लिमिटेड	6.9.2012	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	234.18	634.94	869.12
17	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	31.1.2013	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	90.38	111.58	201.96
18	एचएमटी लिमिटेड	18.4.2013	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	447.92	635.56	1083.48
19	भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड	16.6.2006	बंद करना	9.80	--	9.80
20	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	11.10. 2007	बंद करना	3.82	7.55	11.37
21	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि.	28.2.2014	बंद करना	181.54	--	181.54
22	एचएमटी वॉच्स लिमिटेड	29.12.2014	बंद करना	--	--	--
23	एचएमटी चिनार वॉच्स लिमिटेड	29.12.2014	बंद करना	--	--	--
24	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	29.12.2014	बंद करना	--	--	--
	खान मंत्रालय					
25	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	26.6.2007	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	--	612.94	612.94
26	खनिज अन्वेषण निगम लि.	27.7.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	-	104.64	104.64

	नौवहन मंत्रालय					
27	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	1.12.2005	संयुक्त उद्यम / विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	73.60	280.00	353.60
28	हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	13.10.2011	संयुक्त उद्यम के माध्यम से पुनरुद्धार	286.81	631.30	918.11
	रक्षा उत्पादन विभाग					
29	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	24.12.2009/ 23.3.2011	वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से पुनरुद्धार और नौवहन मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरण	452.68	372.22	824.90
	इस्पात मंत्रालय					
30	एमईसीओएन लिमिटेड	8.2.2007	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	93.00	23.08	116.08
31	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	24.4.2008	वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से पुनरुद्धार सेल (SAIL) के साथ विलय	--	479.16	479.16
	वस्त्र मंत्रालय					
32	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.5.2005	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार। पीएसई इकाइयों के रूप में 22 मिलों का पुनरुद्धार और पांडिचेरी की सरकार को 2 मिलें सौंपना।	39.23	-	39.23
33	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन	9.6.2011	पीएसई के रूप में	338.04	108.93	446.97

	लि.		पुनरूद्धार			
34	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	19.3.2010 / 25.11.2010	एनजेएमसी द्वारा पश्चिम बंगाल में किन्नीसन और खरदाह और बिहार में राय बहादुर हद्रुत मिल, कटिहार का चलना और शेष तीन मिलों, अर्थात् राष्ट्रीय संघ और अलेक्जेंडर को बंद करना।	517.33	6815.06	7332.39
	औषध विभाग					
35	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	9.3.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	137.59	267.57	405.16
36	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	21.12.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	207.19	233.41	440.60
	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग					
37	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.	9.3.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	250.00	110.46	360.46
38	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लि.	20.07.08	इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	12.53	56.52	69.05
39	हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	27.7.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	-	267.29	267.29
	उर्वरक विभाग					
40	उर्वरक और रसायन	30.3.2006	पीएसई के रूप में	-	670.37	670.37

	(त्रावणकोर) लिमिटेड		पुनरूद्धार			
41	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	21.5.2015	संयुक्त उद्यम के माध्यम से बीवीएफसीएल के मौजूदा परिसर के भीतर, नामरूप में एक नए ब्राउन फील्ड अमोनिया-यूरिया परिसर का वित्तीय पुनर्गठन और स्थापना	--	588.16	588.16
	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग					
42	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3.8.2006	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	-	16.28	16.28
	कृषि और सहकारिता विभाग					
43	स्टेट फॉर्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3.1.2008	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	21.21	124.42	145.63
	रेल मंत्रालय					
44	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.	4.12.2008	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	857.05	3222.46	4079.51
45	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	26.6.2008 / 7.2.2008/ 2.7.2009	वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से पुनरुद्धार और रेल मंत्रालय में स्थानांतरण	59.45	136.08	195.53
46	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	29.12.2005	वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से पुनरुद्धार और रेल मंत्रालय में	4.00	280.21	284.21

			स्थानांतरण			
47	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	10.6.2010	(i) इस्पात मंत्रालय के अधीन सेलम स्थित रिफैक्ट्री इकाई का सेल को हस्तांतरण, (ii) बीएससीएल (सेलम स्थित रिफैक्ट्री इकाई को छोड़कर) के प्रशासनिक नियंत्रण को रेलवे मंत्रालय को 'जैसा है जहां है' शर्त पर वित्तीय पुनर्गठन के साथ हस्तांतरण।	75.43	1139.16	1214.59
	जल संसाधन मंत्रालय					
48	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	26.12.2008	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	--	646.89	646.89
	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय					
49	हिंदुस्तान प्रीफैब लि.	20.8.2009	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	--	128.00	128.00
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
50	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	16.9.2010	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	3.00	28.40	31.40
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
51	बीको लॉरी लिमिटेड	25.4.2011	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	--	59.60	59.60
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास					

	मंत्रालय					
52	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	21.2.2013	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	8.50	83.06	91.56
	दूरसंचार विभाग					
53	आईटीआई लिमिटेड	12.2.2014	पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	3986.00	170.79	4156.79
	कोयला मंत्रालय					
54	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	5.10.2006	इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	--	2470.77	2470.77
55	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	25.2.2010	इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा पीएसई के रूप में पुनरूद्धार	1350.00	3428.55	4778.55
	वाणिज्य विभाग					
56	एसटीसीएल लिमिटेड	13.8.2013	बंद करना	--	**--**	**--**
	कुल			**11135.08**	**30592.40**	**41727.48**

क नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

ख गैर-नकद सहायता में ब्याज की छूट, दंड ब्याज, भारत सरकार का ऋण, गारंटी शुल्क, ऋण का इक्विटी/डिबेंचर में रूपांतरण आदि शामिल हैं।

* पहले पुनरुद्धार के लिए मंजूरी दी, अब बंद करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

****

अनुलग्नक-II

बिंद् संख्या 5. (i): सीपीएसयू के कार्यों के संबंध में सरकार की भूमिका - घाटे में चल रही सीपीएसई के संबंध में उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विचारों /टिप्पणियों का सार ।

1. फार्मास्यूटिकल्स विभाग: फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने अवगत कराया है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, निजी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित है और स्वदेशी बाजार के लिए दवाओं की आपूर्ति करने में सक्षम है, यह बड़ा निर्यातक भी है। साथ ही सरकार ने फार्मा सीपीएसयूज को बंद/विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

2. रेल मंत्रालय: कैबिनेट ने दिनांक 4.4.2018 को बर्न स्टैंडर्ड कं. लि. को बंद करने का निर्णय लिया है। ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. (बीसीएल) के संबंध में यह उल्लेख किया है कि सीपीएसई रणनीतिक तौर पर, वैगन बॉडी रिबिल्डिंग (पुनर्निर्माण) तथा विशेष प्रकार के वैगनों के विनिर्माण, दोनों प्रकार से भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वैगनों/वैगन घटकों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए विशेषकृत बुनियादी ढाँचे और कौशल हैं। बीसीएल एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो नए डिजाइन विकसित करने में भारतीय रेलवे को अधिकार (लचीलापन) प्रदान करता है और एनटीपीसी आदि के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए, खासकर सीमेंट ग्राहकों के लिए विशेष प्रकार के वैगन को सफलतापूर्वक बनाया है।

3. रक्षा उत्पादन विभाग: दिनांक 31.3.2017 के अनुसार, बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत एक संयुक्त उपक्रम कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान हानि दर्ज की है। रक्षा उत्पादन विभाग ने अवगत किया है कि बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड (बीटीएसएल) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) तथा थेल्स ग्रुप, फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है, जिसे दिनांक 28 अगस्त 2014 को निगमित किया गया था। बीटीएसएल का उद्देश्य थेल्स से तकनीकी निविष्टियों के साथ बीईएल की मौजूदा उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करते हुए सिविलियन तथा चयनित रक्षा राडार्स का भारतीय एवं वैश्विक बाजार के लिए डिजाइन, विकास, विपणन, आपूर्ति तथा समर्थन करना है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्थापित राडार के रखरखाव की खोज की और आपूर्ति आदेश भी प्राप्त किए, और इन आदेशों के निष्पादन के साथ यह एक अच्छा व्यवसाय करने में सक्षम होगा और मौजूदा वर्ष में उचित लाभ दिखाएगा (वित्तीय वर्ष 2018-19)। इसके अतिरिक्त, कंपनी आने वाले वर्षों में थेल्स फ्रांस की ऑफसेट आवश्यकताओं के लिए उप-संयोजनों/पुर्जों का निर्माण करने का कार्य कर रहा है। इसके लिए, बातचीत एक उन्नत चरण में है, और आपूर्ति आदेश फरवरी के अंत/मार्च 2019 के आरंभ तक प्राप्त होने की उम्मीद है। बीटीएसएल के पास न केवल मजबूत ऑर्डर बुक होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में यह लाभदायक भी होगा।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: मेसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के 100 प्रतिशत विनिवेश के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के निर्णय के अनुसरण में, विनिवेश की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को चेंगलपट्टू (तमिलनाडू) में एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर की 100

प्रतिशत सहायक कंपनी के रूप में भारत सरकार के वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वैक्सीन के विनिर्माण को समर्थन देने हेतु स्थापित किया गया था। विनिवेश किए जाने से पूर्व इसे एचएलएल लाइफकेयर से अलग करना होगा।

5. **भारी उद्योग विभाग**: भारी उद्योग विभाग ने अवगत किया है कि नीति आयोग समय-समय पर सीपीएसईज के कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन/विश्लेषण करता है और आगे की कार्रवाई जैसे बंद करने/विनिवेश/विलय इत्यादि का सुझाव देता है।

6. **गृह मंत्रालय**: गृह मंत्रालय ने अवगत कराया है कि दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसी) की स्थापना कैबिनेट के अनुमोदन से मकानों और पुलिस स्टेशन भवनों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग के लिए क्षमता विकसित करने के उद्देश्यों के साथ किया गया है। निगम की मुख्य गतिविधियाँ भवनों के साथ या इसके बिना भूमि का अधिग्रहण करना, घरों, कार्यालयों या अन्य भवनों आदि का निर्माण और रख रखाव का कार्य करना है। तदनुसार, डीपीएचसी की भूमिका मूल रूप से एक सुविधा प्रदाता की है। हालाँकि, जब भी आवश्यक हो, अनुपालन के लिए समिति के अवलोकन को ध्यान में रखा गया है।

7. **कोयला मंत्रालय:** भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां है, ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान हानि दर्ज की हैं। कोयला मंत्रालय ने बीसीसीएल और डब्ल्यूसीएल की वृद्धि और लाभप्रदता के लिए किए गए कार्यों/उपायों के बारे में सूचित किया है। इन दोनों कंपनियों में उपायों के परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन होने, और इसकी निचली रेखा और ईबीआईटीडीए मार्जिन में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। वास्तव में, बीसीसीएल ने पहले ही मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही के लिए नवीनतम परिणाम के अनुसार, कर से पहले 238.55 करोड़ रुपये का लाभ, और कर के बाद 199.14 करोड़ रुपये का लाभ प्रदर्शित हुआ है। डब्ल्यूसीएल भी वित्त वर्ष 2018-19 की प्रत्येक तिमाही में लाभ कमा रही है, और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 31.12.2018 को समाप्त 9 महीने तक अर्जित कर के बाद कुल लाभ 184.45 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। दिनांक 31.12.2018 तक कंपनी के पास लगभग 7 करोड़ रुपये के शुद्ध भंडार/प्रतिधारित आय है। उपरोक्त के मद्देनजर, बीसीसीएल और डब्ल्यूसीएल ने किसी भी विनिवेश/बंद का आह्वान नहीं किया है।

8. **रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग :** इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केवल एक पेट्रो- रसायन विभाग है अर्थात ब्रहम्पुत्र क्रेकर एण्ड पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) जो वर्ष 2016-17 के दौरान घाटे में चलने वाले सीपीएसईज में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2016-17 में बीसीपीएल में हानि के संबंध में यह बताया जाता है कि बीसीपीएल ने असम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट को चालू किया है जो कि असम एकोर्ड की एक प्रशाखा है। संयत्र की शुरूआत 2 जनवरी , 2016 को की गई थी और इसे असम के तीव्र चहुमुखी आर्थिक विकास के लिए 5 फरवरी, 2016 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान संयत्र आरंभिक स्थायीकरण चरण से गुजर रहा था

जिसके लिए इस परियोजना लागत में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, संयत्र को मैसर्स ओआईएल और मैसर्स एनआरएल के द्वारा फीडस्टॉक की अपर्याप्त आपूर्ति का भी सामना करना पड़ा और केवल 37% क्षमता पर ही प्रचालन किया जा सका। इसलिए बीसीपीएल के नियंत्रण से बाहर इन कारणों की वजह से कम्पनी वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रतिकूल परिसमापन स्थिति में थी। तथापि, इसके पश्चात 2017-18 से संयंत्र 78% क्षमता प्रचालन के साथ लाभ सृजित कर रहा है। चालू वर्ष 2018-19 में, संयंत्र 100% से अधिक क्षमता के साथ प्रचालन कर रहा है जिससे अपने प्रचालनों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नगदी का सृजन कर रहा है।

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग भी कम्पनी की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है। 5239.45 करोड़ रुपए में से 4990 करोड़ रुपए की बकाया पूंजीगत आर्थिक सहायता वर्ष 2018-19 तक पहले ही बीसीपीएल को रिलीज़ कर दी गई है। सचिव, डीसीपीसी की सह-अध्यक्षता के अंतर्गत एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। सचिव, एमओपीएनजी समय-समय पर फिडस्टॉक संबंधी मामलों की समीक्षा करते हैं।

9. इस्पात मंत्रालय: इस्पात मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है :-

9.1 जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड : यह एनएमडीसी लिमिटेड और जेकेएमएल, जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। जेकेएमडीसी ने पंथल, जम्मू एवं कश्मीर में 30000 टीपीए बर्न्ट मैगनिशिया (डीवीएम) संयंत्र और 124000 टीपीए मैगनिशिया माइन स्थापित करने के लिए कार्रवाई की शुरुआत की थी। वैष्णो देवी श्राईन से एनओसी जारी करने पर विचार है। नीति आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 21.08.2017 को सहायक, जेकेएमडीसी लिमिटेड को बन्द करने का अनुमोदन किया। तत्पश्चात, जेकेएमएल ने अन्य बातों के साथ साथ दिनांक 07.09.2017 के पत्र के द्वारा यह बताया कि उनके बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि एनएमडीसी लिमिटेड और जम्मू एंव कश्मीर मिनरल लिमिटेड के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पंथल मैगनेसाईट प्रोजेक्ट के भविष्य पर उपयुक्त निर्णय लेने के लिए जेकेएमडीसी/एनएमडीसी में व्यापार मैत्री प्रस्ताव पर सहमती बनी है। माननीय राज्यपाल के सलाहकार और समिति के अध्यक्ष द्वारा एनएमडीसी को श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

9.2 **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रकशन लिमिटेड**: हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रकशन लिमिटेड को वर्ष 2017 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

***

अनुबंध-III

बिंदु सं. 5. (ii): सीपीएसयूज के कार्यों के संबंध में सरकार की भूमिका

1. विद्युत मंत्रालय: समिति के अवलोकन पर विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयूज के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक होते हैं जिन्हे संबंधित सीपीएसयूज के संचालन के क्षेत्र से संबंधित तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ-साथ मानव संसाधन और वित्त के क्षेत्रों में विशेष जानकारी रखते हैं। इसके अलावा, बोर्डों में सरकारी नामिती और गैर-सरकारी निदेशक भी होते हैं, जिन्हें सरकारी नीतियों, प्रबंधन, वित्त आदि का ज्ञान होता है।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय: उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने घाटे में चल रहे 2 सीपीएसईज अर्थात उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एंव हथकरघा विकास निगम लि.(एनईएचएचडीसी) और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड(एनईआरएएमएसी) के संबंध में अवगत कराया है जो निम्नलिखित है।

2.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी): वर्तमान में एनईआरएएमएसी के बोर्ड में कृषि -बागबानी क्षेत्र और कृषि क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले निदेशक हैं और एमडी को कृषि विपणन में बहुत बड़ा अनुभव है। तथापि, व्यवसाय की प्रकृति और उद्योग में इसके संचालन पर विचार करते हुए निदेशक मंडल के पुनर्गठन का प्रस्ताव उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग के विचाराधीन है।

2.2 उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड: कंपनी के बोर्ड में सात निदेशक हैं, जिनमें आज की तारीख के अनुसार एक कार्यात्मक निदेशक भी शामिल है। कंपनी के बोर्ड में दो गैर-सरकारी निदेशक हैं।

3. इस्पात मंत्रालय: इस्पात मंत्रालय ने कहा है कि इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसईज के बोर्ड सशक्त होते हैं और इसमें निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ भी होते हैं । समिति के अवलोकन पर, इसने समिति के अवलोकन पर निम्नलिखित सीपीएसईज के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की है:

3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक सरकारी कंपनी है जिसमें अध्यक्ष, दो सरकारी नामित निदेशक और आठ स्वतंत्र निदेशक सहित पांच कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों को बैंकिंग, वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, उद्योग, प्रशासन, शिक्षाविदों, कार्मिक, संचालन, कच्चे माल, वाणिज्यिक, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सदैव समृद्ध और सराहनीय अनुभव के साथ पूर्ण योग्यता प्राप्त है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) एक 'महारत्न' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इसके कार्य के विभिन्न पहलुओं पर सरकारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित है। सभी प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को सरकार की नीतियों और विनियमों के अनुरूप कोटिकृत किया गया है।

3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल): आरआईएनएल बोर्ड में 5 (पांच) कार्यात्मक निदेशक, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के स्तर पर 2 (दो) सरकारी निदेशक और इस्पात मंत्रालय से संयुक्त सचिव और 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं । निदेशक मंडल निर्णयों की गुणवत्ता बढाने , समग्र प्रबंधन, पर्यवेक्षण और शासन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं , जिससे शीघ्र निर्णय लेना सुनिश्चित किया जा सके । औसतन हर महीने में बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बोर्ड को विभिन्न विशिष्ट उद्देश्य बोर्ड उप समितियों (बीएससी) द्वारा भी

सहायता दी जाती है जैसे कि मार्केटिंग से संबंधित बोर्ड उप समिति (बीएससीओएम); कच्चे माल की सुरक्षा और संयुक्त उद्यम और अधिग्रहण पर बोर्ड उप समिति; और विस्तार और संबंधित परियोजनाओं के लिए बोर्ड उप समिति। सभी बीएससी में सदस्य / अध्यक्ष के रूप में तीन स्वतंत्र निदेशक होते हैं और बीएससी की सिफारिशों को तेजी से लागू करने के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

3.3 बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी): बीएसएलसी बोर्ड में इस्पात मंत्रालय की ओर से उप महानिदेशक के स्तर पर एक निदेशक सहित 3 (तीन) निदेशक शामिल हैं जो निर्णयों की गुणवत्ता बढाने , समग्र प्रबंधन, पर्यवेक्षण और शासन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं । बोर्ड की बैठकें हर तिमाही में होती हैं। बोर्ड को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए आरआईएनएल के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं जो सिनेमा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। सिनेमा में अपेक्षित विशेषज्ञता रखने वाले दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को रोक दिया गया क्योंकि एनएफडीसी, सीएफएसआई और अन्य संगठन के विलय का मामला चर्चा में था। वर्तमान में, मंत्रालय में विभिन्न मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण के लिए दिनांक 29.01.2019 के कार्यालय आदेश के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें एनएफडीसी शामिल है।

5. उर्वरक विभाग: उर्वरक विभाग ने सूचित किया है कि सीपीएसईज के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और सरकारी नामित निदेशक शामिल हैं। बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति पीईएसबी द्वारा आयोजित एक खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से डीपीई/डीओपीटी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है। स्वतंत्र निदेशक भी उत्कृष्ट पेशेवर , शिक्षाविद, संस्थानों के निदेशक/ विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर हैं। विभाग में तैनात भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को सरकारी नामित निदेशकों के रूप में नामित किया गया है ।

*****

अनुबंध - IV

बिंदु सं. 7: कमेटी द्वारा 12 अभिनिर्धारित सीपीएसयूज का मामला अध्ययन

1. कोयला मंत्रालय: इस संबंध में, कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों, अर्थात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जिसे 2016-17 में हानि हुई के विकास और लाभप्रदाता के लिए किए गए कार्यों / उपायों के बारे में सूचित किया है । उपायों से दोनों कंपनियों में उल्लेखनीय रूप से उच्च उत्पादन और इसके नीचे की रेखा में वृद्धि और ईबीआईटीडीए मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। बीसीसीएल ने पहले ही लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही के लिए नवीनतम परिणाम 199.14 करोड़ रू के कर- पश्चात लाभ दर्शाता है। वित्त वर्ष 2018-19 की प्रत्येक तिमाही में डब्ल्यूसीएल भी लाभ अर्जित कर रही है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के 31.12.2018 के अंत में , 9 महीनों तक अर्जित कर- पश्चात कुल लाभ 184.45 करोड़ रू है। दिनांक 31.12.2018 को कंपनी के पास शुद्ध भंडार / प्रतिधारित आय लगभग 7 करोड़ रुपये की है। उपरोक्त के मद्देनजर, बीसीसीएल और डब्ल्यू सीएल किसी भी विनिवेश / बंद का आह्वान नहीं करते हैं।

2. रेल मंत्रालय: राइट्स इन्फ्रास्ट्रेक्चर सर्विसेज लि. (आरआईएसएल) राइट्स लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी शुरूआत 2010 में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) के निर्माण के मुख्य उद्देश्यों के साथ की गई थी । चूंकि, कंपनी द्वारा विकसित एमएफसी में से कोई भी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था, और कोई व्यवसाय हाथ में नहीं था और नए व्यापार को प्राप्त करना निकट भविष्य में संभव नहीं था अत: आरआईटीईएस लि. की जनवरी, 2016 में आयोजित निदेशक मंडल (होल्डिंग कंपनी) की बैठक में एमएफसी को जोनल रेलवे को सौंपने के बाद, आरआईएसएल को बंद करने का निर्णय लिया गया। बंद करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, राईट्स लि. द्वारा आरआईएसएल की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपना लिया गया है। लिक्विडेटर की नियुक्ति वर्ष 2016-17 में की गई । रेल मंत्रालय बंदी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है, जो उन्नत चरण में है।

3. विद्युत मंत्रालय: एनटीपीसी और पावरग्रिड की सहायक कंपनियों के संबंध में, जिनका 2016-17 में हानि हुई है के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया है:

3.1 कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड : यह एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह घाटे में चल रही कंपनी नहीं है।

3.2 पत्रातू विद्युत उद्योग निगम लिमिटेड: एनटीपीसी (74%) और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (26%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो झारखंड में 24000 मेगावाट (3x800 मेगावाट) परियोजना के निर्माण कार्य में लगा हुआ है । इसने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए कोई घाटा नहीं हुआ है।

3.3 एनटीपीसी विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड: एनटीपीसी की इस सहायक कंपनी में 10% हिस्सेदारी है। कंपनी बंदी की प्रक्रिया में है और इसकी परिसंपत्तियों और देयता को एनटीपीसी को 1 अप्रैल, 2015 से अंतरित कर दिया गया है ।

3.4 पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड।: 2016-17 में घाटे में चल रही कंपनियों के रूप में उल्लेखित ये पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। इन 3 कंपनियों को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) रूट के माध्यम से पावरग्रिड द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और राजस्व आय के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में अधिग्रहित किया गया है। ये सभी परियोजनाएं 2016/2017 में पूरी हो गई हैं और वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 2017-18 में लाभ अर्जित किया है और अपनी मूल कंपनी को लाभांश का भुगतान भी किया है। आज की तारीख के अनुसार पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड लाभ अर्जित नहीं कर रही है। पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड में हानि के मुख्य कारण लाइसेंस के अनुदान में देरी, अत्यधिक गंभीर आरओडब्ल्यू समस्याएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना के एक तत्व (765 केवी डी / सी नागापट्टिनम - सेलम लाइन) के पूरा होने के बावजूद, एक ही समय पर टैरिफ / राजस्व अर्जित किए बिना काफी समय तक निवेश अवरुद्ध हुआ । तथापि , यह आशा की जाती है कि ट्रांसमिशन टैरिफ की प्राप्ति और ट्रांसमिशन लाइसेंस देने में देरी की लागत में वृद्धि में सहायता और गंभीर राइट-ऑफ- वे (आरओडब्ल्यू) समस्याओं के कारण देरी होने पर, पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड भी लाभ अर्जित करना शुरू कर देगा। यह देखा जा सकता है कि लोक उद्यम पर समिति की सिफारिशों का पावरग्रिड द्वारा ध्यान रखा जा रहा है।

3.5 एनटीपीसी और पावरग्रिड और ऊर्जा मंत्रालय के शीर्ष प्रबंधन द्वारा इसकी सहायक कंपनियों सहित संगठन के कार्य- निष्पादन की सतत रूप से समीक्षा और विश्लेषण किया जा रहा है ।

4. इस्पात मंत्रालय: समिति के अवलोकन पर इस्पात मंत्रालय ने निम्नलिखित हानि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की है:

4.1 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल): सेल का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुआ है और इसे नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(क) पिछले 5 वित्तीय वर्षों (अर्थात 2013-14 से 2017-18 तक) और 9M, 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय परिणाम

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	टर्नओवर (सकल)	सकल लाभ (इबीआईडीटए))	ब्याज	अवमूल्यन	विशिष्ट / एबी सामान्य मदें लाभ (-) (+)	लाभ(+)/ लानि () कर पूर्व (पीबीटी)	कर	निवल लाभ (+)/ हानि(-) कर पश्चात (पीएटी)
1	2	3	4	5	6	7= (3-4-5-6)	7	8= (6-7)

13-14	51866	4853	968	1717	-1056	3225	608	2616
14-15	50627	5586	1454	1773		2359	266	2093
15-16	43294	-2204	2300	2402	-101	-7008	-2986	-4021
16-17	49180	672	2528	2680	-315	-4851	-2018	-2833
9 माह 17-18	41486	2528	1906	2216	-351	-1945	-648	-1297
17-18	58297	5184	2823	3065	-56	-759	-277	-482
9M 18-19	47944	7806	2352	2494	-335	2626	915	1710

i) वित्तीय वर्ष (एफवाई) 9 माह 18-19 के दौरान कार्य- निष्पादन : वर्तमान नौ महीनों में, 5 एकीकृत स्टील प्लांट्स (24%) की बिक्री योग्य स्टील की निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष(सीपीएलवाई) की इसी अवधि की तुलना में 47944 करोड रू पर टर्नओवर (सकल) 16 % तक अधिक है । वर्तमान नौ महीनों के दौरान , कर से पहले और कर पश्चात लाभ 2625.55 करोड़ रु और 1710.42 करोड़ रू सीपीएलआई में पर्याप्त रूप से उच्च निष्पादन को दर्शाता है ।

(ii) इसके अतिरिक्त , प्रतिकूल कारोबारी माहौल की चुनौतियों का सामना करने के लिए, 2016-17 के दौरान 'सेल उदय 'नामक एक कंपनी-वाईड टर्नअराउडं प्रक्रिया आरंभ की गई । ' सेल उदय 'अभ्यास के एक भाग के रूप में, सेल ने कंपनी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए और इसके टर्नअराउंड के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक प्रबंधन सलाहकार, मैसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को कार्य सौंपा है। कंसल्टेंट ने 2017 में 'व्यापक टर्नअराउंड रोडमैप' रिपोर्ट प्रस्तुत की। रोडमैप में कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों सहित सिफारिशें शामिल हैं जिनमें कच्चा माल , उत्पादन , बिक्री और मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, मानव शक्ति और उत्पादन आदि शामिल हैं। सेल वर्तमान में कार्यात्मक प्रक्रिया में है जिससे कंपनी के कार्य -निष्पादन में सुधार के लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है ।

(ख) रणनीतिक निवेश के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत है:

27 अक्टूबर, 2016 को, भारत सरकार ने सेल की तीन इकाइयों अर्थात सलेम स्टील प्लांट (एसएसपी), विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआइएसपी) और एलॉय स्टील प्लांट (एएसपी) के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दे दी है। रणनीतिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की देखरेख इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा की जा रही है और इसकी अध्यक्षता सचिव, इस्पात कर रहे हैं और अध्यक्ष, सेल और निदेशक (वित्त), सेल आईएमजी के सदस्य हैं। सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी 439 वीं बैठक में उपरोक्त स्टील प्लांट्स के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया। इन इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए विभिन्न मध्यस्थों / सलाहकारों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया चल रही है।

(ग) सेल के सहायक कंपनियों के बंद होने के संबंध में, निम्नलिखित प्रस्तुत है:

1.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	निकास के लिए योजना बनाई सेल बोर्ड के निर्णय के अनुरूप, 14 अगस्त, 2017 को छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया गया है कि सेल परियोजना में कोई और निवेश नहीं करेगा।
2.	सेल - जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ स्वैच्छिक रूप से कम्पनी को समाप्त करके के लिए आवेदन किया गया है।
3.	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ स्वैच्छिक रूप से कम्पनी को समाप्त करके के लिए आवेदन दायर किया गया है।
4.	आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड	आधिकारिक परिसमापन के तहत

4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल): आरआईएनएल ने वित्त वर्ष 2002-03 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद लगातार लाभ कमाया। हालाँकि, इस्पात उद्योग के डाउन टर्न और विशेष रूप से कई बड़े उत्पादों के कारण कंपनी को नीचे दिए अनुसार वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में नुकसान हुआ है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18*
कर के बाद लाभ (पीएटी)	(-) 1421	(-) 1263	(-) 1369

* ग्रेच्युटी सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के कारण असाधारण मद के रूप से 541.05 करोड़ रुपए पर विचार करने के बाद।

(i) विस्तार और आधुनिकीकरण इकाइयों से उत्पादन के स्थिरीकरण और रैंप अप के साथ, आर आई एन एल पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में उत्पादन, बिक्री और श्रम उत्पादकता आदि में निरंतर वृद्धि हासिल कर रहा है जैसा कि नीचे दिए गया है:

क्र. सं.	मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (फरवरी, 2019 तक)	
					उपलब्धि	सीपीएलवाय की तुलना में प्रगति
1.	सेलऐबल स्टील (000 टन)	3513	3847	4500	4479	12
2.	श्रम उत्पादकता (टी / मानव-वर्ष)	345	375	451	487	10
3.	स्टील बिक्री की मात्रा (000 टन)	3703	3702	4488	4328	9
4.	सकल बिक्री (ट्रायल रन बिक्री सहित)	12,271	12,706	16,618	18,515 #	28 #

अनंतिम

(ii) मात्रा में वृद्धि और लागत में कमी के उपायों के साथ कंपनी, 2015-16 (इण्ड ए एस) में 664 करोड़ रुपये से सकल मार्जिन की हानि को 2016-17 में 264 करोड़ रुपए और 2017-18 में 346 करोड़ रुपए सकारात्मक सकल मार्जिन कर सकती है। इसके अलावा, बाजार परिदृश्य में कुछ सुधार के साथ, कंपनी 2018-19 में 84 करोड़ रुपए (दिसंबर 2018 तक) के पीबीटी के साथ 1520 करोड़ रुपए (अनंतिम) के सकारात्मक सकल मार्जिन जनित कर सकती है।

4.3 **मेकॉन लिमिटेड :** मेकॉन को अपने व्यवसाय और अन्य कार्यों की समीक्षा के लिए एक बाहरी प्रबंधन एजेंसी, मेसर्स डेलोइट से एक अध्ययन करवाया। रिपोर्ट के आधार पर, मेकॉन ने अपनी संरचना को फिर से संगठित किया, अपनी एचआर प्रक्रियाओं में सुधार किया और समग्र सुधार के लिए अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर काम किया। मेकान लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 58 करोड़ रुपए कर के बाद लाभ (पी ए टी) अर्जित किया है और यह न तो घाटे उठाने वाला है और न ही रुग्ण सीपीएसई है। कंपनी के नेट वर्थ में सुधार हुआ है और रिजर्व और सरप्लस और नेट वर्थ का सकारात्मक संतुलन है।

4.4 **द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी):** पूर्ववर्ती बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत तीन कंपनियों को कैप्टिव खानों के लिए आर आई एन एल की आवश्यकता को देखते हुए आर आई एन एल के तहत लाया गया था। इन कंपनियों में से एक, मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड विभिन्न कारणों से घाटा उठा रही है जैसे कि कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष श्रमशक्ति आदि। रुग्ण / घाटा उठाने और नॉन-परफॉर्मिंग सीपीएसई पर नीति आयोग की समिति ने "मूल सीपीएसई विलय" की सिफारिश की है"। आर आई एन एल की आंतरिक समिति की रिपोर्ट ने अन्य बातों के साथ विलय का पक्ष नहीं लिया। कंपनी के 400 कर्मचारियों के लिए वीआरएस के माध्यम से और बकाया देनदारियों के बाद कंपनी के पूर्ण काया पल्ट को संभव माना गया है। बीएसएलसी द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार योजना की समीक्षा 20/02/19 को इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसमें यह महसूस किया गया था कि बजटीय समर्थन प्राप्त करने से पहले अन्य विकल्प अपनाए जा सकते हैं। उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

5. **उर्वरक विभाग:** उर्वरक विभाग ने समय-समय पर फर्टिलाइजर कैमिकल्स एण्ड कम्पनी त्रावणकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) को वित्तीय सहायता प्रदान करने और एफ ए सी टी के पुनरुद्धार / पुनर्गठन की वर्तमान स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। इस संबंध में, यह कहा गया है कि एफ ए सी टी को मार्च, 2016 में तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक योजना ऋण दिया गया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) को 169.67 एकड़ जमीन की बिक्री के लिए प्रशासनिक स्वीकृति उर्वरक विभाग द्वारा 23.3.2018 को दी गई, जिसके परिणामस्वरूप एफ ए सी टी के लिए लगभग 420 करोड़ रुपए प्राप्त हुए ।

दिनांक 23.2.2018 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए एफ ए सी टी के वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक प्रारुप कैबिनेट नोट परिचालित किया गया था। उर्वरक विभाग ने आगे कहा कि इसके बाद, 10.8.2018 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर, नीति आयोग ने "उर्वरक विभाग की अन्य उर्वरक इकाइयों के साथ एम एफ एल और एफ ए सी टी के विलय की व्यवहार्यता और एफ ए सी टी और एम ए सी टी के वित्तीय पुनर्गठन / पुनरुद्धार के लिए विकल्प " पर मसौदा अध्ययन रिपोर्ट, इस विभाग को टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत की है उसकी की जांच चल रही है।

****

अनुबंध - V

बिंदु संख्या 10 (ii): सरकार द्वारा नकद और सहायता और अन्य अनुमोदनों में देरी

1) **उर्वरक विभाग:** एफ ए सी टी के संबंध में उर्वरक विभाग ने निम्नलिखित सूचना दी है:

i) पूर्ववर्ती बीआरपीएसई (नवंबर, 2015 में समाप्त) की सिफारिशों के आधार पर, उर्वरक विभाग ने 17.4.2014 को सीसीईए के लिए नोट प्रस्तुत किया। कैबिनेट के निर्देशों के अनुसार, सीसीईए के विचार के लिए संशोधित नोट अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) के लिए 3.7.2014 को परिचालित किया गया था। व्यय विभाग ने एफ ए सी टी के पुनर्गठन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी। व्यय विभाग ने कहा कि एफ ए सी टी को पुनर्गठन के लिए अपने आंतरिक संसाधनों के साथ एक योजना तैयार करनी चाहिए। इसके बाद, 2015 में आईएमसी के लिए कैबिनेट नोट को संशोधित किया गया और परिचालित किया गया। प्रधान मंत्री कार्यालय पीएमओ ने दीपम से जून, 2015 में संयंत्र का दौरा करने और मामले में स्वतंत्र रुप से सिफारिश करने का अनुरोध किया। इस बीच, एफ ए सी टी में तत्काल वित्तीय संकट को कम करने के लिए, मार्च, 2016 में 1000 करोड़ रुपए का योजना ऋण प्रदान किया गया था।

ii) दिनांक 23.2.2018 को अंतर मंत्रालयी समिति के लिए एफ ए सी टी के वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट परिचालित किया गया था।

iii) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) को 169.67 एकड़ जमीन की बिक्री के लिए प्रशासनिक स्वीकृति इस विभाग द्वारा 23.3.2018 को प्रदान की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एफ ए सी टी के लिए 420 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। ।

iv) इसके बाद दिनांक 10.8.2018 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्राप्त निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

क) उर्वरक विभाग ने एफ ए सी टी से केरल सरकार को भूमि की बिक्री के प्रस्ताव को वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव से डी-लिंक किया है। "केरल सरकार को एफ ए सी टी द्वारा की 481.79 एकड़ जमीन की बिक्री और लगभग बिक्री की आय का एफएसीटी द्वारा लगभग 970 करोड़ रुपए के उपयोग" के लिए कैबिनेट नोट की अग्रिम प्रतियों को दिनांक 07.01.2019 को कैबिनेट सचिवालय और प्रधान मंत्री कार्यालय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था।

ख) एफएसीटी और एमएफएल के विलय की संभावना का पता लगाने के लिए दिनांक 16.11.2018 को एनएफएल, आरसीएफ, एमएफएल, एफएसीटी और आईएफएफसीओ के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। किसी भी भागीदार कंपनी ने एमएफएल और एफएसीटी की निगेटिव नेट वर्थ के कारण एफएसीटी / एमएफएल के आमेलन / विलय में अपनी रुचि नहीं दिखाई।

ग) नीति आयोग ने "उर्वरक विभाग की अन्य उर्वरक इकाइयों के साथ एम एफ एल और एफ ए सी टी के विलय की व्यवहार्यता और एफ ए सी टी और एमएफएल के वित्तीय पुनर्गठन / पुनरुद्धार के लिए विकल्प " पर मसौदा अध्ययन रिपोर्ट, इस विभाग को टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत की है उसकी जांच चल रही है।

***

अनुलग्नक-VI

बिंदु संख्या 12: पुराने हो चुके संयंत्र और मशीनरी/पुरानी तकनीकी

1. भारी उद्योग विभाग: भारी उद्योग विभाग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.3.2019 के माध्यम से सूचना दी है कि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सीपीएसई में समय-समय पर की जा रही है जो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं ताकि उनकी विशेषज्ञता व अनुभव का लाभ मिल सके।

2. रक्षा उत्पादन विभाग: बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड (बीटीएसएल) एक सीपीएसई है जिसने वर्ष 2016-17 के दौरान हानि दर्ज की है। रक्षा उत्पादन विभाग ने सूचना दी है कि बीटीएसएल भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) तथा थेल्स ग्रुप, फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है, जो बीईएल की मौजूदा उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करते हुए सिविलियन तथा चयनित रक्षा राडार्स का भारतीय एवं वैश्विक बाजार के लिए डिजाइन, विकास, विपणन, आपूर्ति तथा समर्थन करना है। दो बड़ी विकासात्मक परियोजनाएं (1) मल्टी ट्रैकिंग फैरोस राडार, तथा (2) पैसिव राडार, की शुरूआत बीटीएसएल में थेल्स/बीईएल से डिजाइन और विकास सहयोग के साथ की गई थी। चूंकि पैसिव राडार के घरेलू बाजार की अच्छी संभावना है, वहीं फैरोस राडार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। थेल्स नीदरलैंड के फैरोस राडार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के साथ कार्य किया जा रहा है। रक्षा उत्पादन विभाग ने उल्लेख किया है कि आने वाले वर्षों में बीटीएसएल के पास न केवल मजबूत ऑर्डर बुक होगी, बल्कि यह लाभदायक भी होगा।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एचएलएल बायोटेक तथा एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 के दौरान हानि दर्ज की। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने अपना व्यावसायिक उत्पादन आरंभ नहीं किया है। एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड के संबंध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अवगत कराया है कि कंपनी केवल विगत दो वर्षों को छोड़कर, वर्ष 1966 में इसकी शुरूआत से ही लाभ अर्जित करती रही है। नई इकाइयों के पूंजीकरण के कारण लाभप्रदता प्रभावित हुई है। विनिर्माण गतिविधियों के अलावा, कंपनी सामाजिक क्षेत्र की सहयोगी परियोजनाएं कर रही है। कंपनी अपने लिए पूर्ण बदलाव की रणनीति (टर्नअराउंड स्ट्रैटेजी) तैयार करने हेतु पहले से ही एक बाहरी अग्रणी सलाहकार की सेवाएं प्राप्त कर रही है, और उनकी सिफारिशों के आधार पर विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई है, और इसे निश्चित समयसीमा और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जा रहा है। कंपनी को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कंडोम और अन्य गर्भ निरोधकों की आपूर्ति के लिए बंदी (कैप्टिव) का दर्जा दिया गया है।

4. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय: समिति के अवलोकनों के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड तथा एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड के बारे में निम्ननुसार अवगत कराया हैः

(क) प्राइज़ पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी (पीपीसीएल): ऑस्ट्रेलिया में तेल और गैस परिसंपत्तियों के संबंध में पीपीसीएल द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार हैः

i) ऑफशोर (अपतटीय) प्लेटफॉर्म और ऑनशोर गैस प्रोसेसिंग प्लांट के बीच सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का अपग्रेडेशन (उन्नतीकरण) ।

ii) गैस टर्बाइनों के प्रतिस्थापन और इंजनों के उन्नयन जो क्रमशः ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म पर और ऑनशोर गैस प्रसंस्करण संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

iii) ऑनशोर गैस प्रोसेसिंग प्लांट में पीएबीएक्स सिस्टम का प्रतिस्थापन।

iv) संभावित साइबर हमलों के विरूद्ध बचाव को और अधिक मजबूत करने के लिए ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीकल साइबर सिक्योरिटी टूल की तैनाती।

ऑस्ट्रेलिया में तेल और गैस परिसंपत्तियों में तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने (जो समय के साथ अपनी प्रकृति से अनिवार्य रूप से घटता है) के संबंध में पीपीपीसीएल द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार हैः

i) स्थल के जीवन को दीर्घ बनाने के लिए ऑफशोर (अपतटीय) प्लेटफॉर्म पर कंप्रेशर और कंडेन्सेट पंपिंग मॉड्यूल की स्थापना, जो कि हाइड्रोकार्बन रिकवरी को अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है।

ii) उत्पादन स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से वायरलाइन अंतःक्षेप।

उत्पादों के बाजार खोने पर की गई कार्रवाईः

i) पीपीसीएल उच्च मांग वाले उत्पादों की बिक्री कर रहा है अर्थात कच्चा तेल/कंडेन्सेट, गैस, एलपीजी इत्यादि और ख्यातिप्राप्त खरीदारों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध(धों) को निष्पादित किया है।

ii) आवश्यक व्यवस्थाओं का दोहन किया गया है, जैसे कि वितरण स्थानों पर अप्रत्याशित घटनाओं से कंपनी की रक्षा के लिए वैकल्पिक खरीदार के साथ समानांतर अनुबंध, और इस प्रकार अपने उत्पाद(दों), विशेष रूप से कंडेन्सेट का निरंतर वितरण/बिक्री सुनिश्चित करना।

iii) घरेलू परिचालन के संबंध में, पीपीसीएल ने ओएनजीसी के साथ सेवा अनुबंध निष्पादित किया है। सेवा शुल्क परिचालन व्ययों को पूरा नहीं करने के लिए, पीपीसीएल ने अपने अनुबंध के प्रावधानों के तहत सेवा शुल्क में वृद्धि को कार्यान्वित किया है।

(ख) एचपीसीएल बायोफयूल्स लिमिटेड (एचबीएल): वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान प्लांट और मशीनरी/तकनीक को पूंजीकृत किया गया था, जो अभी 7 वर्ष पुराने हैं और इनका उपयोगी जीवन काल 15 से 25 वर्ष है। सुगौली और लौरिया के दोनों संयंत्र अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। इसके अलावा, एचबीएल नियमित रूप से उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पूंजी परियोजनाओं के संबंध में संयंत्र और मशीनरी से संबंधित परिवर्तन की संभावनाओं की समीक्षा करता है।

5 रेल मंत्रालय: समिति के अवलोकन पर रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना दी है :

5.1 मैसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) के संबंध में रेल मंत्रालय ने अवगत कराया है कि बीसीएल में एक समिति का गठन किया गया था और ज्यादातर पुरानी मशीनों को बदला/निपटान किया जा चुका है तथा नई मशीनें जैसे कि सीएनसी प्लाज्मा, सेमी-ऑटोमैटिक वेल्डिंग मशीनें, बेंडिंग इत्यादि को पहले ही तकनीकी के उन्नयन के तहत आरंभ किया गया है। ईआरपी को प्रभावी प्रबंधन के लिए शुरूआत की गई है।

5.2 घाटे में चल रहे एक सीपीएसई सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड (एससीआईसीएल) के संबंध में रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पंतनगर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में कंपनी का घरेलू परिचालन 28.11.2015 को शुरू हुआ। एक्जिम ऑपरेशन 17.09.2016 को शुरू हुआ और जैसा कि कंपनी नई है, सभी कार्यालय उपकरण अद्यतन हैं। संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी तीसरे पक्ष के अनुबंध पर है और ठेकेदार ने हमारी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक मशीनरी प्रदान की है। अप्रचलित या पुरानी तकनीक का मुद्दा नहीं उठता है।

5.3 घाटे में चल रहे एक सीपीएसई कंपनी फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एफएचईएल) के संबंध में रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कंपनी को 2006 में निगमित किया गया था। यह देश के पहले नियंत्रित वायुमंडल (सीए) स्टोर में से एक था। प्रौद्योगिकी और मशीनरी उस समय में सबसे अच्छी थीं। कंपनी संचालन का प्रमुख प्रशीतन प्रणाली, अभी भी प्रासंगिक और तकनीकी रूप से दुरुस्त है। कंपनी बदली हुई उद्योग की जरूरतों के लिए अपनी सुविधा को संशोधित करने और अतिरिक्त निवेश करके संयंत्र, मशीनरी और प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है। प्रबंधन ने दो चरणों में सुविधा के री इंजीनियर / पुनरुद्धार का फैसला किया है, अर्थात्, सीए स्टोर को चिलर, बॉन्डेड कोल्ड स्टोर वेयरहाउस और सीए स्टोर में चरण-I में मेजेनाइन फर्श के साथ परिवर्तित करके मौजूदा सुविधा का संशोधन जो पहले से ही चालू है; चरण-दो में बांडेड वेयरहाउस तथा इसके अलावा चरण दो में बांडेड वेयरहाउसिंग डीप फ्रीज और पारंपरिक कोल्ड स्टोर जो 2019-20 में कार्यान्वित किया जाएगा। री-इंजीनियर सुविधा किसानों, व्यापारियों, आयातकों और निर्यातकों जैसे सभी प्रकार के ग्राहकों की जरुरतों को भी पूरा करेगी। इसलिए अप्रचलित या पुरानी तकनीक का मुद्दा नहीं उठता है।

6. नागर विमानन मंत्रालय: एयर इंडिया सेवा क्षेत्र में कार्य करती है, और इसके संचालन के क्षेत्र में मशीनरी/उपकरण मुख्य रूप से विमान हैं। कंपनी के विमान मुख्य रूप से नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण है, जिसे सरकारी प्रतिभूति के समर्थन से भी प्राप्त किया गया है। यहाँ तक कि लीज़ पर लाए गए विमान जो वर्तमान में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए प्राप्त किए जा रहे हैं, परिचालन लीज़ पर प्राप्त किए जा रहे हैं, और उनके जीवन और प्रौद्योगिकी के मामले में ये सबसे नवीनतम विमान हैं।

7. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग: रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने बताया है कि रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में दो रुग्ण/हानिग्रस्त रासायनिक कंपनियां हैं नामतः हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), और हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल), जो एचओसीएल की सहायक कंपनी है। एचओसीएल की दो विनिर्माण इकाइयाँ रसायनी (महाराष्ट्र), और कोच्चि (केरल) में स्थित थीं। एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कान्सेन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड (सीएनए)/डाई-नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N^{2o4}) संयंत्र को छोड़कर, रसायनी इकाई में सभी संयंत्र संचालन

बंद कर दिये गये हैं, जिसे अंतरिक्ष विभाग/इसरो को हस्तांतरित कर दिया गया है। हालांकि कोच्चि इकाई, जिसमें फेनॉल, एसीटोन और हाइड्रोजन परक्साइड का निर्माण करने के लिए संयंत्र हैं, वे परिचालन जारी रखेंगे, रासयनी यूनिट की भूमि और अन्य असंबद्ध संपत्तियों को निपटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डीआईपीएएम के माध्यम से एचओसीएल का रणनीतिक विनिवेश करने हेत् सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया गया है।

8. **कोयला मंत्रालय:** समिति के अवलोकन पर, कोयला मंत्रालय ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के विकास और लाभप्रदता के लिए किए गए कार्यों/उपायों की जानकारी दी है। यह उल्लेख किया गया है कि इन उपायों से उच्च उत्पादन परिणाम की उम्मीद है, और दोनों कंपनियों में इसकी निचली रेखा में भी काफी वृद्धि होगी।

9. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय : उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने घाटे में चल रहे 2 सीपीएसईज अर्थात उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एंव हथकरघा विकास निगम लि.(एनईएचएचडीसी) और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड(एनईआरएएमएसी) के संबंध में अवज्ञत कराया है।

9.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड(एनईआरएएमएसी): यह कृषि- बागबानी आधारित विपणन निगम है जो जटिल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य नहीं करता है। एनईआरएएमएसी के चार प्रसंस्करण संयत्र हैं जो वर्तमान में प्रचालन की गैर- व्यवहार्यता और पुरानी एवं अप्रचलित प्रौद्योगिकियों तथा अपने पुनरूद्धार हेत् निधियों की कमी की वजह से प्रचालन में नहीं हैं। कंपनी ने हाल ही में पीपीपी मोड पर अदरक प्रसंस्करण के लिए एक प्रसंस्करण इकाई का पुनरूद्धार कर रही है और पीपीपी मोड के अंतर्गत अन्य संयत्र हेतु भी प्रयास कर रहा है।

9.2 उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एंव हथकरघा विकास निगम लि.(एनईएचएचडीसी) : एनईएचएचडीसी एक व्यापार एंव विपणन कंपनी है । एनईएचएचडीसी उत्तर पूर्वी राज्यों के हस्तशिल्प एंव हथकरघा उत्पादों का विपणन एंव व्यापार करता है। ऐसे विपणन संबंधी कार्यकलापों को सुनियोजित प्रदर्शनियों, एक्सपोज और मेलों के रूप में इम्पोरिया/क्षेत्रीय बिक्री प्रोन्नयन कार्यालयों को स्थापित करके कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी ने गत दस वर्षो के दौरान कोई संयत्र और मशीनरी प्राप्त नहीं की है।

10. विद्युत मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय ने समिति के अवलोकन पर निम्नलिखित सूचना दी है :

10.1 पत्रातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कांति बिजली उत्पादन निगम लि . ये दोनो कंपनियां एनटीपीसी की सहायक कंपनियां हैं। पत्रातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) ने अपनी 325 मेगावाट यूनिट को बंद कर दिया है और 800-800 मेगावाट की 3 यूनिटों का निर्माण कार्य नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ आरंभ कर दिया गया है । इसी प्रकार कांति बिजली उत्पादन निगम लि (केबीयूएनएल) को संशोधित किया गया है और 610 मेगावाट की इसकी वर्तमान क्षमता तक पंहुचने के लिए नई युनिटों को जोडा गया है।

10.2 पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लि., पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लि और पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लि. : ये कंपनियां पूर्ण रूप से पावरग्रिड की सहायक कंपनियां हैं। इन 3 कंपनियों को ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए टैरिफ आधारित तुलनात्मक बोली (टीबीसीबी) रूट के माध्यम

से पावरग्रिड के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और राजस्व अर्जन हेतु विशेष उद्देश्य व्हीकल के रूप में प्राप्त किया गया है। ट्रांसमीशन लाईन में उपयोग की गई प्रौद्योगिकी पुरानी न होकर नवीनतम है।

11. इस्पात मंत्रालय: इस्पात मंत्रालय ने समिति के अवलोकन पर अपने नियंत्रणाधीन घाटे में चल रहे निम्नलिखित सीपीएसईज के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी उपाय प्रस्तुत किए हैं :

11.1 स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि.(सेल) :

i) इस्पात क्षेत्र में आधिपत्य को बनाए रखने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सेल ने अपने पांच एकीकृत इस्पात संयत्रों अर्थात भिलाई, बोकारो, राउरकेला ,दुर्गापुर और बर्नपुर तथा सलेम में विशेष इस्पात संयत्र के लिए विस्तार योजना तैयार की है। इसकी क्रूड इस्पात क्षमता को प्रति वर्ष 12.8 मिलियन टन से बढा कर 21.4 मिलियन टन करने के अतिरिक्त यह योजना उच्च उत्पादन मूल्यों के समर्थन के लिए अनुकूल अवसंरचना सुविधाओं के साथ प्रमुख जानकारियों की उच्चतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी अप्रचलन,उर्जा बचत, उत्पाद मिश्रण सम्पन्नता,प्रदूषण नियंत्रण, खादान एवं खानों को विकसित करने की दिशा में सेल संयत्रों की आवश्यकता का पर्याप्त रूप से समाधान करता है ।

ii) आधुनिकीकरण और विस्तार के अंतर्गत सेल ने कोक ड्राई क्वेचिंग के साथ 7एम टॉल कोक ओवन बैटरीज, उच्च दाब रिकवरी टर्बाइनों के साथ उच्च वाल्यूम (4000एम3 से अधिक) ब्लास्ट फर्नेसं, नवीनतम इस्पात निर्माण,रिफाइनिगं और कास्टिगं प्रौद्योगिकी के साथ ऑक्सीलरी फ्यूल इंजेक्शन और कास्ट हाउस ग्रेनूलेशन संयत्र, स्टील मेल्टिगं शॉप्स और अद्यतन रॉलिगं मिल्स अर्थात कपल्ड पिकलिगं और टेडंम मिल कोल्ड रोल्ड प्रोडक्टस के लिए लंबी रेलों के लिए यूनिवर्सल रेल मिल (260एम तक), 4.3 मी. चौडी प्लेट मिल इत्यादि जैसे नवीनतम अद्यतन प्रौद्योगिकियां चालू की हैं।

iii) उपर्युक्त विनियामक अनुपालन, सिस्टम सुधार, उर्जासंरक्षण, संशोधन/ पुनर्स्थापन / डिबोटलनेकिगं आदि के अतिरिक्त सेल विभिन्न संवर्धन, संशोधन और पुनर्स्थापन (एएमआर) परियोजनाओं की भी कार्यान्वयन कर रहा है ।

11.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल):

i) नवीनतम पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन करने और प्रचालन की क्षमता को बढाने के लिए आरआईएनएल ने लगभग 4000 करोड रू. की लागत से 3.0 एमटीपीए स्तर की मौजूदा प्रचालन यूनिटों के पुनरूद्धार और अच्छी स्थिति हेतु आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

ii) आरआईएनएल ने मौजूदा प्रमुख उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा किया है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

- **बी एफ -1 और 2 के आधुनिकीकरण** का कार्य क्रमश: जुलाई,14 और अक्टूबर, 17 में पूरा किया गया है ।
- **एसएमएस-1कन्वरटर्स ए,बी और सी** को पुनर्निमित किया गया और क्रमश: मार्च,16, अक्टूबर,16 और मई,17 में शुरूआत की गई ।

- **सिंटर मशीन- 1** के सुधार का कार्य जुलाई, 2017 में पूरा किया गया। सिंटर मशीन- 2 में सुधार के कार्य को 3 ब्लास्ट फर्नेस प्रचालन के संदर्भ में अधिकतम उत्पादन मॉडल पर विधिवत विचार करते हुए किया जाएगा।

iii) ब्लास्ट फर्नेसिस में कॉपर स्टेब्स के उपयोग के कारण फर्नेसिस का आकार 3200 सीयूएम से बढ़कर 3800 सीयूएम हो गया जिसके परिणामस्वरूप दोनों फर्नेसिस में हॉट मेटल उत्पादन में 1.0 एमटीपीए की वृद्धि हुई। तद्नुसार मार्च, 2016 और 2017 में क्रमशः एक और कनवर्टर और कास्टर बनाने से तरल इस्पात उत्पादन में 1.0 एमटीपीए की वृद्धि हो गई।

12. **सूचना और प्रसारण मंत्रालयः-** जहां तक नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन का प्रश्न है, कार्पोरेशन ने समय पर इसे अपग्रेड करने के लिए कार्रवाई की है। कार्पोरेशन ने फिल्मों के सेल्यूलॉयड फार्मेट को डिजिटल फार्मेट में परिवर्तित करने के लिए भी कार्यवाही की है और यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। एनएफडीसी ने समय पर अपनी एविड तकनीक को फर्स्ट कट प्रो से दॉ विन सी रिजोल्व आदि में भी परिवर्तित किया है। एनएफडीसी ने सेल्यूलॉयड फिल्म सब- टाइटिलिंग मशीनरी, एरीफिलैक्स - III कैमरा आदि जैसी पुरानी तकनीक को समाप्त कर दिया है। अद्यतन तकनीक और उनके प्रभाव के ब्यौरे निम्नवतहैंः

i) बैकअप प्रोसेस। सेंटरलाइज डाटा स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के परिणाम स्वरूप प्रत्येक कर्मचारी अब महत्वपूर्ण डाटा स्टोरेज को सेव करने में सक्षम है और इसे विभागाध्यक्ष के साथ शेयर कर सकता है।

ii) हाल ही में किए गए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के परिणामस्वरूप फास्ट नेटवर्क में पहुंच बनी है और न्यूनतम संभव समय में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।

iii) एनएफडीसी, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक वेब आधारित एमएसएसक्यूएल ऑनलाइन वेंडर एमपैनलमेंट प्रक्रिया स्थापित की गई है।

iv) फिल्म फेसीलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) ने दिनांक 20.11.2018 को एक एफएफओ वेब पोर्टल आरंभ किया है जिससे अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना संभव होगा, जिसमें भारत भी शामिल है।

v) कार्पोरेशन ने फिल्मों के सेल्यूलॉयड फार्मेट को डिजिटल फार्मेट में परिवर्तित करने के लिए भी कार्यवाही की है और यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है जिसके परिणामस्वरूप पहुंच आसान हुई है और इसे दीर्घ अवधि के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

vi) कार्पोरेशन ने समय पर अपनी एविड तकनीक को फर्स्ट कट प्रो से दॉ विन सी रिजोल्व आदि में भी परिवर्तित किया है जिससे इन-हाउस पोस्ट प्रोडक्शन करने में और जिससे अमेजन, हॉटस्टार, टाटा स्काई, रिलायंस आदि जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता के अनुसार फिल्मों (मीडिया) को परिवर्तित करने में सहायता मिली है।

13). **उर्वरक विभागः-** उर्वरक विभाग ने कहा है कि उर्वरक क्षेत्र एक नियंत्रित क्षेत्र है। इसलिए कंपनियों के उत्पादों के संबंध में बाजार हिस्सेदारी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तथापि, समय-समय पर यथा अपेक्षित अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

***

अनुलग्नक-VII

बिंदु संख्या 13: **विविधीकरण**

1. **रेल मंत्रालय:** रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि ब्रेथवेट एंड कं लि. ने प्रशासनिक मंत्रालय से परामर्श में पहले ही अपने कारोबार को बदल दिया है, और स्टीम लोकोमोटिव्स की नई लाइन, स्टेनलेस स्टील बेंच, ट्विन पाइप रिट्रोफिटमेंट, वैगन रिपेयर ऑनसाइट गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिससे इसके समग्र कारोबार में विगत वर्ष 2017-18 की तुलना में 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड स्वोट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण करने तथा अपने लिए पूर्ण बदलाव की रणनीति (टर्नअराउंड स्ट्रैटेजी) तैयार करने हेतु पहले से ही एक बाहरी अग्रणी सलाहकार की सेवाएं प्राप्त कर रहा है, और उनकी सिफारिशों के आधार पर विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई है, और इसे निश्चित समयसीमा और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जा रहा है।

3. रक्षा उत्पादन विभाग: बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड (बीटीएसएल) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) तथा थेल्स ग्रुप, फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है। बीटीएसएल का उद्देश्य थेल्स से तकनीकी निविष्टियों के साथ बीईएल की मौजूदा उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करते हुए सिविलियन तथा चयनित रक्षा राडार्स का भारतीय एवं वैश्विक बाजार के लिए डिजाइन, विकास, विपणन, आपूर्ति तथा समर्थन करना है। दो बड़ी विकासात्मक परियोजनाएं (1) मल्टी ट्रैकिंग फैरोस राडार, तथा (2) पैसिव राडार, की शुरूआत बीटीएसएल में थेल्स/बीईएल से डिजाइन और विकास सहयोग के साथ की गई थी। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्थापित राडार के रखरखाव के लिए कार्यआदेश प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी आने वाले वर्षों में थेल्स फ्रांस की ऑफसेट आवश्यकताओं के लिए उप-संयोजनों/पुर्जों का निर्माण करने का कार्य कर रहा है। इसके लिए, बातचीत एक उन्नत चरण में है, और आपूर्ति आदेश फरवरी के अंत/मार्च 2019 के आरंभ तक प्राप्त होने की उम्मीद है। बीटीएसएल के पास न केवल मजबूत ऑर्डर बुक होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में यह लाभदायक भी होगा।

4. भारी उद्योग विभाग: भारी उद्योग मंत्रालय ने अवगत कराया है कि सीपीएसई के बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम तथा समय-समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियों का निर्वहन किया जाता है।

5. कोयला मंत्रालय: रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सीएमपीडीआईएल की सहायता से झरिया कोलफील्ड (बीसीसीएल के कोयला खनन लीजहोल्ड के तहत) में झरिया सीएमएम/सीबीएम ब्लॉक स्थित कोयला खानों से मीथेन (सीएमएम) के दोहन में भी तेजी ला रहा है, और यह ऊर्जा के अनछूए स्रोतों को खोलने का एक लंबा रास्ता तय करेगा, और इस तरह कंपनी के लिए राजस्व के स्रोत पैदा करेगा। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स

लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने 'सैंड फ्रॉम ओवर बर्डन प्रोजेक्ट' के माध्यम से शीर्ष लाइन को बढ़ावा देने के लिए विविधीकरण और व्यावसायिक कार्यक्षेत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नागपूर क्षेत्र के भानेगाँव माइंस में पायलट संयंत्र चालू है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत कम लागत वाली आवास परियोजनाओं में उपयोग के लिए नागपूर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एनआईटी) को बहुत कम कीमत पर संयंत्र ने रेत प्रदान की है। डब्ल्यूसीएल ने मुंबई-नागपूर सुपर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को ओबी और रेत भी प्रदान किए हैं। डब्ल्यूसीएल अपने रेत उत्पाद को व्यावसायिक रूप से वर्ष 2018-19 के दौरान काफी सस्ती दर पर शूरूआत करने के लिए तैयार है, साथ ही यह कंपनी के लिए पर्याप्त राजस्व और लाभ कमा रहा है।

6. विद्युत मंत्रालयः- एनटीपीसी की दोनों सहायक कंपनियां अर्थात पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लि. और कान्ति बिजली उत्पादन निगम लि. केवल विद्युत उत्पादन के व्यापार में लगी हुई हैं। इन्होंने अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण नहीं किया।

7. रसायन एवं पैट्रो रसायन विभागः- रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग ने ब्रहमपुत्र क्रैकर्स एंड पोलीमर लि. से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कहा है कि प्रस्ताव में 386.75 करोड़ रु. की परियोजना लागत से ब्यूटेन- 1 और एचपीजी संयंत्र की स्थापना की जाए जिसका वित्तीय पोषण ऋण और इक्विटी/ आंतरिक संभूति से 90:10 के अनुपात से किया जाएगा। सरकार इसका अध्ययन कर रही है। प्रस्ताव का उद्देश्य बीसीपीएल के कार्यों में मूल्यवर्धन करना है।

8. इस्पात मंत्रालयः- समिति की टिप्पणी पर इस्पात मंत्रालय ने अपने नियंत्रण में निम्नलिखित घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ के संबंध में सूचना इस प्रकार से दी हैः

8.1 स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडः- एक महारत्न पीएसयू स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपनी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलू भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा अधिशासित होते हैं। सभी प्रक्रियाएं, नियम एवं विनियम भारत सरकार की नीतियों और विनियमों के अनुसार बनाए गए हैं।

8.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडः- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने लालगंज, उत्तर प्रदेश में लगभग 1683 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक लाख पहिए प्रतिवर्ष की क्षमता का एक फोर्जड व्हील प्लांट स्थापित किया है। एक ऑफ-टेक समझौता भारतीय रेल के साथ हस्ताक्षरित किया गया है जिसमें 80000 पहिए प्रतिवर्ष लागत और प्राइसिंग मॉडल के आधार पर ऑफ-टेक किए जाएंगे। एफड्ब्ल्यूपी के लिए इनपुट सामग्री की आपूर्ति विशाखापट्नम में मुख्य प्लांट से की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन्न पहल तथा आरआईएनएल द्वारा "मैक इन इंडिया" की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास का एक हिस्सा है। विविधीकरण पर किसी प्रकार के प्रस्ताव को पहले संबंधित बीएससी अर्थात कच्ची सामग्री सुरक्षा और संयुक्त उद्यम एवं अधिग्रहण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और समिति की सिफारिशों के साथ ऐसे प्रस्तावों को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यापारिक मुद्दों पर ऐसे विविधीकरण पर निर्णय बड़ी सावधानी से लिया जाता है ताकि कंपनी का मुख्य कार्य अपने मुख्य व्यापार तक ही निहित रहे इसका ध्यान रखा जाता है।

8.3 मैकॉन लिमिटेडः- एक प्रबंधन सलाहकार एजेंसी से काफी पहले कराए गए एक अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर मैकॉन ने ऊर्जा (विद्युत और तेल एवं गैस) और ढाचांगत क्षेत्रों में विविधीकरण का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा विविधीकरण तेल एवं गैस (ऊर्जा गंगा परियोजना, 40 शहरों में सीजीडी परियोजनाएं, पीओएल टर्मिनल्स आदि), ऊर्जा (सभी के लिए 24X7 विद्युत,

डीडीयूजीजेवाई आदि) और ढांचागत (रक्षा ढांचागत - सी-बर्ड परियोजना चरण - I और II, सीओडीज़ और आरओडीज़, डीसेलीनेशन प्लांट, नोट प्रेस और मिन्ट्स) जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में है।

8.4 बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी): बीएसएलसी, सेल को डोलोमाइट का एक कैप्टिव आपूर्तिकर्ता है। सीमेंट निर्माताओं को आपूर्ति के लिए चूना, पत्थर का एक बहुत बड़ा बाजार है बशर्ते कि इसकी लीज़ को 31.03.2020 तक बढ़ाया जाए।

9. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयः- एनएफडीसी के संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समिति की टिप्पणी पर निम्नलिखित सूचित किया हैः

(i) नए उत्पादों/ अवसरों एवं कार्यक्रमों में विविधीकरण पर निर्णय लेते समय एनएफडीसी का प्रबंधन हमेशा एसडब्ल्यूओटी (स्ट्रेनथ, वीकनेस, अपोर्च्यूनिटी, थ्रेट) जैसे तथ्यों को हमेशा ध्यान में रखा है। कार्पोरेशन ने हानि के खतरे को कम करने के लिए उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में भी विशेषज्ञता हासिल की है। एनएफडीसी ने दो इंडो-जर्मन्स, दो इंडो-फ्रेच और एक इंडो-न्यूजीलैंड फिल्मों का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से सहनिर्माण किया है। अंतरराष्ट्रीय सहनिर्माण से बड़े एवं नए बाजारों में पहुंच, वित्तीय संसाधनों को पूल करने की क्षमता, भागीदारी सरकारों का प्रोत्साहन और सहायता तक पहुंच, निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि, विशेष कौशल और उपकरणों तक पहुंच, भागीदार और नेटवर्क से सीखने का मौका, वांछित स्थल पर पहुंच, सस्ती सूचना तक पहुंच आदि में लाभ मिलता है।

10. उर्वरक विभागः उर्वरक विभाग ने कहा है कि सीपीएसईज़ के निदेशक मंडलों को डीपीई द्वारा सीपीएसई के श्रेणीकरण अर्थात महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न के अनुसार और इस संबंध में समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय लेने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

***

अनुलग्नक-VIII

बिंदु संख्या 15: वीआरएस पैकेज/देय राशि के भुगतान में देरी

1. फार्मास्यूटिकल्स विभाग: फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने सूचित किया है कि मंत्रिमंडल ने पहले दिनांक 28.12.2016 को सीपीएसई (हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड) की देनदारियों (कर्मचारियों की देयताओं सहित) को सरकारी एजेंसियों को उनकी अधिशेष भूमि की बिक्री आय से वहन करने का निर्णय लिया था। चूंकि जमीन बेची नहीं जा सकीं, देनदारियों का वहन नहीं किया जा सका। विभाग ने पहले के फैसले को संशोधित करने के लिए फिर से कैबिनेट से संपर्क किया है, और कर्मचारियों के वेतन/वीआरएस इत्यादि संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए बजटीय सहयोग की मांग की है।

2. वाणिज्य विभाग: वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि कोई राशि बकाया नहीं है।

3. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड में 765 कर्मचारी हैं। सीसीईए ने दिनांक 16 अगस्त, 2017 को आयोजित इसकी बैठक में इसके सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस देते हुए तथा इसकी चल और अचल परिसंपत्तियों को नीलाम करते हुए इस निगम को बंद करने का निर्णय लिया है। वीआरएस/वीएसएस का भुगतान पूरा हो चुका है। अवकाश नगदीकरण के भुगतान को भी पूर्ण कर लिया गया है। ग्रेच्युटी के दावों के 673 मामले जारी किए गए हैं और शेष प्रक्रियाधीन हैं। टीई का भुगतान पूर्ण कर लिया गया है।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड में कर्मचारियों का कोई देय बकाया नहीं है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड में कर्मचारियों का कोई देय बकाया नहीं है।

5. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय:

(क) **इंडियन ऑयल-क्रेडा बायोफ्यूल्स लिमिटेड (आईसीबीएल) एवं क्रेडा - एचपीसीएल बायो फयूल लिमिटेड (सीएचबीएल):** चूंकि इसके बंद होने के समय इन कंपनियों में कोई जनशक्ति नहीं थी, इसलिए इनके कर्मचारियों के संबंध में कोई बकाया नहीं है।

(ख) **प्राइज़ पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी (पीपीसीएल):** केवल एक कर्मचारी को छोड़कर जो कि सीधे तौर पर पीपीसीएल द्वारा नियोजित है, अन्य कर्मचारियों को मूल कंपनी से अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति के तौर पर रखा गया है। सभी कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन और समय पर लागू होने वाले सभी लाभों का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) **एचपीसीएल जैव ईंधन लिमिटेड (एचबीएल):** एचपीसीएल बायो फ्यूल लिमिटेड (एचबीएल) द्वारा कर्मचारियों को समय पर नियमित भुगतान किया जाता रहा है। संगठन छोड़ने वाले कर्मचारियों के देयकों का समय कंपनी द्वारा हमेशा समय पर निबटान किया जाता रहा है। एचबीएल अपने कर्मचारियों के सांविधिक प्रतिलाभों से जुड़े भुगतान में भी नियमित रहा है जैसे कि भविष्य निधि, बोनस इत्यादि।

6. रेल मंत्रालय: रेल मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में घाटे में चलने वाले अपने सीपीएसईज के लिए समिति की टिप्पणी के संबंध में सूचित किया है जो निम्नलिखित है:

6.1 मैसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल): दिनांक 1.1.2007 से वेतनमानों के संशोधन को पूर्व में ही समय पर लागू कर दिया गया था और बीसीएल कर्मचारियों के वेतन को आगे संशोधित करने की प्रक्रिया जारी है जो कि वर्ष 2017 से की जाएगी और इसे मई 2019 तक कार्यान्वित किए जाने की अपेक्षा है।

6.2 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) : सीसीईए ने बीएससीएल को बंद करने के निर्णय को दिनांक 4.4.2018 को अनुमोदित किया। दिनांक 1.9.2018 के अनुसार इसमें 453 कर्मचारी हैं। भुगतान के संवितरण को रोकने के लिए कंपनी ने एनसीएलएटी आदेशों के विरुद्ध राहत के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 07/09/2018 के आदेश को रद्द करने की अनुमति दी। तदनुसार, 396 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआर) विकल्प प्रस्तुत किए, और वीआर प्रतिलाभों का भुगतान किया गया। 57 कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प प्रस्तुत नहीं किए थे, उन्हें वापस ले लिया गया और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया गया।

6.3 मैसर्स सिडकुल कॉनकार इंफ्रा कंपनी लि. (एससीआईसीएल): एससीआईसीएल में कोई नियमित कर्मचारी नहीं है इसलिए वीआरएस का कोई मामला नहीं है। कंपनी धारक कंपनी कॉनकार से सभी संविदा कर्मचारियों को वेतन और अन्य पुनर्भुगतान नियमित रूप से और पूरा भुगतान कर रही है और प्रतिनियुक्ति पर सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सयम पर कर रही है।

6.4 मैसर्स फ्रेस एंड हैल्दी एंटरप्राइजेज लि. (एफएचईएल): इस सुविधा को जीवश्म बनाने के लिए एफएचईएल की नामावली में से कुछ कर्मचारी इस्तीफे के बाद कॉनकोर में शामिल कर लिए गए हैं और उनका पूरे भुगतान और अंतिम निपटान पर प्रक्रिया चल रही है।

6.5 राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ लि. (आरआईएसएल): राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ लि., राइट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। राइट्स लिमिटेड (धारक कंपनी) के निदेशक मंडल ने अपनी जनवरी, 2016 में आयोजित बैठक में आरआईएसएल को

एमएफसी को जोनल रेलवे को हस्तांतरित करने के बाद बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी की नामावली में कोई कर्मचारी नहीं है।

7. पर्यटन मंत्रालय: पर्यटन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि निम्नलिखित सीपीएसयू के संबंध में सीओपीयू रिपोर्ट में अंतर्निहित सिफारिशें लागू नहीं हैं, जैसा कि निगमों को विनिवेशित कर दिया गया है अथवा वे विनिवेश के अग्रिम स्तर पर हैं।

(i) असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

(ii) डोनी पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

(iii) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

(iv) उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

8. भारी उद्योग विभाग: समिति के अवलोकनों पर भारी उद्योग विभाग ने जानकारी दी है कि एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर प्रभाग), एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, तुंगभद्रा इस्पात संयंत्र लिमिटेड और हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के वीआरएस/वीएसएस तथा अन्य बकायों का भुगतान पूर्ण कर लिया गया है। एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के मामले में कुछ कर्मचारियों के बकाए का भुगतान एक अदालती मामले के कारण लंबित है। रानीबाग इकाई के कर्मचारियों का बकाया अदालत के फैसले के आधार पर तय किया जाएगा।

9. नागर विमानन मंत्रालय: नागर विमानन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति (जेडीसी) की सिफारिशों के आधार पर, संशोधित मूल वेतन (आरबीपी) को सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न तिथियों से पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ लागू किया गया है और इनका भुगतान संबंधित समझौतों की तिथियों से प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को किया जा रहा है। हालांकि, एयर इंडिया की लेखा बहियों में 1331.91 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जेडीसी की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में, एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों के लिए रोके गए 25 प्रतिशत भत्तों के भुगतान के लिए किया गया है। तदनुसार, उक्त राशि का भुगतान तब किया जाएगा जब व्यक्तिगत कर्मचारी-वार बकाया राशि का लेखा विवरण तैयार हो जाएंगे और साथ ही कंपनी की वित्तीय/तरलता की स्थिति अनुकूल होगी।

10. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग: रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) और हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के कर्मचारियों के लंबित बकाये की स्थिति के बारे में दिनांक 12.03.2019 के अनुसार जानकारी दी है जो लंबितता की अवधि और इस पर की गई कार्रवाई/इसके निपटान की आवश्यकता के बारे में है, जो निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	**कर्मचारियों के बकाया देय (मौजूदा और सेवानिवृत्त)**	**राशि (रुपये करोड़ में)**	**कब से लंबित है**	**की गई कार्रवाई/उसी को निपटाने की आवश्यकता**
क.	एचओसीएल			
(i)	सेवानिवृत्त कर्मचारी	3.82	1997 से पहले अलग-अलग अवधि के लिए	कंपनी द्वारा बकाया भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, भुगतान न्यायालयीन मामलों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित है, जिनका संपर्क विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।
(ii)	रसायनी इकाई के वीआरएस विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारी	3.94	फरवरी 2018	कुछ वीआरएस विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों को कंपनी के पुनर्गठन योजना को लागू करने के लिए अस्थायी रूप से बनाए रखा गया है। एक बार कार्यमुक्त किए जाने पर उनके बकाया का भुगतान किया जाएगा।
(iii)	कोच्चि इकाई के वीआरएस विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारी	1.85	दिसम्बर 2018	रसायनी इकाई की भूमि बिक्री से धनराशि प्राप्त होने के बाद भुगतान किया जाएगा।
	कुल	9.61		
ख.	एचएल			
(i)	वेतन और भत्ते	2.08	अप्रैल, 2018 से 20% वेतन और फरवरी 2019 के लिए वेतन	एचएफएल ने जानकारी दी है कि इसका वित्तीय कार्यप्रदर्शन बेहतर हो सकता है यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवंटित इसका नॉन-फीडस्टॉक उत्पादन कोटा सीएफएम-22 को बढ़ाकर 1500 एमटीपीए मौजूदा आवंटित कोटा
(ii)	वेतन संशोधन बकाया	15.54	अक्टूबर 2012	

(iii)	सांविधिक देय	20.02	अप्रैल, 2012 से फरवरी 2019 तक अलग-अलग अवधि के लिए	1100 एमटीपीए के सापेक्ष कर दिया जाए। विभाग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए सीएफएम-22 कोटा को बढ़ाकर 1500 मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है जो बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारी बकाया के निपटान की सुविधा प्रदान कर सकता है।
	कुल	37.64		

11. कोयला मंत्रालय: कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जनशक्ति पर मजदूरी लागत पहले ही तय हो चुकी है।

12. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयः- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने दो घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़ अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हेंडलूम्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्किटिंग कार्पो. लि. के बारे में सूचित किया है कि किसी भी कर्मचारी का वीआरएस का बकाया शेष नहीं है।

13. विद्युत मंत्रालयः- पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लि. और कान्ति बिजली उत्पादन निगम लि. के संबंध में किसी भी वीआरएस कर्मचारी के बकाया भुगतान में विलम्ब नहीं हुआ है। पावरग्रिड एनएम-ट्रांसमिशन लि., पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रासमिशन लि. और पावरग्रिड विजाग ट्रासमिशन लि. के संबंध में यह कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के शेष बकाया का भुगतान समय पर पावरग्रिड द्वारा कर दिया गया है।

14. इस्पात मंत्रालयः समिति की टिप्पणी पर इस्पात मंत्रालय ने अपने नियंत्रण में निम्नलिखित घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ के संबंध में सूचना इस प्रकार से दी हैः

14.1 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडः आरआईएनएल रुग्ण कंपनी नहीं है। आरआईएनएल समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर रही है। इसके कार्यनिष्पादन में सुधार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और कंपनी का कायापलट जल्दी ही करने की आशा है।

14.2 मैकॉन लिमिटेडः- मैकॉन अपने नियमित कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाए का भुगतान कर रही है।

14.3 बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी): लंबित वेतन के भुगतान के लिए राशियों की व्यवस्था हेतु सभी प्रयास किए गए हैं। कंपनी, मजूरी और वैधानिक भुगतानों के लिए राशियों की व्यवस्था विक्रय राजस्व से जनित राशियों से कर रही है।

15. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया है कि वीआरएस पैकेज के लिए कोई भुगतान लंबित नहीं है।

16. उर्वरक विभागः उर्वरक विभाग ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के कोई शेष बकाया/ वीआरएस पैकेज शून्य है।

***

अनुबंध - IX

17 (i) : एनबीसीसी के माध्यम से घाटा उठाने वाले पीएसयूज की अधिशेष भूमि और परिसम्पत्ति का विक्रय

1. **फार्मास्यूटिकल्स विभाग:** टिप्पणी में उल्लिखित एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की भूमि के संबंध में फार्मास्युटिकल्स विभाग ने सूचित किया है कि मंत्रिमण्डल ने 28.12.2016 को अपनी बैठक में आईडीपीएल और आरडीपीएल को सरकारी एजेंसियों को अधिशेष भूमि की बिक्री के माध्यम से देनदारियों के भुगतान के बाद बंद करने का फैसला किया था। ईमानदारी से प्रयासों के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष भूमि की बिक्री नहीं हुई, क्योंकि मुख्य रूप से बोली केवल सरकारी एजेंसियों से आमंत्रित की गई थीं। इस प्रकार, बंद को प्रभावी करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की सभी देनदारियों को पूरा करने के लिए राशियां अर्जित नहीं की जा सकी है। अब दिनांक 14.06.2018 के संशोधित डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष भूमि की बिक्री की संभावना का पता लगाना प्रस्तावित है।

2. **रेल मंत्रालय:** मैसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) के संबंध में रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोई अधिशेष भूमि उपलब्ध नहीं है जिसे एनबीसीसी के माध्यम से बिक्री के लिए पेश किया जा सकता है। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के संबंध में, यह अवगत कराया गया है कि भूमि के निपटान के लिए एलएमए के साथ समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता।

3. **रसायन एंव पेट्रोरसायन विभाग:** हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) की रासयनी इकाई की भूमि की संपत्ति की बिक्री एच ओ सी एल के सीसीईए अनुमोदित पुनर्गठन योजना के अनुसार की जा रही है। (पुनर्गठन योजना के तहत एच ओ सी एल की रासयनी इकाई को बंद कर दिया गया है)। रुद्रराम जिला संगारेड्डी, तेलंगाना में अपने संयंत्र स्थल पर हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) की अधिशेष भूमि की बिक्री दिनांक 04.02.2019 को पीएमओ में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इसपर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि एचओसीएल और एचएफएल की उपर्युक्त भूमि की बिक्री के संदर्भ में, रसायन एंव पेट्रोरसायन विभाग ने ऐसी घाटा उठाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा एचओसीएल और एचएफएल की भूमि और संपत्ति की भविष्य में आवश्यकता के बारे में कोई विकल्प नहीं खोजा है क्योंकि ये दोनों" सिद्धांत रूप में" विनिवेश के लिए स्वीकृत हैं।

4. **कोयला मंत्रालय:** कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोयला खदानें ज्यादातर दूरदराज के इलाकों में हैं और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में यह कहा गया है कि उनके पास कोई अतिरिक्त जमीन नहीं है, जो उनके नियंत्रण क्षेत्र में मौजूद है।

5. **भारी उद्योग विभाग:** भारी उद्योग विभाग ने कहा है कि वे तीव्र प्रगति के उद्देश्य से इस पहलू की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं। स्थिति निम्नानुसार है:

दिनांक 31.01.2017 के पत्र के तहत मंत्रिमण्डल /सीसीईए के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, भारी उद्योग विभाग के तहत कुछ सीपीएसईज़को बंद करने के लिए एनबीसीसीको भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नामित किया गया था, जो कि निम्नलिखित 5 सीपीएसई है:-

i. हिंदुस्तान केबल्स लि।,

ii. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड,

iiii. एच एम टी बियरिंग लिमिटेड,

iv. एच एम टी वाचेज लिमिटेड और

v. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि।

(Ii) एल एम ए ने दिनांक 17.05.2017 को पहला निविदा अनुरोध (आर एफ क्यू) जारी किया। प्रत्युत्तर में 5 सीपीएसईज की कुल 22 संपत्तियों में से 7 अचल संपत्तियों के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों से 8 बोलियां प्राप्त हुईं। बातचीत के बाद, निम्नलिखित चार भूमि पार्सलों (दो भागों में) को अंततः एलएमए द्वारा निपटाए जाने की सिफारिश की गई थी। सक्षम प्राधिकारी के आगे के अनुमोदन के लिए इन्हें भारी उद्योग विभाग में वापस भेजा गया।

क्र. सं.	**सीपीएसई का नाम**	**संपत्ति का विवरण**	**क्षेत्र**	**संगठन**	**निपटान के लिए अनुशंसित क्षेत्र**
1	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	मौला अली हैदराबाद में भूमि	29.33 एकड़	इसरो	29.33 एकड़
2	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	मल्लापुर गाँव हैदराबाद में भूमि	227 एकड़ 27.5 गुंटा	बीपीसीएल	92 एकड़
3	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	चेरलापल्ली गांव हैदराबाद में भूमि	96 एकड़ 35 गुंटा	बीपीसीएल	23 एकड़
4	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	होस्पेट कर्नाटक में भूमि	82.37 एकड़	कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड	82.37 एकड़

(iii) सीपीएसईज की शेष संपत्तियों के निपटान के लिए 20.11.2017 को एलएमए द्वारा आरएफक्यू को फिर से आमंत्रित किया गया था। 8 अचल संपत्तियों के संबंध में विभिन्न सरकारी संगठनों से बोलियां प्राप्त की गईं। बातचीत के बाद एलएमए द्वारा पांच संपत्तियों को अंतिम रूप देने की सिफारिश की गई।

(iv) एलएमए द्वारा दी गई उपरोक्त 9 संपत्तियों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	संपत्ति का विवरण		आवंटन का विवरण			वर्तमान स्थिति
		प्रकार एवं स्थिति	क्षेत्र	संगठन का नाम	आवंटित क्षेत्र	पेशकश किया गया मूल्य करोड़ में	
1	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	मौला अली हैदराबाद में भूमि	29.33 एकड़	इसरो	29.33 एकड़	104.10	भूमि इसरो को बेची गई।
2	टीएसपीएल	होस्पेट कर्नाटक में भूमि	82.37 एकड़	कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड	82.37 एकड़	54.36	भूमि कर्नाटक सरकार को बेची गई।
3	एचसीएल	चेरलापल्ली गांव हैदराबाद में भूमि	96 एकड़ 35 गुंटा	बीपीसीएल	23 एकड़	47.46	एलएमए से प्राप्त सिफारिश लंबित कोर्ट केस के कारण नहीं मानी गई।
4	एचसीएल	मल्लापुर गाँव हैदराबाद में भूमि	227 एकड़ 22.5 गुंटा	बीपीसीएल	92 एकड़	189.83	
5	एचसीएल	नरेंद्रपुर, कोलकाता में भूमि	2 एकड़	इंटेलीजेंस ब्यूरो	2 एकड़	30.25	एलएमए ने आईबी को बिक्री की सिफारिश की।
6	एचसीएल	गरिहत रोड कोलकाता में गेस्ट हाउस	3613 वर्ग फुट	इंटेलीजेंस ब्यूरो	3613 वर्ग फुट	2.65	15.11.2018 को अंतर-मंत्रालयीय संदर्भ एमएचए को भेजा गया।
7	एचसीएल	रासबिहारी एवेन्यू कोलकाता में गेस्ट हाउस	2558 वर्ग फुट	इंटेलीजेंस ब्यूरो	2558 वर्ग फुट	2.13	15.04.2019 को एमएचए से जवाब मिला कि आईबी द्वारा उद्धृत मूल्य या आरक्षित मूल्य, जो भी कम हो, पर विचार किया

							जाएगा। हालांकि, दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि बिक्री दो कीमतों में से अधिक पर हो।
8	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	मालवीय नगर, जयपुर में भूमि	1.04 एकड़	इंटेलीजेंस ब्यूरो	1.04 एकड़	24.79	11.01.2019 को एलएमए से प्राप्त अनुशंसा को मूल विभाग (एमएचए) में भेजा गया है। 15.04.2019 को एमएचए से उत्तर मिला कि आईबी ने इस भूखंड के लिए 24.79 करोड़ रुपये के लिए बोली प्रस्तुत की है। इसकी जांच की जा रही है।
9	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	मालवीय नगर, जयपुर में भूमि	1.37 एकड़	आयुष मंत्रालय आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान)	1.37 एकड़	19.00	आयुष मंत्रालय ने दिनांक 11.04.19 को बजटीय प्रावधान करने के लिए कुछ और समय का अनुरोध किया.

(v). एलएमए ने निम्नलिखित संपत्तियों का पुन: निविदा (तीसरी बार) प्रस्तावित किया है, जिन्हें आज तक निपटाया नहीं गया है:

S. No.	**सीपीएसई का नाम**	**संपत्ति का ब्यौरा**	**क्षेत्र**	**निस्तारण की स्थिति**
1	हिंदुस्तान केबल्स लि.	रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल में भूमि	947.23 एकड़	निविदा के दो दौर में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 14.6.2018, का. ज्ञा. सं. डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग-1) के पैरा 3.3 और 4.3.2 (बी) (ix) के अनुसार जहाँ भी
2		गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, चडितल लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 4	3 फ्लैट्स- 850 वर्ग फुट 1 फ्लैट - 1020	

		फ्लैट्स	वर्ग फुट	प्रशासनिक मंत्रालय को भूमि के निपटान में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह नीति आयोग से परामर्श करेगा। तदनुसार, इन संपत्तियों के निपटान का मामला सलाह के लिए नीति आयोग को भेजा गया है।
3		जूही कॉलोनी, इलाहाबाद में फ्लैट्स	प्रत्येक 1076 वर्ग फुट	
4		अग्निपथ कॉलोनी, इलाहाबा में 2 2 फ्लैट्स	प्रत्येक 1266 वर्ग फुट	
5		एशियन गेम्स विलेज नई दिल्ली में 1 रेसीडेन्स	1963 वर्ग फुट	लंबित कोर्ट केस के कारण विचार नहीं किया गया। निपटान में कठिनाइयों के कारण, दिनांक 14.6.2018 के का. ज्ञा. सं. डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग-1) के पैरा 3.3 और 4.3.2 (बी) (ix) के अनुसार मामले को सलाह के लिए नीति आयोग को भेज दिया गया।
6		चेरलापल्ली वेलेज, हैदराबाद में बैलेंस लैंड	73 एकड़ 35 गुंटा	
7		मल्लापुर विलेज, हैदराबाद में शेष भूमि	135 एकड़ 22.5 गुंटा	
8	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	बड़ोदरा में 1 कार्यालय एवं आवास	1200 वर्ग फुट	निविदा के दो दौर में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 14.6.2018, के का. ज्ञा. सं. डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग-1) के पैरा 3.3 और 4.3.2 (बी) (ix) के अनुसार जहाँ भी प्रशासनिक मंत्रालय को भूमि के निपटान में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह नीति आयोग से परामर्श करेगा। तदनुसार, इन संपत्तियों के निपटान का मामला सलाह के लिए नीति आयोग को भेजा गया है।
9		जूहू तारा रोड, सांताक्रूज, मुंबई , में 3 फ्लैट्स	प्रत्येक 540 व फुट	
10		बीच रिज़ॉर्ट, जुहू कोलीवाडा, मुंबई में 2 फ़्लैट	प्रत्येक 540 व फुट	
11		मोनालिसा सोसाइटी, बांद्रा, मुंबई में3 फ्लैट्स	1 फ्लैट 551 वर्ग फुट 2 फ्लैट्स 534 वर्ग फुट	
12		रेमी बिज़कोर्ट, अंधेरी, मुंबई में 4 वाणिज्यिक फ़्लैट	331,408,478 और 741 वर्ग फुट	

13		स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय की जगह	7710 वर्ग फुट	
14	एचएमटी वॉचेज लि.	मोनालिसा सोसाइटी, बांद्रा, मुंबई में 1 फ्लैट	753 वर्ग फुट	उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2019 को रिट याचिका संख्या 3292/2016, रद्द कर देने पर डीएचआई ने भूमि के निपटान की प्रक्रिया शुरू की है।
15		रानीबाग, नैनीताल में शेष भूमि	45.62 एकड़	

(vi). तत्पश्चात, एलएमए ने उपरोक्त उल्लिखित भूमि संपत्तियों को 7.9.2016 और बाद में दिनांकित 14.6.2018 के संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पैरा 10 में निहित निर्देशों के अनुसार निपटाने के लिए आगे बढ़ाया है। बंद करने पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में, दिनांक 7.9.2016, के का. ज्ञा. सं. डीपीई/ 5 (1) / 2014-वित्त (भाग) के अनुसार भूमि को केंद्र सरकार के विभागों, केंद्र सरकार के निकायों / सीपीएसईज, राज्य सरकार के विभागों, राज्य सरकार के निकायों / पीएसईज को बेचा जाना था।

(vii). डीएचआई में बंद होने की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है। इसके अलावा, डीएचआई समग्र प्रगति की निगरानी के लिए आवधिक समीक्षा बैठकें भी करता है जहाँ एलएमए को भी आमंत्रित किया जाता है।

6. रक्षा उत्पादन विभाग: रक्षा उत्पादन विभाग ने सूचित किया है कि बीईएल-थेल्स सिस्टम लिमिटेड बीईएल से ली गई भूमि पर संचालित है और इसके पास कोई भूमि नहीं है।

7. **उर्वरक विभाग:** उर्वरक विभाग ने सूचित किया है कि पीडीआईएल 100% एकमुश्त रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के तहत है। अन्य दो सीपीएसईज अर्थात् फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) घाटा उठा रहे हैं, लेकिन बंद नहीं हो रहे हैं। एफएसीटी ने लगभग 651 एकड़ अधिशेष भूमि की पहचान की थी। जिसमें से 170 एकड़ जमीन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को बेच दी गई है। लगभग 481 एकड़ जमीन केरल सरकार को बेचने के विचाराधीन है। एमएफएल ने 70 एकड़ अधिशेष भूमि बिक्री की पहचान की थी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक पीएसयू इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की सहायक कंपनी है, ने एमएफएल से जमीन खरीदने में रुचि दिखाई है। लगभग 70 एकड़ जमीन एमएफएल से सीपीसीएल को बेचने का मामला विचाराधीन है।

अनुलग्नक-X

बिंदु संख्या 18: घाटे पर चल रही सीपीएसईज की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त निधि

1. **वाणिज्य विभाग**: वाणिज्य विभाग ने जानकारी दी है कि एसटीसी ने एक्सिम बैंक से ऋण लिया है। समझौते के अनुसार, एसटीसी को परिसंपत्तियों की बिक्री के पूर्व एक्सिम बैंक की सहमति प्राप्त करनी होगी। एसटीसीएल लिमिटेड के पास 15.7 एकड़ की फ्रीहोल्ड भूमि है जिसे एसबीआई के नेतृत्व में एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कंसोर्टियम बैंक द्वारा अधिग्रहीत किया गया है।

2. **रेल मंत्रालय:** रेल मंत्रालय ने बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के बारे में जानकारी दी है, जिसे दिनांक 4.4.2018 को बंद किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया है, कि कंपनी के पास कुल 975.71 एकड़ की भूमि है जिसमें 422.84 एकड़ की फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है और 552.87 एकड़ की लीज़होल्ड भूमि है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण भूमि के निपटान के लिए एलएमए के साथ समझौता करार को हस्ताक्षरित नहीं किया जा सका है।

3. **फार्मास्यूटिकल्स विभाग**: फार्मास्युटिकल्स विभाग ने यह सूचित किया है कि फार्मा सीपीएसयूज के मुद्रीकरण के माध्यम से अभी तक कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है। आधिक्य राशि, यदि कोई हो, को सीपीएसयूज की देनदारियों को पूरा करने के उपरांत भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाएगा।

4. **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि सीसीईए ने 16 अगस्त, 2017 को निगम को बंद करने का निर्णय लिया। मंत्रालय ने **निगम** द्वारा आयोजित सभी अचल संपत्तियों के निपटान के लिए अपने निर्णय से अवगत कराया है।

अंडमान एंव निकोबार प्रशासन के परामर्श से, अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एएनआईएफ़पीडीसीएल) की अचल संपत्तियों को रिजर्व फॉरेस्ट/ट्राइबल रिज़र्व/लाइसेंस/ लीज़ पर, अंडमान और निकोबार वन विभाग को बही मूल्य पर और अन्य भूमि (गैर-वन भूमि) अंडमान और निकोबार द्वीप में अंडमान और निकोबार प्रशासन को बही मूल्य के भुगतान पर वापस करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, लीज़ के तहत आयोजित सभी आरक्षित वन भूमि को अंडमान और निकोबार प्रशासन के वन विभाग को वापस कर दिया गया है। निगम की बंदी की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जल्द से जल्द बही मूल्य जमा करने के लिए वन विभाग के साथ मामले का अनुसरण किया जा रहा है। इस संबंध में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आगे कहा है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एलएमए के बही मूल्य को जमा कर दिया है। आगे अपने स्वयं के उपयोग हेतु अनुच्छेद के तहत, साल्ट लेक, कोलकाता में एक संपत्ति को माननीय एनजीटी द्वारा उपयोग के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पीएल डिवीजन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।

5. **भारी उद्योग विभाग:** भारी उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि यह विभाग सीपीएसईज को बंद किए जाने के निर्णय और इस तरह के सीपीएसईज की भूमि और परिसंपत्तियों के परिणामस्वरूप निपटान करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करता है। तदनुसार, एचएमटी और आईएल के

मामले में, मैसर्स एनबीसीसी को इन दो सीपीएसईज की अचल संपत्ति के निपटान के लिए एलएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रक्रिया अभी भी जारी है, और बिक्री की राशि अभी तक अप्राप्त है।

6. रसायन एंव पेट्रो रसायन विभाग: रसायन एंव पेट्रो रसायन विभाग ने सूचित किया है कि 17.05.2017 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एचओसीएल के पुनर्गठन योजना के अनुसार, पुनर्गठन योजना के 1008.67 करोड़ रुपये (नकद) का वित्तीय निहितार्थ, आंशिक रूप से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को रासयानी में एचओसीएल की 442 एकड़ भूमि की बिक्री और शेष को सरकार से ब्रिज लोन के माध्यम से पूरा किया जाना है। पुनर्गठन योजना बीपीसीएल भूमि बिक्री आय का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है, जिससे कि कंपनी की विभिन्न देनदारियों को निपटान किया जा सके जैसे बकाया वेतन का भुगतान, और कर्मचारियों का वैधानिक बकाया का भुगतान, रासयनी इकाई के कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस प्रदान करना, तथा बीपीसीएल/अन्य आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना आदि। भूमि बिक्री की आय को एक अलग खाते में जमा करने के लिए पुनर्गठन योजना में कोई प्रावधान नहीं है। दिनांक 12.03.2019 के अनुसार, भूमि बिक्री आय और उनके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(क) भूमि बिक्री/लीज ट्रांसफर की प्राप्ति

विवरण	**लगभग क्षेत्र (एकड़ में)**	**सकल राशि (रुपये करोड़ में)**	**टिप्पणियाँ**
(i) बीपीसीएल को भूमि की बिक्री:			
(क) रसायनी भूमि - 05.02.2018	251.00	351.40	टीडीएस कटौती के बाद प्राप्त शुद्ध राशि और बीपीसीएल की बकाया कच्चे माल की वसूली 314.89 करोड़ रुपये थी।
(ख) रसायनी भूमि - 05.03.2019	38.69	54.16	टीडीएस कटौती के बाद प्राप्त शुद्ध राशि और बीपीसीएल की बकाया कच्चे माल की वसूली 8.77 करोड़ रुपये थी।
(ii) नाल्को को भूमि का पट्टा हस्तांतरण - 08.02.2019	0.25	13.10	0.13 करोड़ रुपये की टीडीएस कटौती के बाद प्राप्त शुद्ध राशि 12.97 करोड़ रुपये थी।
कुल	**289.94**	**418.66**	

(ख) भूमि बिक्री की प्राप्ति का उपयोग

विवरण	**राशि (रुपये करोड़ में)**
(i) कर्मचारियों के बकाये का भुगतान (वीआरएस/वीएसएस देने सहित)	209.25
(ii) कच्चे माल के बकाये के लिए बीपीसीएल को भुगतान	77.85
(iii) टीडीएस कटौती, बैंकों का भुगतान, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं, बिजली और पानी का बकाया, आदि।	131.56
कुल	**418.66**

*****

परिशिष्ट - एक

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

(2020-2021)

समिति की सातवी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति गुरुवार, 7 जनवरी, 2021 को 1210 बजे से 1310 बजे तक समिति रूम '3', ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन (नई बिल्डिंग), नई दिल्ली में बैठी ।

वर्तमान

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - अध्यक्षा

सदस्य

लोकसभा

2. श्री अर्जुनलाल मीणा
3. श्री जनार्दन मिश्र
4. प्रोफ. सौगात रॉय
5. डॉ. अरविंद कुमार शर्मा
6. श्री सुशील कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स

राज्य सभा

9. श्री प्रसन्न आचार्य
10. श्री बीरेंद्र प्रसाद बैशय
11. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

सचिवालय

1.	श्री आर .सी. तिवारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री श्रीनिवासालु गुंडा	-	निदेशक
3.	श्री जी .सी. प्रसाद	-	अतिरिक्त निदेशक

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के प्रतिनिधि

***** ***** *****

***** ***** *****

2. शुरुआत में, माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठने के एजेंडे से अवगत कराया। पहले एजेंडा आइटम के रूप में, अध्यक्ष ने निम्नलिखित विषयों पर मसौदा रिपोर्टों पर विचार और अपनाने के लिए प्रस्ताव दिया: -

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

(ii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

(iii) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

(iv) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

(v) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

vi) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा "नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण" पर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की बीसवीं रिपोर्ट (16 वीं रा.स.) में शामिल टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई (निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर) 2015 की No.1 2)"।

(vii) सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट (16 वीं रा.स.) में शामिल टिप्पणियों / अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई "नुकसान की समीक्षा करने वाले सीपीएसयू की समीक्षा"।

3. समिति ने तब उपरोक्त मसौदा रिपोर्टों पर विचार किया और इसे बिना किसी बदलाव / संशोधनों के अपनाया। तत्पश्चात समिति ने संबंधित मंत्रालय / विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया और संसद के सत्र में नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करने पर विचार किया।

(एनटीपीसी के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया)

4.	****	****	****
5.	****	****	****
6.	****	****	****
7.	****	****	****

समिति ने फिर स्थगित कर दिया।

(कार्यवाही का एक रिकॉर्ड अलग से रखा गया है)।

/----------/

परिशिष्ट-दो

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखें)

घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा के विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

एक. सिफारिशों की कुल संख्या	19
दो. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है [पैरा सं.1, 2, 5, 7 ,8, 11,12,13, 14,15, 17 और 19]	12
प्रतिशतः	63.16 %
तीन. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	शून्य
प्रतिशत:	शून्य
चार. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति ने स्वीकार नहीं किए हैं [पैरा सं.10 और 16]	02
प्रतिशतः	10.53 %
पांच. टिप्पणियां/ सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अन्तरिम उत्तर भेजे हैं [कम सं. 3, 4, 6, 9 और 18]	5
प्रतिशतः	26.32 %